

राज्य स्तरीय बैंकर समिती, महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिती, महाराष्ट्र  
**State Level Bankers' Committee, Maharashtra**  
संयोजक संयोजक **Convener**

Planning Department,  
H.O. Lokmangal,  
1501, Shivaji Nagar, Pune 411005



बैंक ऑफ महाराष्ट्र  
**Bank of Maharashtra**  
आयोजना विभाग  
एक परिवार एक बैंक

आयोजना विभाग,  
प्र.का. लोकमंगल,  
1501, शिवाजी नगर, पुणे 411005.

फैक्स Fax : 020-25536748

टेलि. Tel No. 020-25513813 (SLBC Cell) / 020-25513121 (DGM)

ई मेल e-mail : bomfisbc@mahabank.co.in वेबसाईट website : <http://www.bankofmaharashtra.in/SLBC.asp>

AX1 / PSD / SLBC / 2014-15 /

Date : 19.6.2014

|                                                |                         |                                          |                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| The General Manager<br>Priority Sector<br>SCBs | The Chairmen of<br>RRBs | The General Manager<br>MSCB Ltd., Mumbai | All Lead District<br>Managers in<br>Maharashtra<br>State |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Dear Sir,

**Re: Implementation of National Crop Insurance Programme (NCIP) –  
Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) in Maharashtra State for  
Kharif 2014 season**

Agriculture Insurance Company of India Ltd.; vide their notification No.; MRO/NCIP-WBCIS/Kharif-2014 Notification/2015/14 dated 3.6.2014 has issued guidelines on NCIP – Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) in Maharashtra State for Kharif 2014 season & is already forwarded to all concerned Nodal Banks located in notified districts of Maharashtra.

The notification is also issued by Govt. of Maharashtra vide their GR No. NCIP-2014/Pra. Kra. 54/11-A dated 3.6.2014.

Kindly note the same for implementation.

Yours faithfully,

(V. Ramchandar Murty)  
Assistant General Manager  
FI, RRB & SLBC





## Agriculture Insurance Company of India Ltd.,

Mumbai Regional Office, 20<sup>th</sup> Floor, BSE Towers, Dalal Street, Fort, MUMBAI 400023

Phones: 022-6171 0901/0902/0903

FAX: 022-61710915

email: ro.mumbai@aicoindia.com

Ref. MRO/NCIP-WBCIS/Kharif-2014 Notification/2015/14

03, June 2014

TO,

ALL NODAL BANKS

LOCATED IN NOTIFIED DISTRICTS OF MAHARASHTRA.

Dear sir,

**Re.: Implementation of NCIP- Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) शासन निर्णय क्र. एनसीआयपी-२०१४ २०१३/प्र. क्र. ५४/११ए, ३, जून २०१४ in notified areas of Maharashtra.**

Further to Administrative Instructions issued by Government of India vide letter No.13015/02/2012-Credit II dated 21.02.2014; the Government of Maharashtra has issued a Notification vide their Resolution no. शासन निर्णय क्र. एनसीआयपी-२०१४ २०१३/प्र. क्र. ५४/११ए, ३, जून २०१४ for implementation of NCIP-WBCIS in Maharashtra State which is enclosed with this circular with a request to implement NCIP-WBCIS whole heartedly and participate in the Scheme in full-fledged manner.

Please issue a circular with complete guidelines to all branches of your bank / PACS of notified talukas in your district/under your jurisdiction for effective implementation of WBCIS to facilitate correct submission of declarations within stipulated time. Also send us copy of your WBCIS circular, sent to branches under your jurisdiction, for our reference & record.

### **FARMERS TO BE COVERED:**

**Loanee Farmers:** It is compulsory for Loanee farmers having Sanctioned Credit Limit for Kharif 2014 season as on 30.06.2014 for the Notified crops in the Notified Circles irrespective of withdrawal / disbursement. Kindly note, this is mandatory as per Scheme provisions.

All the Crop Loans **sanctioned** (irrespective of withdrawal or disbursement) for Kharif 2014 season up to 30.06.2014 for the Notified crops and Circles are to be Compulsorily Covered. In case of KCC accounts, the accounts having Sanctioned Credit Limit for Kharif 2014 season as on 30.06.2014 are to be covered compulsorily.

**Non-Loanee farmers:** Non-Loanee farmers growing the notified crops in the notified areas shall submit/deposit the premium up to 30.06.2014 in the Financial Institutions, where they have account.

**NOTIFIED CROPS:** WBCIS will be implemented for following crops: Cotton, Bajra, Jowar, Mung, Udid and Soybean.

**NOTIFIED AREAS:** WBCIS will be implemented in notified revenue circles of selected districts. List of notified Revenue Circles is notified in of above referred Govt. Resolution. These circles are identified as Reference Unit Areas (RUAs). Often banks



**Agriculture Insurance Company of India Ltd., Mumbai**

make mistakes in mentioning names of Revenue Circle in Declaration Forms which results in non-payment or incorrect payment of claims. Please obtain list of villages falling in with in every Revenue Circle which is available at respective Tehsildar's office.

**SUM INSURED FOR LOANEE FARMERS:** Per hectare Sum Insured is given in attached Govt. Resolution. Total Sum Insured will be product of area in hectare of the notified crop for which loan amount is sanctioned multiplied by per hectare sum insured. Farmers will declare the area in hectares in their crop loan application forms.

**RATES OF PREMIUM:** Rates of Premium are subsidized and kept affordable under Pilot WBCIS by Govt. of Maharashtra & Govt. of India. Premium payable by farmer per hectare for insurance under WBCIS is as per Annexure-1 to Annexure-10

**SUBMISSION OF DECLARATIONS:** As per the provision of the scheme, coverage under WBCIS is compulsory for all such farmers who have maximum Borrowing Limit (MBL) sanctioned (also referred to as Normal Credit Limit or Sanctioned Loan Limit etc.) for cultivation of notified crop/s in notified talukas (Reference Unit Areas) during Kharif-2014 season. These farmers are referred to as 'Loanee farmers' under WBCIS for all practical purposes. Nodal office of Bank will collect information from all loan disbursing branches in Branch Details Sheet given as follows:

| Example for LOANEE FARMERS                                |                |                                            |                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Year: 2013-14 Reference Unit Area (Revenue Circle): _____ |                |                                            |                               |                                 |
| Reference Weather Station _____                           |                |                                            |                               |                                 |
| Crop                                                      | No. of farmers | Area in ha. (for which loan is sanctioned) | Sum Insured (Rs)              | Premium payable by farmer (Rs.) |
| A                                                         | B              | C                                          | D                             | E                               |
|                                                           |                |                                            | C X Per ha. Sum Insured (Rs.) | C X Premium per ha. (Rs.)       |
| Paddy                                                     | 1              | 1                                          | 15,000                        | 720                             |
| Udid                                                      | 1              | 1                                          | 13,000                        | 1456                            |
| Cotton                                                    | 1              | 1                                          | 22,000                        | 1716                            |

Loan disbursing branches will include all those farmers who have their loan limits sanctioned as per seasonality discipline given below for notified crop/s for year 2014-15.

Nodal Offices of Banks will compile this information and submit the same to Agriculture Insurance Co of India Ltd., Mumbai Regional Office in prescribed Declaration form for Loanee farmers along with list of farmers, premium payable by farmers. A specimen copy of Declaration form is attached herewith. Amount of premium will be disbursed as additional component of loan over and above the limit sanctioned/dispensed.

*[Signature]*



Agriculture Insurance Company of India Ltd., Mumbai

**CUT OFF DATE FOR COVERAGE OF LOANEE FARMERS**

| Farmer category                                                                          | Loan sanction date on or before | Cut-off date for submission of declaration along with premium to AIC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Loanee Farmers<br>(Farmers having crop loan sanctioned up to 30 <sup>th</sup> June 2014) | 30 <sup>th</sup> June 2014      | 21 <sup>st</sup> July 2014                                           |

**NON LOANEE FARMERS:** Banks and PACs will accept completed proposals forms along with premium amount submitted from non-loanee farmers as per seasonality discipline given in following table. All branches will send this information summarized in following format to Nodal offices of bank for onward submission to us.

| Example for NON-LOANEE FARMERS              |                |                                          |                                   |                                 |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Reference Unit Area (Revenue Circle): _____ |                | Reference Weather Station _____          |                                   |                                 |
| Crop                                        | No. of farmers | Area in ha. (mentioned in proposal form) | Sum Insured (Rs)                  | Premium payable by farmer (Rs.) |
| A                                           | B              | C                                        | D                                 | E                               |
|                                             |                |                                          | C X Per hectare Sum Insured (Rs.) | C X Premium per hectare (Rs.)   |
| Paddy                                       | 1              | 1                                        | 15,000                            | 720                             |
| Udid                                        | 1              | 1                                        | 13,000                            | 1456                            |
| Cotton                                      | 1              | 1                                        | 22,000                            | 1716                            |

**CUT OFF DATE FOR COVERAGE FOR NON-LOANEE FARMERS**

| Crop               | Cutoff date for submission of proposal forms along with premium amount with banks / PACs. | Cut-off date for submission of declaration along with premium to AIC |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Non Loanee Farmers | 30 <sup>th</sup> June 2014                                                                | 21 <sup>st</sup> July 2014                                           |

Nodal offices of banks will compile this information and submit the same to Agriculture Insurance Company Ltd., Mumbai Regional Office in prescribed Declaration Form for Non Loanee farmers along with demand draft for premium payable by farmers. A specimen copy of Declaration Form is attached herewith.

The Nodal Bank(s) have to collect the list of individual insured farmers (both loanee & non-loanee) with requisite details like name, fathers' name, Bank Account number, village, categories - S&M/SC/ST/Women, insured acreage, insured crop(s), sum insured, premium collected, government subsidy etc. from concerned branch in soft copy also for further reconciliation and send the same to us. The declarations without Listing sheet will not be entertained. Please note, unless Listing sheets are provided along with each declaration, the claims and Bank Service Charges would not be released.

*[Signature]*



Agriculture Insurance Company of India Ltd., Mumbai

The Banks shall receive individual proposal from farmers seeking coverage, scrutinize the proposals, accept premium, consolidate the proposals and route them through their designated nodal offices within cut-off dates. It is compulsory for all farmers seeking coverage to have a bank account with the bank branch.

**PAYMENT OF PREMIUM BY BANKS TO AIC OF INDIA**

Nodal banks will remit premium amount to us through demand draft drawn in favour of Agriculture Insurance Co. of India Ltd - AXIS BANK A/C No.004010200162869, payable at Mumbai. Cello tape will be fixed on amount.

**PROPOSAL AND DECLARATION FORMS:**

**LOANEE FARMERS:** Notified area (Revenue Circle) wise, crop wise, Gender wise and Farmer category wise Loanee Declarations along with listing sheet need to be sent to AIC.

**KISAN CREDIT CARD (KCC):-**

*For crop loan sanctioned / advanced through Kisan Credit Cards (KCC), which are covered under compulsory coverage, banks will maintain all records and registers, including those relating to compliance with WBCIS and its seasonality discipline and cut off dates for submitting declarations as in case of normal crop loans. Bank branch will segregate coverage among notified crops, based on acreage mentioned in loan application or on the basis of actual area sown as declared by the farmer subsequently.*

*Crop loans advanced against hypothecation of gold / ornaments are also eligible for compulsory coverage, subject to insurability of crop and seasonality discipline.*

**NON-LOANEE FARMERS:** Individual Proposals submitted by farmers shall be retained with banks branches for records and the Notified area (Revenue Circle) wise, crop wise, Gender wise and Farmer category wise Non-Loanee Declarations along with listing sheet (Individual farmer wise details) have to be sent to AIC.

Please refer Annexure for copy of Loanee Declaration form(WBCIS-LC-2), Non-Loanee Proposal form (WBCIS-PF-01), Non-Loanee Declaration form (WBCIS-NLC-3) and Listing sheet (WBCIS-LS-4) format.

**DOCUMENTS FOR NON LOANEE FARMERS:** The Non Loanee farmers shall produce documents like 7/12 at the time of submission of Proposal Form/premium. As the scheme permits enrolment based on anticipated sowing also, submission of area sown certificate by non loanee farmers at the time of enrolment is not required.



Agriculture Insurance Company of India Ltd., Mumbai

**LISTING SHEET:**

Listing Sheet is part of declaration. Listing Sheet is the details of individual farmers pertains to a particular declaration form. For example, if a declaration contains 7 farmers, the details of those 7 farmers are to be filled in the listing sheet format. Compulsorily the Loanee and Non Loanee declarations should be submitted along with Listing Sheet only. The declarations without Listing sheet will not be entertained. Please note, unless Listing sheets are provided along with each declaration, the claims and Bank Service Charges would not be released.

**NATURE OF COVERAGE AND INDEMNITY :**

WBCIS operates on Area Approach basis and claims on individual basis are not settled. Claims calculation shall be solely based on weather data recorded on Reference Weather Stations. One Automated Weather Station (AWS) will be installed in every Notified Area which is Revenue Circle through an independent third party service provider. There is no other way of calculation of claims. Claims will not be settled on any other methods of yield estimation, Annewari, etc. or declaration of famine/drought/flood affected/damage to crop by Govt. Department/Agency.

**SETTLEMENT OF CLAIMS:** When claims become payable based on weather data recorded at Reference Weather Stations and as per G.R. referred above, claims will be released to nodal banks approximately within 45 days from the last date of period of insurance, subjected to receipt of Weather data and premium subsidy from Government. The claim payment will be made to Banks who in turn will credit the amount to farmers' accounts.

**SERVICE CHARGES TO BANKS:**

The banks shall be paid, service charges @ 4 % of net premium collected for Loanee as well as non-loanee farmers. Please provide us with your Account type, Account number, Name, address and IFS code of bank for release of service charges. It has been made mandatory for us by Govt. of India to make all payments through RTGS / NEFT.

**IMPORTANT GUIDELINES:**

- Entire area in hectares of notified crop/s as per NCLS or KCC limit of loan sanction statement of all farmers who have loan limit sanctioned up to the dates given in the above table are to be compulsorily insured irrespective of whether farmers has actually drawn loan or not. The sum insured in case of loanee farmers and non loanee farmers will be strictly as shown in above table and Notification.
- Correct premium rates should be ascertained from the Table given above and premium computation (Area under notified crop/s X Premium Rate) should be done accurately. Only premium collected from farmer need to be remitted. There is no



Agriculture Insurance Company of India Ltd., Mumbai

service tax applicable. Subsidy amount will be received by us directly from governments. Remission of excess premium shall not entitle for increase in Sum Insured/ liability at later date.

- Wherever, any clarification in respect of Declarations submitted by FIs is sought by AIC, the same must be submitted within 30 days from the date of our letter. Thereafter AIC is not under obligation to accept the same, including re-opening of claims.
- Banks should ensure that loanee farmers do not borrow crop loan from any other bank for the same crop on same piece of land.
  - Loanee farmers should not be insured as non-loanee farmer as well for the same crop and land.
  - Nodal Banks must ensure coverage of all insurance proposals, completed in all respect, and with correct premium amount and submitted within cut-off dates received from non loanee farmers. It is compulsory for non-loanee farmers to attach a copy of 7/12 extract as a proof of land holding in his name.
  - Please ask every non-loanee farmer if he has insured the same crop with any other branch or bank, if so please do not accept the proposal form.
- Declarations received after the prescribed cut-off dates including incomplete & incorrect declarations shall be rejected and the responsibility/ liability for such proposals rests with the Nodal banks/FIs.
  - You are requested to check the declarations thoroughly before submitting the same to us. Incomplete declarations are liable to be rejected. Please note that we will not be on risk of whatsoever or of any nature or of any kind in respect of such rejected/ non submitted declarations.
  - In case farmers are deprived of any benefit under the Scheme due to errors /omissions/commissions on part of nodal banks/ branches/PACCS, the concerned institution only shall make good such losses.
  - Please issue a circular at an early date to all the branches/PACCS in selected talukas under your jurisdiction on above lines so that to have complete guidelines and in a position to send correct declarations within stipulated time.
  - The Nodal Bank(s) / intermediaries have to collect the list of individual insured farmers (both loanee & non-loanee) with requisite details like name, fathers' name, Bank Account number, village, categories - S&M/SC/ST/Women, insured acreage, insured crop(s), sum insured, premium collected, government subsidy etc. from concerned branch in soft copy also for further reconciliation and send the same to us within 15 days after final cut-off date for submission of proposal to insurance company.
  - After receiving the claims amount from us, the financial institutions / banks should remit/transfer the claim amount to the account of beneficiaries farmers and also





Agriculture Insurance Company of India Ltd., Mumbai

display the list of the beneficiaries (both loanee & non-loanee) on the notice board of the branch within seven days with details of beneficiaries like name of farmers / beneficiaries, crops insured, sum insured, amount of claims received etc. and send a copy to concerned insurance companies with utilization certificates within 15 days for further verification and audit.

For any further clarification please refer Operational Guidelines issued by Government of India dated- 04/02/2014 for implementation of National Crop Insurance Program (NCIP).

You are welcome to contact us on our above Telephone or fax numbers if any clarification is required.

Thanking you,

Yours faithfully,

(D.D. DANGE)  
REGIONAL MANAGER

cc for information and needful action please to :

1. Commissioner of Cooperation, Govt. of Maharashtra,, Central Building, Pune.
2. Director of Horticulture, Govt. of Maharashtra, Shivajinagar, Pune,
3. All District Collectors.
4. All Divisional Joint Directors of Agriculture, Maharashtra state.
5. All District Superintending Agriculture Officers.
6. All Lead District Managers, Maharashtra state.
7. All Zonal and Regional Offices of Commercial Banks in Maharashtra state.
8. Maharashtra State Cooperative Bank Ltd., DCC Banks Department, Vashi, Navi Mumbai.
9. State Level Bankers Committee, Bank of Maharashtra, Lokmangal, Shivajinagar, Pune.
10. Dy. General Manager, Rural Business, State Bank of India, Local Head Office, Bandra Kurla Complex, Mumbai
11. Dy. General Manager, NABARD, 54, Wellesly Road, Shivaji Nagar, Pune.
12. Shri M. K. Poddar, General Manager, AIC of India, Head Office, New Delhi.

**Annexures:**

1. Copy of G.R of Govt. of Maharashtra.
2. Loanee Declaration form(WBCIS-LC-2),
3. Non-Loanee Proposal from (WBCIS-PF-01),
4. Non-Loanee Declaration form (WBCIS-NLC-3) and
5. Listing sheet (WBCIS-LS-4) format



**Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) for Food crops**  
**Declaration Form (LOANEE)**

FORM: WBCIS-LC-2

FROM:

TO:

(Address of Nodal Bank with Contact Number)

Agriculture Insurance Company of India Ltd.,  
Regional Office: Mumbai, 20<sup>th</sup> Floor, BSE Tower,  
 Dalal Street, Fort, Mumbai - 400023  
 Phone-022-61710900-901-3, Tele Fax: 61710915  
 E-mail: ro.mumbai@aicoindia.com

1. Under the provisions of the Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS), we hereby declare the aggregate Sum Insured of the Farmers with respect to the Loanee Applicants / Kisan Credit Card Holders under the jurisdiction of our Nodal Bank for the Season/Year \_\_\_\_\_ as per the schedule below.

2. It is certified on behalf of this office and the bank branches/PACs under our jurisdiction, that
- All eligible Loan Applicants / Kisan Credit Card Holders who have sanctioned credit limit for the respective insurable crops for respective season intended to be grown during the season mentioned in the 'Schedule' below are included, and
  - All guidelines with regard to coverage under Weather Based Crop Insurance Scheme issued by the Government of India / State Government / Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) which are in force have been followed.

Dated at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

Name of the Nodal Bank's

Authorized Signatory :

Designation :

Signature and Seal  
 of Authorized Nodal Bank Official

**SCHEDULE**

Declaration No. allotted by Bank: \_\_\_\_\_

State: MAHARASHTRA

Year: \_\_\_\_\_

Name of Crop: \_\_\_\_\_

District: \_\_\_\_\_

Taluka : \_\_\_\_\_

Revenue Circle: \_\_\_\_\_  
 (Reference Unit Area/ Reference Weather Station )  
 (as per Notification)

Sum Insured for Notified Crop: Rs. \_\_\_\_\_ /ha

Applicable Premium Rate: Rs. \_\_\_\_\_ /ha

| Category of Farmers |                        | No. of Farmers | Applied / Sanctioned Sown Area (Hectares) | Sum Insured (Rs.) (S.I per ha X Area) | Premium Remitted (Rs.) (Premium Rate X Area) |
|---------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1)                 |                        | (2)            | (3)                                       | (4)                                   | (5)                                          |
| 1                   | Small/Marginal Farmers |                |                                           |                                       |                                              |
| 2                   | Other Farmers          |                |                                           |                                       |                                              |
| TOTAL               |                        |                |                                           |                                       |                                              |

Type of transaction: RTGS/NEFT/INTERBANK Transaction Date: \_\_\_\_\_ Amount: \_\_\_\_\_

TO BE COMPLETED BY AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LTD. (AIC)

**CERTIFICATE NUMBER** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**RECEIPT NO.** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**DATE RECEIVED**

NOTE: 1) All code boxes shall be filled up by AIC  
 2) Guidelines for filling up Declarations are given overleaf

**Guidelines for Filling up Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) for fruit crops  
Declaration Form**

1. This Declaration format should be used ONLY with respect to Farmers who are functional / operative Loan Applicants / Kisan Credit Card Holders with sanctioned credit limit. Separate Declarations must be filled in for each crop and each reference area.
2. Only one copy of the Declaration need to be submitted to AIC. Banks should retain an office copy for their record and future reference.
3. Complete address of Nodal Bank along with the contact telephone number must be given to facilitate further communication, if required.
4. All Code particulars (boxes) shall be filled up by AIC.
5. Care should be taken to declare the Total Sum Insured for a Cultivator strictly based on acreage proposed in the Loan Application for a particular crop (vis-à-vis sanctioned credit limit) and the pre-declared sum insured per Hectare. There should be strict compliance with all stipulations/guidelines of the Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS).
6. In a particular season the Nodal Bank has to submit preferably only one Declaration for a particular Crop and Reference Unit Area to AIC with requisite Premium within 30 days from the cut-off date for availing the insurance under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) for a particular crop.
7. There should be no duplication in insurance coverage of any cultivator either by the same bank or vis-a-vis other banks / financial institutions for the mentioned crop and insured plot.
8. Whenever any clarification in respect of any discrepancy in the Declarations submitted by Bank is sought for by the AIC, the same must be clarified within one week of AIC's letter. No clarification will be entertained by AIC thereafter. The claims liability, if any on such delayed clarification will rests with the concerned Bank.
9. Specific guidelines for filling in the Schedule :
  - (i) Care should be taken to specify the Correct SEASON, CROP, REFERENCE UNIT AREA, & REFERENCE WEATHER STATION in each Declaration. Increase in sum insured (or increase in the payout amount) following any Changes / Corrections will not be entertained by AIC after the stipulated period.
  - (ii) Care should also be taken to declare correct ACREAGE INSURED (HECTARES) and SUM INSURED. Increase in Sum Insured / Payout following any Changes / Corrections will not be entertained by AIC after the stipulated period.
  - (iii) Sum insured to be covered under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) must be declared separately for "Small/Marginal Farmers" and "Other Farmers". The categorization of Small/Marginal Farmers should be done by considering total farmland ownership up to 2 Hectares (~5 Acres).
  - (iv) Total Sum Insured should be arrived at for each loanee cultivator by multiplying Area (hectares) as per the loan application (vis-à-vis sanctioned credit limit) with the pre-declared 'Sum Insured per hectare' applicable for the crop, and as per the Guidelines of the Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS).
  - (v) The Flat / Applicable Premium Rate for the cultivator for the insurable crops under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) would be communicated by AIC at the beginning of each season, based on which Net Premium would be calculated after adding Service Tax (if applicable).
  - (vi) The Bank branches/PACSS shall process and verify the details of crops grown and acreage operated, if and wherever required.



# ऑग्रीकल्वर इंश्युरंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय : २० वा मजला, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ०२३.  
ई-मेल : ro.mumbai@aicofindia.com

## राष्ट्रीय पीक विमा कार्यक्रम

### हवामानावर आधारित पीक विमा योजना

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी भरावयाचे विमा प्रस्ताव पत्रक

| जिल्हा | तालुका | अधिसूचित महसूल मंडळ | संदर्भ हवामान केंद्र                                                 | पर्यायी हवामान केंद्र | पिक | हंगाम | वर्ष |
|--------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|------|
|        |        |                     | स्वतंत्र नोंदणीकृत संस्थेचे महसूल मंडळ स्थीत स्वयंचलीत हवामान केंद्र |                       |     |       |      |

#### १. शेतकऱ्याची माहिती

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| नांव :                                  | वडील / पतीचे नाव :   |
| पत्र व्यवहाराचा पत्ता, फोन व मोब. नं. : | बँकेचे नांव व शाखा : |
|                                         | पत्ता :              |
|                                         | खाते क्र.            |

#### २. विम्यासाठी प्रस्तावित पिकाची माहिती :

| रेफरेंस युनिट एरिया (महसूल मंडळ) | गांव | गट क्रमांक (अवै नंबर) | पिकाखालील क्षेत्र (हेक्टर) | मालकीचा प्रकार (मालक / भाडेपट्टी / भागधारक) |
|----------------------------------|------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|                                  |      |                       |                            |                                             |

मी/आम्ही असे घोषित करतो / करते कि हे प्रस्ताव पत्रक भरण्या आधी मी हवामान आधारित पिक विमा योजनेचे नियम व स्पष्टीकरण सविस्तर वाचून / समजून घेतले आहेत / मला समजवून सांगण्यात आले आहेत. मी / आम्ही पुढे घोषित करतो / करते की वर दिलेली माहिती सत्य व खरी आहे. मला मान्य / माहिती आहे की विम्याची नुकसान भरपाई रक्कम या प्रस्ताव पत्रकामध्ये नमुद केलेल्या संदर्भ हवामान केंद्राच्या आकडेवारीनुसार देण्यात येईल. मी / आम्ही वर माहिती दिलेल्या पिकाचा विमा वर दर्शविलेल्या हंगामात पथदर्शी हवामान आधारित पिक विमा वा इतर कुठल्याही विमा योजनेखाली या प्रस्तावा व्यतिरिक्त कुठल्याही इतर बँक, सहकारी सोसायटी / विमा एजेंट किंवा कुठल्याही माध्यमातून प्रस्तावित केला नाही. मी या प्रस्ताव पत्रकामध्ये नमुद केलेले पिक व क्षेत्र या बाबतची माहिती असत्य आढळल्यास मी विम्याची नुकसान भरपाई रक्कम मिळण्यास अपात्र राहीन.

तारीख:

प्रस्तावक / शेतकऱ्याची सही वा अंगठा

----- (बँक / इंश्युरंस मध्यस्थानी भरावे) -----

| पिकाचे नाव | हेक्टर क्षेत्र | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता (रु.) |
|------------|----------------|---------------------------|------------------|
|            |                |                           |                  |
|            |                |                           |                  |

विमा हप्त्यात सूट / सवलतीत बंदी : विमा ऑक्टची कलम ४१ खालील प्रमाणे बंधनकारक आहे :

१. भारत देशात जीवितत्वा किंवा मालमत्तेचा विमा करायच्या करीता किंवा विम्याच्या पुन्हा नूतनीकरणाकरिता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात प्रबोधन म्हणून कोणीही व्यक्ती कोणाही व्यक्तीला आपल्या कमीशन मधून, विमा कंपनीने सूचना-पत्रकात / तक्त्यात जाहीर केलेल्या व्यतिरिक्त, पुर्ण किंवा काही रक्कम सूट / सवलत देणार किंवा देऊ करणार नाही. २. कुणी व्यक्ती बंदीचे नियम तोडत असता आढळल्यास त्याच्यावर कायदेशीर दंड तोटावण्यात येईल. हा दंड रु. ५००/- पर्यंत असू शकेल.

प्रस्ताव पत्रक पूर्ण करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना :

१. प्रत्येक पिकासाठी वेगळे प्रस्ताव पत्रक सादर करावे. २. सर्व प्रश्नांची उत्तरे पूर्णतः बरोबर द्यावी. जे प्रश्न लागू नसतील तिथे लागू नाही जसे लिहा. ३. विमा हा परम सद्भावचा / विश्वासाचा करार असून विमाधारकाने सर्व वास्तविक माहिती द्यावी तसेच कुठलीही महत्वपूर्ण माहिती लपवू नये. ४. असत्य कथन, चुकीची माहिती, अपूर्ण विवरण, महत्वाची माहिती लपवून ठेवणे, संपूर्ण माहिती न सांगणे असे प्रकार प्रस्ताव पत्रकात किंवा संलग्नित कागदपत्रात किंवा कुठल्याही नियम बाह्य प्रकाराने आढळल्यास ही पॉलिसी विमा कंपनीद्वारे रद्द करण्यात येईल या करीता माझी / आमची संमती आहे. ५. कृपया प्रस्ताव पत्रकात कुठलीही शंका किंवा शंकेचे निरासन करावयाचे असेल तर जवळच्या ए.आई.सी. ऑफ इंडिया लि. ला संपर्क करावा

टीप : जोपर्यंत प्रस्ताव पत्रक किंवा विमा हप्ता ए.आई.सी. स्विकारत नाही तोपर्यंत विमा कंपनीकडे कुठलीही जोखीम असणार नाही.



**Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) for food crops**  
**Declaration Form (NON-LOANEE)**

FORM: WBCIS-NLC-3

FROM:

TO:

(Address of Nodal Bank with Contact Number)

Agriculture Insurance Company of India Ltd.,  
 Regional Office: Mumbai, 20<sup>th</sup> Floor, BSE Tower,  
 Dalal Street, Fort, Mumbai - 23  
 Phone-022-61710900-901-903, Tele Fax: 61710915  
 E.mail: ro.mumbai@aicofindia.com

1. Under the provisions of the Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS), we hereby declare the aggregate Sum Insured with respect to the Non Loanee Farmers under the jurisdiction of our Nodal Bank who submitted the insurance proposals for the Season/Year \_\_\_\_\_ within the cut-off date, as per the schedule below.

2. It is certified on behalf of this office and the bank branches/PACs under our jurisdiction, that
- All the eligible Insurance Proposals submitted for coverage by the Non Loanee Farmers under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) are included in the Declaration, and
  - All guidelines with regard to coverage under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) issued by the Government of India / State Government / Agriculture Insurance Company of India Ltd. (AIC) which are in force have been followed.

Dated at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

Name of the Nodal Bank's: \_\_\_\_\_

Authorized Signatory: \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_

Signature and Seal  
 of Authorized Nodal Bank Official

**SCHEDULE**

Declaration No. allotted by Bank: \_\_\_\_\_

State: MAHARASHTRA

Year: \_\_\_\_\_

Name of Crop: \_\_\_\_\_

District: \_\_\_\_\_

Taluka: \_\_\_\_\_

Revenue Circle: \_\_\_\_\_  
 (Reference Unit Area/ Reference Weather Station)  
 (as per Notification)

Sum Insured for Notified Crop: Rs. \_\_\_\_\_ /ha

Applicable Premium Rate: Rs. \_\_\_\_\_ /ha

| Category of Farmers<br>(1) | No. of<br>Farmers<br>(2) | Applied /<br>Sanctioned Sown<br>Area (Hectares)<br>(3) | Sum Insured (Rs.)<br>(S.I per ha X Area)<br>(4) | Premium Remitted<br>(Rs.)<br>(Premium Rate X<br>Area)<br>(5) |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 Small/Marginal Farmers   |                          |                                                        |                                                 |                                                              |
| 2 Other Farmers            |                          |                                                        |                                                 |                                                              |
| <b>TOTAL</b>               |                          |                                                        |                                                 |                                                              |

Type of transaction: RTGS/NEFT/INTERBANK Transaction Date: \_\_\_\_\_ Amount: \_\_\_\_\_

TO BE COMPLETED BY AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LTD. (AIC) \_\_\_\_\_

**CERTIFICATE NUMBER** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**RECEIPT NO.** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**DATE RECEIVED** [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

NOTE: 1) All code boxes shall be filled up by AIC;  
 2) Guidelines for filling up Declarations are given overleaf.

**Guidelines for Filling up Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) for Fruit Crops  
Declaration Form (Non Loanee)**

1. This Declaration format should be used ONLY with respect to Non Loanee Farmers who submitted Insurance Proposals with requisite details and premium amount within the cut-off date. Separate Declarations must be filled in for each crop and each reference area.
2. Only one copy of the Declaration need to be submitted to AIC. Banks should retain an office copy for their record and future reference. The Declaration should be accompanied by a consolidated statement with the details of all Non-Loanee Farmers insured under the Declaration. The details include name of cultivator, village, survey number, acreage insured, sum insured, premium paid, Bank A/c particulars, etc.
3. Complete address of Nodal Bank along with the contact telephone number must be given to facilitate further communication, if required.
4. All Code particulars (boxes) shall be filled up by AIC.
5. Care should be taken to declare the Total Sum Insured for a Cultivator strictly based on acreage proposed in the Insurance Proposal Form for a particular crop as per the pre-declared sum insured per Hectare. There should be strict compliance with all stipulations/guidelines of the Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS).
6. In a particular season the Nodal Bank has to submit only one Declaration for a particular Crop and Reference Unit Area to AIC with requisite Premium within 15 days from the cut-off date for availing the insurance under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) for a particular crop.
7. There should be no duplication in insurance coverage of any cultivator vis-à-vis National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) or Weather based Crop Insurance schemes of other insurance companies, either by the same bank or with other banks /financial institutions for the mentioned crop and insured plot.
8. Whenever any clarification in respect of any discrepancy in the Declarations submitted by Bank is sought for by the AIC, the same must be clarified within one week of AIC's letter. No clarification will be entertained by AIC thereafter. The claims liability, if any on such delayed clarification will rests with the concerned Bank.
9. Specific guidelines for filling in the Schedule :
  - (i) Care should be taken to specify the correct SEASON, CROP, REFERENCE UNIT AREA, & REFERENCE WEATHER STATION in each Declaration. Increase in sum insured (or increase in the payout amount) following any Changes / Corrections will not be entertained by AIC after the stipulated period.
  - (ii) Care should also be taken to declare correct ACREAGE INSURED (HECTARES) and SUM INSURED. Increase in Sum Insured / Payout following any Changes / Corrections will not be entertained by AIC after the stipulated period.
  - (iii) Sum insured to be covered under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) must be declared separately for "Small/Marginal Farmers" and "Other Farmers". The categorization of Small/Marginal Farmers should be done by considering total farmland ownership upto 2 Hectares (~5 Acres).
  - (iv) Total Sum Insured should be arrived at for each cultivator by multiplying Area proposed for insurance (Hectares) in the proposal form with the pre-declared 'Sum Insured per hectare' applicable for the crop, and as per the Guidelines of the Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS).
  - (v) The Flat / Applicable Premium Rate for the cultivator for the insurable crops under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) would be communicated by AIC at the beginning of each season, based on which Net Premium would be calculated after adding Service Tax (if applicable).
  - (vi) The bank branches/PACS shall process and verify the details of crops grown and acreage operated, if and wherever required.



**Listing Sheet (To be enclosed with each declaration separately)**

Gram Panchayat (only for GP Level Crops)

Revenue Circle/Cluster :

**Farmers Category (Loanee / Non Loanee):**

No of farmers in this declaration:

The above Listing Sheet is part of the Declaration No. \_\_\_\_\_ as submitted by our bank.

Signature and Seal of the Nodal Bank Official



राष्ट्रीय पिक विमा कार्यक्रम (NCIP) अंतर्गत खरीप हंगाम  
२०१४ मध्ये हवामान आधारित पिक विमा योजना  
निवडक जिल्ह्यात पथदर्शक स्वरूपात राबविण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन  
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग,  
शासन निर्णय क्र.एनसीआयपी-२०१४/प्र.क्र.५४/११ अ,  
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०००३२  
दिनांक- ३ जून, २०१४

- वाचा : १) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र सीआयएस-१२१९/सीआ-८९/११अ, दि. ४/१२/१९९९  
२) कृषि मंत्रालय भारत सरकार यांचे पत्र क्र १३०१५/०२/२०१२-क्रेडीट २, दि. ४.२.२०१४  
३) कृषि मंत्रालय भारत सरकार यांचे पत्र क्र १३०१५/०२/२०१२/क्रेडीट-२, दि. २१.२.२०१४  
४) शासन पृष्ठांकन कृषि व पदुम विभाग क्र: एनएआयएस-२०१४/प्र.क्र.४०/११-अ, दि. २.६.२०१४

**प्रस्तावना :**

राज्यातील तृणधान्ये, कडधान्य, गळीतधान्य व नगदी पिकांच्या उत्पादनावर खरीप हंगामात हवामानाच्या विविध घटकांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने पिक विमा कार्यक्रमांतर्गत हवामान आधारित पिक विमा योजना राज्यात पथदर्शक स्वरूपात राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. केंद्र शासनाच्या संदर्भित मार्गदर्शक सूचनांनुसार अपूरा पाऊस, पावसातील खंड व अती पाऊस या तीन हवामान घटकांच्या धोक्यापासून संरक्षण देणारी हवामान आधारित पिक विमा योजना खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद, सोयाबीन व कापूस या ७ पिकांसाठी राज्यातील निवडक १२ जिल्ह्यात खाली नमुद केल्याप्रमाणे पथदर्शक स्वरूपात अधिसूचित महसूल मंडळस्तरावर क्षेत्र घटक (Area Approach) धरून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

**शासन निर्णय :**

खरीप हंगाम सन २०१४ मध्ये पिक विमा कार्यक्रमांतर्गत हवामान आधारित पिक विमा योजना प्रत्येक महसूल विभागातील निवडक २ जिल्ह्यांमध्ये याप्रमाणे एकूण १२ जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचित क्षेत्रात खालील अधिसूचित पिकांना पथदर्शक स्वरूपात राबविण्याबाबत निर्णय शासनाने घेतला आहे.

| महसूल विभाग | निवडलेले जिल्हे | अधिसूचित पिके |         |         |      |
|-------------|-----------------|---------------|---------|---------|------|
|             |                 | १             | २       | ३       | ४    |
| कोंकण       | ठाणे            | भात           | --      | --      | --   |
|             | रायगड           | भात           | --      | --      | --   |
| नाशिक       | जळगाव           | कापूस         | ज्वारी  | उडीद    | मूग  |
|             | अहमदनगर         | बाजरी         | कापूस   | सोयाबीन | मूग  |
| पुणे        | सातारा          | बाजरी         | ज्वारी  | भात     | मूग  |
|             | सांगली          | ज्वारी        | बाजरी   | सोयाबीन | उडीद |
| औरंगाबाद    | लातूर           | सोयाबीन       | ज्वारी  | उडीद    | मूग  |
|             | नांदेड          | कापूस         | सोयाबीन | उडीद    | मूग  |
| अमरावती     | अमरावती         | सोयाबीन       | कापूस   | मूग     | उडीद |
|             | यवतमाळ          | कापूस         | सोयाबीन | मूग     | उडीद |
| नागपूर      | नागपूर          | सोयाबीन       | कापूस   | --      | --   |
|             | बघा             | सोयाबीन       | कापूस   | --      | --   |

२) योजनेची उद्दिष्टे :

- अ) पिक पेरल्यापासून पीक तयार होण्याच्या कालावधीत अपूरा पाऊस, पावसात पडणारा खंड, अन्ती पाऊस, या पासून नुकसान झाल्यास योजनेच्या तरतूदीप्रमाणे शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देऊन आर्थिक स्थैर्य देणे.
- ब) पिकाचे नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.

३) योजना कार्यान्वित करणारी यंत्रणा, समाविष्ट पीके व समाविष्ट शेतकरी :

अ) खरीप हंगाम २०१४ मध्ये हवामान आधारित पीक विमा योजना राज्यातील निवडक १२ जिल्ह्यांमध्ये महसूल मंडळस्तर क्षेत्र घटक (सोबत अधिसूचित महसूल मंडळाची यादी जोडली आहे.) धरून खालील विमा कंपन्यांमार्फत कार्यान्वित करण्यात येईल.

| अ. क्र. | महसूल विभाग | जिल्हा  | समाविष्ट पिके                   | योजना कार्यान्वित करणारी विमा कंपनी/यंत्रणा |
|---------|-------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| १       | कोंकण       | ठाणे    | भात                             | एच.डी.एफ.सी. इगो जनरल इशुरन्स कंपनी लि.     |
|         |             | रायगड   | भात                             | बजाज अलायन्स जनरल इशुरन्स कंपनी लि          |
| २       | नाशिक       | जळगाव   | कापूस, ख. ज्वारी, मूग, उडीद     | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
|         |             | अहमदनगर | कापूस, सायाबोन, बाजरी, मूग      | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
| ३       | पुणे        | सातारा  | भात, बाजरी, ख. ज्वारी, मूग      | एच.डी.एफ.सी. इगो जनरल इशुरन्स कंपनी लि.     |
|         |             | सांगली  | बाजरी, ख. ज्वारी, सायाबोन, उडीद | रिलायंस जनरल इशुरन्स कंपनी लि.              |
| ४       | औरंगाबाद    | लातूर   | ख. ज्वारी, सायाबोन, मूग, उडीद   | बजाज अलायन्स जनरल इशुरन्स कंपनी लि          |
|         |             | नांदेड  | कापूस, सायाबोन, मूग, उडीद       | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
| ५       | अमरावती     | अमरावती | कापूस, सायाबोन, मूग, उडीद       | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
|         |             | यवतमाळ  | कापूस, सायाबोन, मूग, उडीद       | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
| ६       | नागपूर      | नागपूर  | कापूस, सायाबोन                  | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
|         |             | वधा     | कापूस, सायाबोन                  | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |

हवामान आधारित पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४ मध्ये वरील प्रमाणे १२ जिल्ह्यांत ७ प्रमुख पिकांसाठी राबविण्यात येणार असल्याने सदर जिल्हे व पिके सुधारित राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेतून वगळण्यात आलेली आहेत.

ब) खरीप हंगाम २०१४ मध्ये हवामान आधारित पीक विमा योजनेमध्ये वर नमूद केलेल्या जिल्ह्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकास विमा संरक्षण देय राहील.

क) अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित केलेली पीके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.

ड) विविध वित्तीय संस्थांकडून अधिसूचित पिकांसाठी पिक कर्ज घेणाऱ्या सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांना सदर योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांस सवितीची राहिल.

इ) बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक राहिल.

ई) हवामान आधारित पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देय होणारी नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम संबंधीत विमा कंपनीमार्फत अदा करण्यात येईल.

उ) अधिसूचित क्षेत्रात महसूल मंडळस्तरावर हवामान घटकाच्या नोंदी घेण्यासाठी नोंदणीकृत त्रयस्थ संस्थेमार्फत स्वयंचलित संदर्भ हवामान केंद्र उभारणी करणेबाबत संबंधीत विमा कंपनीकडून कार्यवाही करण्यात येईल.

२) योजनेची उद्दिष्टे :

- अ) पिक पेरल्यापासून पीक तयार होण्याच्या कालावधीत अपूरा पाऊस, पावसात पडणारा खंड, अती पाऊस, वा पासून नुकसान झाल्यास योजनेच्या तरतूदीप्रमाणे शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देऊन आर्थिक स्थैर्य देणे.
- ब) पिकाचे नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.

३) योजना कार्यान्वित करणारी यंत्रणा, समाविष्ट पीके व समाविष्ट शेतकरी :

अ) खरीप हंगाम २०१४ मध्ये हवामान आधारित पीक विमा योजना राज्यातील निवडक १२ जिल्ह्यांमध्ये महसूल मंडळस्तर क्षेत्र घटक (सोबत अधिसूचित महसूल मंडळाची यादी जोडली आहे.) धरून खालील विमा कंपन्यांमार्फत कार्यान्वित करण्यात येईल.

| अ. क्र. | महसूल विभाग | जिल्हा  | समाविष्ट पिके                   | योजना कार्यान्वित करणारी विमा कंपनी/यंत्रणा |
|---------|-------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| १       | कोकण        | ठाणे    | भात                             | एच.डी.एफ.सी. इगो जनरल इशुरन्स कंपनी लि.     |
|         |             | रायगड   | भात                             | बजाज अलायन्स जनरल इशुरन्स कंपनी लि.         |
| २       | नाशिक       | जळगाव   | कापूस, ख. ज्वारी, मूग, उडीद     | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
|         |             | अहमदनगर | कापूस, सोयाबीन, बाजरी, मूग      | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
| ३       | पुणे        | सातारा  | भात, बाजरी, ख. ज्वारी, मूग      | एच.डी.एफ.सी. इगो जनरल इशुरन्स कंपनी लि.     |
|         |             | सांगली  | बाजरी, ख. ज्वारी, सोयाबीन, उडीद | रिलायन्स जनरल इशुरन्स कंपनी लि.             |
| ४       | औरंगाबाद    | लातूर   | ख. ज्वारी, सोयाबीन, मूग, उडीद   | बजाज अलायन्स जनरल इशुरन्स कंपनी लि.         |
|         |             | नांदेड  | कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद       | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
| ५       | अमरावती     | अमरावती | कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद       | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
|         |             | यवतमाळ  | कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद       | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
| ६       | नागपूर      | नागपूर  | कापूस, सोयाबीन                  | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |
|         |             | वर्धा   | कापूस, सोयाबीन                  | भारतीय कृषि विमा कंपनी, मुंबई               |

हवामान आधारित पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४ मध्ये वरील प्रमाणे १२ जिल्ह्यांत ७ प्रमुख पिकांसाठी राबविण्यात येणार असल्याने सदर जिल्हे व पिके सुधारित राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेतून वगळण्यात आलेली आहेत.

ब) खरीप हंगाम २०१४ मध्ये हवामान आधारित पीक विमा योजनेमध्ये वर नमूद केलेल्या जिल्ह्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकास विमा संरक्षण देय राहिल.

क) अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित केलेली पीके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत.

ड) विविध वित्तीय संस्थांकडून अधिसूचित पिकांसाठी पिक कर्ज घेणाऱ्या सर्व कर्जदार शेतकऱ्यांना सदर योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकास सक्तीची राहिल.

इ) बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक राहणार आहे.

ई) सदर हवामान आधारित पिक विमा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देय होणारी नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम संबंधीत विमा कंपनीमार्फत अदा करण्यात येईल.

उ) अधिसूचित क्षेत्रात महसूल मंडळस्तरावर हवामान घटकाच्या नोंदी घेण्यासाठी नोंदणीकृत त्रयस्थ संस्थेमार्फत स्वयंचलित संदर्भ हवामान केंद्र उभारणी करणेबाबत संबंधीत विमा कंपनीकडून कार्यवाही करण्यात येईल.

४) हवामान आधारित पिक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगामातील अधिसूचित पीके, अधिसूचित क्षेत्र, विमा संरक्षित बाबी व विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर खालील प्रमाणे राहिल :

हवामान आधारित पिक विमा योजने अंतर्गत अपूरा पाऊस, पावसातील खंड, अती पाऊस इ. बाबी विमा संरक्षणास पात्र राहतील. हवामान आधारित पिक विमा योजना राज्यात महसूल मंडळ क्षेत्र घटक (Area Approach) धरून राबविण्यात येईल

| अ.क्र. | जिल्हा  | पीक       | विमा संरक्षित रक्कम<br>(रु.) | वास्तवदर्शी विमा हप्ता प्रती हे. |             |
|--------|---------|-----------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
|        |         |           |                              | टक्केवारी                        | रक्कम (रु.) |
| १      | ठाणे    | भात       | १५०००/-                      | ९.५०                             | १४२५.००     |
| २      | रायगड   | भात       | १५०००/-                      | ९.००                             | १३५०.००     |
| ३      | जळगाव   | कापूस     | २२०००/-                      | ७.८०                             | १७१६.००     |
|        |         | ख. ज्वारी | १३०००/-                      | ११.६०                            | १५०८.००     |
|        |         | मुग       | १५०००/-                      | ७.४०                             | १११०.००     |
|        |         | उडीद      | १३०००/-                      | ११.२०                            | १४५६.००     |
| ४      | अहमदनगर | कापूस     | २००००/-                      | १२.९०                            | २५८०.००     |
|        |         | सोयाबीन   | १९०००/-                      | ९.००                             | १७१०.००     |
|        |         | बाजरी     | ७०००/-                       | १६.९०                            | ११८३.००     |
|        |         | मुग       | १५०००/-                      | ७.३०                             | १०९५.००     |
| ५      | सातारा  | भात       | १५०००/-                      | ९.७०                             | १४५५.००     |
|        |         | बाजरी     | १२०००/-                      | ८.३०                             | ९९६.००      |
|        |         | ख. ज्वारी | १५०००/-                      | ८.८०                             | १३२०.००     |
|        |         | मुग       | १५०००/-                      | ९.२०                             | १३८०.००     |
| ६      | सांगली  | बाजरी     | १२०००/-                      | ६.८५                             | ८२२.००      |
|        |         | ख. ज्वारी | १५०००/-                      | १०.००                            | १५००.००     |
|        |         | सोयाबीन   | १९०००/-                      | ६.८५                             | १३०१.५०     |
|        |         | उडीद      | १५०००/-                      | ६.८५                             | १०२७.५०     |
| ७      | लातूर   | ख. ज्वारी | १५०००/-                      | ९.६५                             | १४४७.५०     |
|        |         | सोयाबीन   | १९०००/-                      | ९.५०                             | १८०५.००     |
|        |         | मुग       | १५०००/-                      | ९.६५                             | १४४७.५०     |
|        |         | उडीद      | १५०००/-                      | ९.७५                             | १४६२.५०     |
| ८      | नांदेड  | कापूस     | २२०००/-                      | ७.२०                             | १५८४.००     |
|        |         | सोयाबीन   | १९०००/-                      | ९.७०                             | १८४३.००     |
|        |         | मुग       | १५०००/-                      | ६.८०                             | १०२०.००     |
|        |         | उडीद      | १४०००/-                      | १०.८०                            | १५१२.००     |
| ९      | अमरावती | कापूस     | २२०००/-                      | ११.२०                            | २४६४.००     |
|        |         | सोयाबीन   | १९०००/-                      | ७.७०                             | १४६३.००     |
|        |         | मुग       | १५०००/-                      | ६.६०                             | ९९०.००      |
|        |         | उडीद      | १४०००/-                      | १०.८०                            | १५१२.००     |
| १०     | यवतमाळ  | कापूस     | २२०००/-                      | १०.७०                            | २३५४.००     |
|        |         | सोयाबीन   | १९०००/-                      | ७.५०                             | १४२५.००     |
|        |         | मुग       | १५०००/-                      | ६.००                             | ९००.००      |
|        |         | उडीद      | १५०००/-                      | ९.४०                             | १४१०.००     |
| ११     | नागपूर  | कापूस     | २२०००/-                      | ९.५०                             | २०९०.००     |
|        |         | सोयाबीन   | १९०००/-                      | ६.६०                             | १२५४.००     |
| १२     | बर्धा   | कापूस     | २२०००/-                      | ११.३०                            | २४८६.००     |
|        |         | सोयाबीन   | १९०००/-                      | ६.२०                             | ११५९.००     |

५) विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान :

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार या योजनेत विमा हप्ता दर वास्तवदर्शी दराने आकारला जाणार आहे. तथापि, खरीप हंगामासाठी १० टक्के, रब्बी हंगामासाठी ८ टक्के व नगदी पिकांसाठी १२ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.

या योजनेत सहभागी होणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांनी धारण केलेले क्षेत्र विचारात न घेता खालील तपशीलाप्रमाणे केंद्र व राज्य शासनाचे विमा हप्ता अनुदान समप्रमाणात देय राहील.

| अ.क्र. | विमा हप्ता दर  | विमा हप्ता अनुदान (राज्य व केंद्र सरकार ५०:५० अनुदान)                                         |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | २ टक्के पर्यंत | नाही.                                                                                         |
| २      | > २ ते ५ टक्के | २५ टक्के<br>(शेतकऱ्यांनी किमान २ टक्के विमा हप्ता भरणे आवश्यक आहे.)                           |
| ३      | > ५ ते ८ टक्के | ४० टक्के<br>(शेतकऱ्यांनी किमान ३.७५ टक्के विमा हप्ता भरणे आवश्यक आहे.)                        |
| ४      | > ८ टक्के      | ५० टक्के<br>(शेतकऱ्यांनी किमान ४.८ टक्के व जास्तीत जास्त ६ टक्के विमा हप्ता भरणे आवश्यक आहे.) |

निवडण्यात आलेल्या विमा कंपनींचा जिल्हानिहाय / पिकनिहाय विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदानाचा तपशील सोबत सहपत्रित करण्यात आलेला आहे. (प्रपत्र अ १ ते अ १२)

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी विविध हवामान घटकापासून देण्यात येणाऱ्या विमा संरक्षणाची बाबनिहाय प्रमाणे व विमा संरक्षण कालावधी सोबत सहपत्रित केला आहे. (प्रपत्र ब १ ते ब ३८)

६) शेतकरी, केंद्र शासन व राज्य शासनाने भरावयाचा विमा हप्ता तपशिल :

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी योजनेत सहभागी होणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता, केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्त्यातील अनुदानाचा हिस्सा तपशील सोबत प्रपत्र अ १ ते अ १२ मध्ये दिलेला आहे.

७) खरीप हंगाम २०१४ करिता हवामान आधारित पिक विमा योजनेमध्ये सहभागाचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे राहिल. :

| बाब                                                                                                                                                                                      | कालावधी                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पिक कर्ज कालावधी : ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांना सदरची योजना सविती आहे.                                                                                                                       | १ एप्रिल ते ३० जून, २०१४                                                                                                                                                                                                            |
| अ) अधिसूचित जिल्ह्यात अधिसूचित पिकासाठी कर्ज घेतलेले व बँकेकडून पिक कर्ज मर्यादा मंजूर असलेले कर्जदार शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राचा विमा प्रस्ताव बँकेच्या शाखेने तयार करण्याचा अंतिम दिनांक. | अ) ३० जून, २०१४                                                                                                                                                                                                                     |
| ब) बिगर कर्जदार शेतकरी यांच्याकरीता योजनेत सहभागी होण्याकरीता अंतिम दिनांक.                                                                                                              | ब) ३० जून, २०१४                                                                                                                                                                                                                     |
| बँकांच्या शाखेने कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेशन) नोडल बँकेस सादर करण्याचा अंतिम दिनांक.                                                                   | संबंधीत बँकेच्या शाखेने कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ३० जून, २०१४ नंतर १५ दिवसांत व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत विमा हप्ता जमा झालेपासून ७ दिवसात विमा घोषणापत्रे नोडल बँकेस सादर करावीत.<br>(कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस धरून) |
| खाजगी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फत विमा योजनेत सहभागी करून घेतलेल्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेशन) विमा कंपनीस पाठविण्याचा अंतिम दिनांक                         | विमा हप्ता जमा झाल्यापासून २ दिवसांचे आत.<br>(कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस धरून)                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                  |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| खाजगी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीमार्फत विमा योजनेत सहभागी करून घेतलेल्या बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेशन) विमा कंपनीस पाठविण्याचा अंतिम दिनांक | विमा हप्ता जमा झाल्यापासून २ दिवसांचे आत. (कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस धरून) |
| कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेशन) नोडल बँकेकडून संबंधीत विमा कंपनीस पाठविण्याचा अंतिम दिनांक.                                       | २१ जुलै, २०१४                                                              |
| नुकसान भरपाई निश्चित करणे.                                                                                                                                       | विमा संरक्षण कालावधी संपल्यापासून ४५ दिवसांत.                              |

#### ८) बँक सेवा शुल्क :

कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांकडून जमा केलेल्या विमा हप्त्याच्या ४ टक्के रक्कम संबंधीत विमा कंपनीकडून बँक सेवा शुल्क म्हणून बँकांना परस्पर देय होईल. विमा प्रतिनिधींना विमा कंपनीने निश्चित केलेल्या दराने कमिशन दिले जाईल. तथापि, सदरचे कमिशन हे विमा नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या आत असेल.

#### ९) नुकसान भरपाई ठरविण्याची पद्धत :

- नुकसान भरपाई ठरविण्याची पद्धत सोबत जोडलेल्या ब-१ ते ब-३८ प्रपत्रांमध्ये दर्शविल्यानुसार राहिल.
- संदर्भ हवामान केंद्र हे त्या महसूल मंडळस्तरावरील संबंधीत विमा कंपनीने नोंदणीकृत त्रयस्थ संस्थेमार्फत स्थापित केलेले हवामान केंद्र राहिल.
- नुकसान भरपाई ठरविण्यासाठी संबंधीत विमा कंपनीने महसूल मंडळस्तरावर त्रयस्थ नोंदणीकृत संस्थेमार्फत स्थापित केलेल्या हवामान केंद्रात नोंद झालेल्या आकडेवारीचा वापर केला जाईल.
- जर एखाद्या महसूल मंडळस्तरावरील संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत काही कारणास्तव हवामान घटकाची आकडेवारी प्राप्त झाली नाही तर त्या कालावधीपूरती राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या नजिकच्या हवामान केंद्राची आकडेवारी विचारात घेऊन नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येईल.
- संदर्भ हवामान केंद्रामार्फत प्राप्त हवामान घटकाची आकडेवारी ही ग्राह्य धरण्यात येऊन त्यावर आधारित योजनेच्या तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात आलेली नुकसान भरपाई ही अंतिम राहिल.
- नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम संबंधीत विमा कंपनीकडून देण्यात येईल.

१०) सुधारित राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेच्या तुलनेत हवामान आधारित पीक विमा योजनेची उपयुक्तता तपासण्याच्या दृष्टीने अधिसूचित तालुक्यामध्ये नियोजनाप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग घेण्यात येणार आहेत.

११) राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेनुसार स्थापित राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समिती, जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती तसेच निर्धारित वित्तीयसंस्था, राज्यशासन, कृषि विमा कंपनी, कृषि आयुक्तालय यांची निर्धारित कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांप्रमाणेच हवामान आधारित पीक विमा योजनेसाठी कर्तव्य व जबाबदाऱ्या राहतील.

१२) हवामान आधारित विमा योजना सन २०१४ च्या खरीप हंगामामध्ये राबविण्यात येणार असून वरील सर्व सूचना लक्षात घेवून सर्व संबंधितांनी तात्काळ योजनेची अंमलबजावणी सुरु करावी व योग्य ती प्रचार प्रसिध्दी करून योजना प्रभावीपणे कार्यान्वीत होईल हे पहावे.

#### १३) बँक / ग्रामीण वित्तीय संस्थांची भूमिका व जबाबदारी :

अ) भारतीय रिझर्व बँक आणि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक यांच्या नियमात बसणाऱ्या व शेतकऱ्यांना हंगामी पीक कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँका व संस्था या योजनेत वित्तीय संस्था म्हणून मानल्या जातील.

ब) राष्ट्रीय कृषि विमा योजने अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या नोडल बँका या हवामान आधारित पीक विमा योजनेसाठी सुध्दा कार्यरत राहतील.

क) प्रत्येक व्यापारी बँकेची त्यांच्यापैकी जिल्हा मुख्यालयातील एक बँक केंद्र बँक किंवा संपर्क बँक म्हणून विमा कंपनीच्या सहमतीने जाहीर करावी. ती बँक त्यांच्या जिल्ह्यातील / विभागातील / राज्यातील सर्व शाखांच्या वतीने काम पाहील. सहकारी बँकांच्या बाबतीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विभागीय ग्रामीण बँकांच्या बाबतीत त्यांचे मुख्य कार्यालय हे केंद्र बँक म्हणून कार्यरत राहिल. केंद्र बँका योजनेच्या अनुषंगाने त्यांना प्राप्त झालेल्या सर्व अधिसूचना, मार्गदर्शक तत्त्वे त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शाखांना पाठवतील.



- इ) कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता भरण्यासाठी संबंधीत बँकेमार्फत जादा पत्रमर्यादा मंजूर केली जाईल.
- ई) संपर्क बँका (नोडल बँका) पिकवार व अधिसूचित क्षेत्रवार पीक विमा प्रस्ताव विहित विवरणपत्रात (बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी वेगळे) भरून विमा हप्ता रक्कमेसह संबंधीत विमा कंपनीस पाठवतील.
- उ) नियुक्त केलेल्या बँकांनी विमाधारक शेतकऱ्याचे नाव, वडीलांचे नाव आणि आडनाव, बँक खाते क्रमांक, गाव, शेतकऱ्याची वर्गवारी (अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी/ अनुसूचित जाती व जमातीचे शेतकरी/महिला शेतकरी), विमाधारित क्षेत्र, पिके, विम्याची रक्कम, विमा हप्ता दर, अनुदान इ. माहिती अंतिम दिनांकानंतर १५ दिवसांचे आत संबंधीत विमा कंपनीस सॉफ्ट कॉपीमध्ये पाठवावी.
- ऊ) शेतकऱ्यांना हवामान आधारित पिक विमा योजनेबाबत मार्गदर्शन करावे.
- प) शेतकऱ्यांना विमा प्रस्तावामधील माहिती भरणेबाबत व कागदपत्रे सादर करणेबाबत मार्गदर्शन करावे.
- फ) कर्जदार / बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रपत्र तयार करून त्यामध्ये विमा हप्त्याची माहिती अंतर्भूत करावी.
- ब) विमा पॉलिसीच्या अभिलेखांचे जतन करावे.
- १४) विमा कंपनीची भूमिका व जबाबदारी :

- १) संबंधीत विमा कंपनी ही हवामान आधारित पीक विमा योजना राबविण्यासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून काम पाहील.
- २) संबंधीत विमा कंपनीस या योजनेसाठी शासनाच्या लेखापरिक्षणाच्या दृष्टीने स्वतंत्र बँक खाते उघडावे लागेल.
- ३) संबंधीत विमा कंपनीस वास्तवदर्शी विमा हप्ता दर आकारण्यासाठी पीक उत्पादनाची सरासरी आकडेवारी व हवामान घटकांच्या नोंदीचे वेळोवेळी संकलन करणे व सदरच्या संकलित नोंदी जतन करणे बंधनकारक राहील.
- ४) संबंधीत विमा कंपनीने केंद्र व राज्य शासनाचे विमा हप्ता अनुदान प्राप्त होण्याचे अधिन राहून नुकसान भरपाई निश्चित करणे, विमा दावे अंतिम करणे आणि ४५ दिवसांचे आत नुकसान भरपाई अदा करणे बाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
- ५) पीक हंगाम सुरु होण्यापूर्वी संबंधीत विमा कंपनीने खाजगी विमा प्रतिनिधींची नियुक्ति लेखी स्वरूपात जाहीर करणे आवश्यक आहे.
- ६) योजनेसंदर्भात जनजागृती आणि प्रसिध्दीसाठी शासन आणि इतर संस्थांच्या मदतीने कार्यवाही करणे.
- ७) केंद्र व राज्य शासनाने मागणी केल्याप्रमाणे मासिक प्रगति अहवाल / सांख्यिकी व इतर अनुषंगीक माहिती पुरवठा करणे.
- ८) अधिकृत बँका आणि प्रतिनिधी यांचेकडून विमा धारक शेतकऱ्यांची / लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करून ती संकेतस्थळावर प्रसारित करणे.
- ९) योजनेत कर्जदार शेतकऱ्यांचा समावेश फक्त विमा कंपनीनेच करावा. विमा प्रतिनिधी किंवा ब्रोकर्स यांनी करू नये.
- १०) वित्तीय संस्थानी योजनेत सहभागी झालेले शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. वित्तीय संस्थांच्या नुटीमुळे/दिरंगाईमुळे/हलगर्जीपणामुळे योजनेच्या लाभापासून योजनेत सहभागी झालेले शेतकरी वंचित राहिल्यास या संबंधात काही नुकसान भरपाई द्यावयाची झाल्यास त्याचे दायित्व संबंधीत वित्तीय संस्थेवर राहील.

#### १५) विमा प्रतिनिधींच्या भूमिका व जबाबदारी :

- १) हवामान आधारित पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे.

१५) विमा प्रतिनिधीच्या भूमिका व जबाबदारी :

- १) हवामान आधारित पीक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे.
- २) शेतकऱ्यांना विहित प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे विविध कागदपत्रे संकलित करणे.
- ३) हवामान आधारित पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विमा कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून विमा हप्ता गोळा करणे आणि त्याची पावती देणे.
- ४) बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची प्रपत्रात माहिती संकलित करून ती विमा कंपनीस विमा हप्त्यासह वेळेत सादर करणे.
- ५) प्राधिकृत करण्यात आलेल्या विमा प्रतिनिधींनी स्वतंत्र विमाधारक शेतकऱ्यांची माहिती तयार करणे, त्यामध्ये नाव, वडिलांचे नाव, आडनाव बँक खाते क्रमांक, गाव, वर्गवारी (अल्प व अत्यल्प, अनुसूचित जाती/जमाती, महिला शेतकरी), पिकाचे नाव, विमा संरक्षित क्षेत्र व रक्कम, विमा हप्ता, शासन अनुदान इ. माहिती सॉफ्ट कॉपीमध्ये अंतिम दिनांकानंतर ५ दिवसांचे आत विमा कंपनीस पाठवावी.
- ६) प्राधिकृत विमा प्रतिनिधीने कोणत्याही प्रकारे विमाधारित शेतकऱ्यांना कसल्याही प्रकारचे आमिष दाखवून फसवणूक करू नये. संबंधीत विमा प्रतिनिधीने योजनेत सहभागी झालेला शेतकरी योजनेतील लाभापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. विमा प्रतिनिधीच्या त्रुटीमुळे/ दिरंगाईमुळे/हलगर्जीपणामुळे या योजनेच्या लाभापासून योजनेत सहभागी शेतकरी वंचित राहिल्यास या संबंधात काही नुकसान भरपाई द्यावयाची झाल्यास संबंधीत प्रतिनिधी आणि संबंधीत विमा कंपनीची जबाबदारी राहिल. विमा प्रतिनिधीच्या सेवेमध्ये काही त्रुटी/चुका आढळल्यास त्यावर प्रशासकीय / कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

१६) हवामान विषयक आकडेवारी पुरवठा करणाऱ्या त्रयस्थ नोंदणीकृत संस्थेच्या भूमिका व जबाबदारी :

- १) स्वयंचलित हवामान केंद्र आणि भारतीय हवामानशास्त्र विभागाची स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्रे, राज्य शासन, राज्यातील कृषि विद्यापीठे किंवा तत्सम संस्था आणि एनसीएमएसएल, डब्ल्युआरएमएस, स्कायमेट इ. सारख्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत संदर्भ हवामान केंद्र म्हणून अधिसूचित करण्यात येतील, सदरची संदर्भीत हवामान केंद्रे ही भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने / शासनाने निश्चित केलेली किमान पात्रता पूर्ण करतील.
- २) भारतीय हवामान शास्त्र विभाग / कृषि विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार / जागतिक हवामान परिषदेच्या (World Meteorological Organisation) मार्गदर्शक सूचनेनुसार हवामान विषयक आकडेवारी संकलित करण्यासाठी वापरण्यात येणारे हवामान संवेदक (Weather Sensors) हे वेळोवेळी प्रमाणित करणे, सुस्थितीत राखणे आवश्यक आहे.
- ३) त्रयस्थ नोंदणीकृत संस्थेने विविध हवामान घटकांच्या नोंदी अचूक व अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे.
- ४) त्रयस्थ नोंदणीकृत संस्थेने विविध हवामान घटकांच्या नोंदीचे काम विमा कंपनी व विमाधारक शेतकरी यांचे हस्तक्षेपाशिवाय स्वतंत्रपणे करणे आवश्यक आहे.
- ५) त्रयस्थ नोंदणीकृत संस्थेने विविध हवामान घटकांच्या नोंदी विहित प्रपत्रात, निश्चित केलेल्या कालावधीत प्रमाणित करून विमा संरक्षित कालावधी संपल्यानंतर एक आठवड्याच्या आत विमा कंपनीस द्याव्यात, जेणेकरून विमा कंपनीस वेळेत नुकसान भरपाई निश्चित करता येईल.
- ६) हवामान संवेदके (Weather Sensors) नादुरुस्त असणे / दुय्यम प्रतीच्या हवामान घटकांच्या नोंदी / हवामान घटकांच्या नोंदी नष्ट होणे इ. बाबींमुळे विमाधारक शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची काळजी संबंधीत त्रयस्थ नोंदणीकृत संस्थेने घ्यावयाची आहे. यामुळे जर काही नुकसान झाले तर संबंधीत त्रयस्थ नोंदणीकृत संस्था सदर नुकसानीस जबाबदार राहिल.
- ७) स्वयंचलित हवामान केंद्र प्रमाणित करणाऱ्या त्रयस्थ नोंदणीकृत संस्थेने हवामान केंद्रामधील साहित्य, परिस्थिती, व्यवस्थापन, आकडेवारीची गुणवत्ता इ. चा दर्जा चांगला राहण्याचे दृष्टीने स्वयंचलित हवामान केंद्रास वेळोवेळी भेटी देऊन तपासणी करणे आवश्यक आहे.

**१७) विमाधारक शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या :**

- १) कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अधिसूचित पिकासाठी सक्तीची राहणार असून कर्जदार शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्जमागणीच्या अर्जांमध्ये नमूद केलेल्या पिकासाठी नमूद केलेल्या क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक राहिल.
- २) कर्जदार शेतकऱ्यांनी पिक नियोजनामध्ये काही बदल आल्यास पेरणी नंतर एक आठवड्याच्या आत संबंधीत बँकेस कळवावे.
- ३) बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण कालावधी सुरु होण्यापूर्वी विमा योजनेत सहभाग घेणे आवश्यक आहे.
- ४) बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी खालीलप्रमाणे अटी राहतील -
  - अ) प्राधिकृत केलेल्या बँकेत शेतकऱ्यांनी स्वतंत्र खाते उघडावे.
  - ब) शेतकऱ्यांनी जवळच्या प्राधिकृत बँका / प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, संबंधीत विमा कंपनीचे कार्यालय किंवा विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधून विहित प्रपत्रात विम्याचा प्रस्ताव सादर करावा.
  - क) शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्तावामध्ये आपले जमिनीचा सर्व्हे नं. नमूद करावा.
  - ड) शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या जमिनीचा पुरावा म्हणून ७/१२ उतारा / पेरणी केल्याचे प्रमाणपत्र विमा प्रस्तावासोबत देणे आवश्यक आहे.
  - इ) शेतकऱ्यांनी अधिसूचित पिकासाठी एका क्षेत्रासाठी एकदाच आणि एकाच विमा कंपनीकडून विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक आहे. जर त्याने एकाच क्षेत्रासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक विमा संरक्षण एकाच किंवा वेगवेगळ्या विमा कंपनीकडून घेतले तर त्याचा जमा विमा हप्ता जप्त करून त्याच्यावर कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येईल.

**१८) लेखाशिर्षक :**

योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या अनुदानासाठी राज्य शासनाच्या हिश्यापोटी देय होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षकाखाली भागविण्यात यावा.

मागणी क्र डी-३

२४०१ - पीक संवर्धन

११० - पीक विमा

११० - (दोन) पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना

राज्य योजना (००) (०२) सर्वकष पीक विमा योजना

(२४०१ - ०९२२) ३३ अर्थसहाय्य

योजना कार्यान्वित करणाऱ्या खाजगी विमा कंपनींना विमा हप्ता अनुदानाची राज्य हिश्याची रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत अदा केली जाईल.

**१९) नियंत्रण अधिकारी व आहरण संवितरण अधिकारी :**

या योजनेसाठी कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

**२०) पीक विमा योजनेबाबत गठित करण्यात आलेल्या विविध समिती :**

राष्ट्रीय कृषि विमा योजनेनुसार स्थापित राज्यस्तरीय समन्वय समिती, जिल्हा स्तरीय तांत्रिक समिती, निर्धारित वित्तीय संस्था, राज्य शासन, संबंधीत विमा कंपनी व कृषि आयुक्तालय यांनी निर्धारित केलेल्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या या योजनेसाठी लागू राहतील.

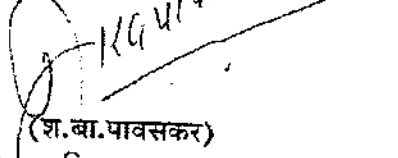
प्रस्तुत शासन निर्णय मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखालील दिनांक २३.५.२०१४ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या सभेत दिलेल्या मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

सहपत्रे : १) अ-१ ते अ-१२

२) ब-१ ते ब-३८

३) अधिसूचित महसूल मंडळाचा तपशील.

  
(श.बा.पावसकर)  
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव
- २) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव
- ३) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव
- ४) मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव
- ५) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक
- ६) अपर मुख्य सचिव, कृषि व पणन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ७) प्रधान सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ८) प्रधान सचिव (नियोजन) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- ९) सचिव (सहकार) मंत्रालय, मुंबई.
- १०) सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (कृषि व सहकार विभाग) कृषि भवन, नवी दिल्ली. (पत्राने)
- ११) सचिव, वित्त मंत्रालय भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली. (पत्राने)
- १२) सह सचिव (फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
- १३) उप सचिव (नि.व.गु.नि.), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
- १४) आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
- १५) अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, १३ वा मजला, अंबादीप बिल्डिंग, कस्तुरबा गांधी मार्ग, कॅनेट प्लेस, नवी दिल्ली.
- १६) विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, २० वा मजला, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, मुंबई-२३
- १७) संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई
- १८) विभागीय आयुक्त (सर्व)
- १९) अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२
- २०) महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बँका ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३
- २१) महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई
- २२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर
- २३) विमा संचालक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई
- २४) संचालक, माहिती आणि प्रसिध्दी ( प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई
- २५) कृषि संचालक (वि.प्र) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
- २६) संचालक (फलोत्पादन) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- २७) मुख्य सख्खिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
- २८) जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/जळगाव/अहमदनगर/सातारा/सांगली/लातूर/नांदेड/अमरावती/यवतमाळ/नागपूर/वर्धा
- २९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/ रायगड/ जळगाव/ अहमदनगर/ सातारा/ सांगली/ लातूर/ नांदेड/ अमरावती/ यवतमाळ /नागपूर/ वर्धा.
- ३०) व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ठाणे/ रायगड/ जळगाव/ अहमदनगर/ सातारा/सांगली/ लातूर/ नांदेड/ अमरावती/ यवतमाळ /नागपूर/ वर्धा
- ३१) विभागीय कृषि सह संचालक, (सर्व)
- ३२) उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५
- ३३) पत विशेषज्ञ, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- ३४) मुख्य अधिकारी, मध्यवर्ती वित्त संस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३
- ३५) सर्व विधानसभा सदस्य
- ३६) सर्व विधानपरिषद सदस्य
- ३७) ग्रंथपाल, ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई
- ३८) मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई

- ३९) व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बँक १५०१, सिवार्जानगर, पुणे-५
- ४०) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे/ रायगड / जळगाव/ अहमदनगर/ सातारा/ सांगली/ लातूर/ नांदेड/ अमरावती / यवतमाळ/ नागपूर / वर्धा
- ४१) अवर सचिव, कृषि व पदुम विभाग (पदुम-१ / पदुम-३) मंत्रालय मुंबई
- ४२) व्यवस्थापक, एच.डी.एफ.सी. इंगो जनरल इंशुरन्स कंपनी लि., १ ला मजला, १६५-१६६, बँक-बं रिक्लेमेशन, एच.टी.पी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई- ४०० ०२०.
- ४३) व्यवस्थापक, रिलायंस जनरल इंशुरन्स कंपनी लि., चिंतामणी एनक्लेव्ह, ५ वा मजला, विरवाणी इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या पुढे, गोरगाव (पूर्व.) मुंबई - ४०० ०६३
- ४४) व्यवस्थापक, बजाज अलायन्स जनरल इंशुरन्स कंपनी लि, १ ला मजला, बो विंग, जी.ई. प्लाझा, एअरपोर्ट रोड, येरवडा, पुणे ४११ ००६
- ४५) निवड नस्ती, कार्यासन ११-अ.

## हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४

विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल  
प्रपत्र अ-१

जिल्हा - ठाणे

| अ.क्र. | पीक | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                        | केंद्र हिस्सा प्रति हे. |                               | राज्य हिस्सा प्रति हे. |                               |
|--------|-----|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |     | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)  | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) |
| १      | २   | ३                         | ४                     | ५                      | ६                       | ७                      | ८                       | ९                             | १०                     | ११                            |
| १      | भात | १५०००                     | ९.५०                  | १४२५                   | ४.८०                    | ७२०                    | २.३५                    | ३५२.५०                        | २.३५                   | ३५२.५०                        |

विमा संरक्षित रकम, विमा हप्ता दर रु. तपशिल  
प्रपत्र अ-२

जिल्हा - रायगड

जिल्हा - रायगड

विमा संरक्षण प्रति हे.

विमा संरक्षित  
रक्कम  
(रु.)

विमा  
हत्ता दर  
(टक्के)

विमा हत्ता  
रक्कम (रु.)

विमा हत्ता  
दर (टक्के)

विमा हत्ता  
रक्कम (रु.)

विमा  
हत्ता दर  
(टक्के)

विमा हत्ता  
अनुदान  
रक्कम (रु.)

विमा  
हत्ता दर  
(टक्के)

विमा हत्ता  
अनुदान  
रक्कम (रु.)

पीक

अ.क्र.

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

३८

३९

४०

४१

४२

४३

४४

४५

४६

४७

४८

४९

५०

५१

५२

५३

५४

५५

५६

५७

५८

५९

६०

६१

६२

६३

६४

६५

६६

६७

६८

६९

७०

७१

७२

७३

७४

७५

७६

७७

७८

७९

८०

८१

८२

८३

८४

८५

८६

८७

८८

८९

९०

९१

९२

९३

९४

९५

९६

९७

९८

९९

१००

१०१

१०२

१०३

१०४

१०५

१०६

१०७

१०८

१०९

११०

१११

११२

११३

११४

११५

११६

११७

११८

११९

१२०

१२१

१२२

१२३

१२४

१२५

१२६

१२७

१२८

१२९

१३०

१३१

१३२

१३३

१३४

१३५

१३६

१३७

१३८

१३९

१४०

१४१

१४२

१४३

१४४

१४५

१४६

१४७

१४८

१४९

१५०

१५१

१५२

१५३

१५४

१५५

१५६

१५७

१५८

१५९

१६०

१६१

१६२

१६३

१६४

१६५

१६६

१६७

१६८

१६९

१७०

१७१

१७२

१७३

१७४

१७५

१७६

१७७

१७८

१७९

१८०

१८१

१८२

१८३

१८४

१८५

१८६

१८७

१८८

१८९

१९०

१९१

१९२

१९३

१९४

१९५

१९६

१९७

१९८

१९९

२००

२०१

२०२

२०३

२०४

२०५

२०६

२०७

२०८

२०९

२१०

२११

२१२

२१३

२१४

२१५

२१६

२१७

२१८

२१९

२२०

२२१

२२२

२२३

२२४

२२५

२२६

२२७

२२८

२२९

२३०

२३१

२३२

२३३

२३४

२३५

२३६

२३७

२३८

२३९

२४०

२४१

२४२

२४३

२४४

२४५

२४६

२४७

२४८

२४९

२५०

२५१

२५२

२५३

२५४

२५५

२५६

२५७

२५८

२५९

२६०

२६१

२६२

२६३

२६४

२६५

२६६

२६७

२६८

२६९

२७०

२७१

२७२

२७३

२७४

२७५

२७६

२७७

# हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४

विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल

प्रपत्र अ-३

जिल्हा - जळगाव

| अ.क्र. | पीक    | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                        | केंद्र हिस्सा प्रति हे. |                               | राज्य हिस्सा प्रति हे.        |                               |
|--------|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|        |        | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) |
| १      | २      | ३                         | ४                     | ५                      | ६                       | ७                      | ८                       | ९                             | १०                            | ११                            |
| १      | उडीद   | १३०००                     | ११.२०                 | १४५६                   | ५.६०                    | ७२८.००                 | २.८०                    | ३६४.००                        | २.८०                          | ३६४.००                        |
| २      | कापूस  | २२०००                     | ७.८०                  | १७१६                   | ४.६८                    | १०२९.६०                | १.५६                    | ३४३.२०                        | १.५६                          | ३४३.२०                        |
| ३      | मूग    | १५०००                     | ७.४०                  | १११०                   | ४.४४                    | ६६६.००                 | १.४८                    | २२२.००                        | १.४८                          | २२२.००                        |
| ४      | ज्वारी | १३०००                     | ११.६०                 | १५०८                   | ५.८०                    | ७५४.००                 | २.९०                    | ३७७.००                        | २.९०                          | ३७७.००                        |



**हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४**  
**विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल**  
**प्रपत्र अ-४**

| अ.क्र. | पीक     | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        |                       | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                       | केंद्र हिस्सा प्रति हे.       |                               | राज्य हिस्सा प्रति हे.        |                               |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|        |         | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.)  | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) |
| १      | २       | ३                         | ४                     | ५                      | ६                     | ७                       | ८                     | ९                             | १०                            | ११                            | १२                            |
| १      | बाजरी   | ७०००                      | १६.९०                 | ११८३                   | ६.००                  | ४२०                     | ५.४५                  | ३८१.५०                        | ५.४५                          | ३८१.५०                        | ३८१.५०                        |
| २      | कापूस   | २००००                     | १२.९०                 | २५८०                   | ६.००                  | १२००                    | ३.४५                  | ६९०.००                        | ३.४५                          | ६९०.००                        | ६९०.००                        |
| ३      | मूग     | १५०००                     | ७.३०                  | १०९५                   | ४.३८                  | ६५७                     | १.४६                  | २१९.००                        | १.४६                          | २१९.००                        | २१९.००                        |
| ४      | सोयाबीन | १९०००                     | ९.००                  | १७१०                   | ४.८०                  | ९१२                     | २.१०                  | ३९९.००                        | २.१०                          | ३९९.००                        | ३९९.००                        |

जिल्हा - अहमदनगर

# हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४

विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल

प्रपत्र अ-५

| अ.क्र. | पीक    | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                        |                       | केंद्र हिस्सा प्रति हे. |                       |                        | राज्य हिस्सा प्रति हे. |                        |                        |
|--------|--------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|        |        | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.)  | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)  | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) |
| १      | २      | ३                         | ४                     | ५                      | ६                       | ७                      | ८                     | ९                       | १०                    | ११                     | १२                     | १३                     | १४                     |
| १      | बाजरी  | १२०००                     | ८.३०                  | ९९६.००                 | ४.८०                    | ५७६.००                 | १.७५                  | २१०.००                  | १.७५                  | २१०.००                 | २.००                   | ३००.००                 | ३६३.७५                 |
| २      | ज्वारी | १५०००                     | ८.८०                  | १३२०.००                | ४.८०                    | ७२०.००                 | २.००                  | ३००.००                  | २.००                  | ३००.००                 | २.४३                   | ३६३.७५                 | ३३०.००                 |
| ३      | भात    | १५०००                     | ९.७०                  | १४५५.००                | ४.८५                    | ७२७.५०                 | २.४३                  | ३६३.७५                  | २.४३                  | ३६३.७५                 | २.४३                   | ३६३.७५                 | ३३०.००                 |
| ४      | मूग    | १५०००                     | ९.२०                  | १३८०.००                | ४.८०                    | ७२०.००                 | २.२०                  | ३३०.००                  | २.२०                  | ३३०.००                 | २.२०                   | ३३०.००                 | ३३०.००                 |

जिल्हा - सातारा

# हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४

विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल  
प्रपत्र अ-६

जिल्हा - सांगली

| अ.क्र. | पीक     | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                        | केंद्र हिस्सा प्रति हे. |                               | राज्य हिस्सा प्रति हे. |                               |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|        |         | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)  | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) |
| १      | २       | ३                         | ४                     | ५                      | ६                       | ७                      | ८                       | ९                             | १०                     | ११                            |
| १      | ज्वारी  | १५०००                     | १०.००                 | १५००.००                | ५.००                    | ७५०.००                 | २.५०                    | ३७५.००                        | २.५०                   | ३७५.००                        |
| २      | बाजरी   | १२०००                     | ६.८५                  | ८२२.००                 | ४.११                    | ४९३.२०                 | १.३७                    | १६४.४०                        | १.३७                   | १६४.४०                        |
| ३      | सोयाबीन | १९०००                     | ६.८५                  | १३०१.५०                | ४.११                    | ७८०.९०                 | १.३७                    | २६०.३०                        | १.३७                   | २६०.३०                        |
| ४      | उडीद    | १५०००                     | ६.८५                  | १०२७.५०                | ४.११                    | ६१६.५०                 | १.३७                    | २०५.५०                        | १.३७                   | २०५.५०                        |

# हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४

विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल  
प्रपत्र अ-७

जिल्हा - लातूर

| अ.क्र. | पीक     | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                        | केंद्र हिस्सा प्रति हे. |                        | राज्य हिस्सा प्रति हे. |                        |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|        |         | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)  | विमा हप्ता रक्कम (रु.) |
| १      | २       | ३                         | ४                     | ५                      | ६                       | ७                      | ८                       | ९                      | १०                     | ११                     |
| १      | सोयाबीन | १९०००                     | ९.५०                  | १८०५.००                | ४.८०                    | ९१२.००                 | २.३५                    | ४४६.५०                 | २.३५                   | ४४६.५०                 |
| २      | ज्वारी  | १५०००                     | ९.६५                  | १४४७.५०                | ४.८३                    | ७२४.५०                 | २.४१                    | ३६१.५०                 | २.४१                   | ३६१.५०                 |
| ३      | उडीद    | १५०००                     | ९.७५                  | १४६२.५०                | ४.८८                    | ७३१.२५                 | २.४४                    | ३६५.६३                 | २.४४                   | ३६५.६३                 |
| ४      | मूग     | १५०००                     | ९.६५                  | १४४७.५०                | ४.८३                    | ७२३.७५                 | २.४१                    | ३६१.८८                 | २.४१                   | ३६१.८८                 |

# हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४

विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल  
प्रपत्र अ-८

जिल्हा - नांदेड

| अ.क्र. | पीक     | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                        | केंद्र हिस्सा प्रति हे. |                        | राज्य हिस्सा प्रति हे. |                        |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|        |         | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)  | विमा हप्ता रक्कम (रु.) |
| १      | २       | ३                         | ४                     | ५                      | ६                       | ७                      | ८                       | ९                      | १०                     | ११                     |
| १      | उडीद    | १४०००                     | १०.८०                 | १५१२                   | ५.४०                    | ७५६.००                 | २.७०                    | ३७८.००                 | २.७०                   | ३७८.००                 |
| २      | कापूस   | २२०००                     | ७.२०                  | १५८४                   | ४.३२                    | ९५०.४०                 | १.४४                    | ३१६.८०                 | १.४४                   | ३१६.८०                 |
| ३      | मूग     | १५०००                     | ६.८०                  | १०२०                   | ४.०८                    | ६१२.००                 | १.३६                    | २०४.००                 | १.३६                   | २०४.००                 |
| ४      | सोयाबीन | १९०००                     | ९.७०                  | १८४३                   | ४.८६                    | ९२३.४०                 | २.४२                    | ४५९.८०                 | २.४२                   | ४५९.८०                 |

## हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४

विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल  
प्रपत्र अ-९

जिल्हा - अमरावती

| अ.क्र. | पीक     | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        |                       | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                       | केंद्र हिस्सा प्रति हे. |                       | राज्य हिस्सा प्रति हे.        |                               |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|        |         | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.)  | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.)  | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) |
| १      | १       | ३                         | ४                     | ५                      | ६                     | ७                       | ८                     | ९                       | १०                    | ११                            |                               |
| १      | उडीद    | १४०००                     | १०.८०                 | १५१२                   | ५.४०                  | ७५६.००                  | २.७०                  | ३७८.००                  | २.७०                  | ३७८.००                        |                               |
| २      | कापूस   | २२०००                     | ११.२०                 | २४६४                   | ५.६०                  | १२३२.००                 | २.८०                  | ६१६.००                  | २.८०                  | ६१६.००                        |                               |
| ३      | मूग     | १५०००                     | ६.६०                  | ९९०                    | ३.९६                  | ५९४.००                  | १.३२                  | १९८.००                  | १.३२                  | १९८.००                        |                               |
| ४      | सोयाबीन | १९०००                     | ७.७०                  | १४६३                   | ४.६२                  | ८७७.८०                  | १.५४                  | २९२.६०                  | १.५४                  | २९२.६०                        |                               |

# हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४

विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल  
प्रपत्र अ-१०

जिल्हा - यवतमाळ

| अ.क्र. | पीक     | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                        | केंद्र हिस्सा प्रति हे. |                        | राज्य हिस्सा प्रति हे. |                        |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|        |         | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)  | विमा हप्ता रक्कम (रु.) |
| १      | १       | ३                         | ४                     | ५                      | ६                       | ७                      | ८                       | ९                      | १०                     | ११                     |
| १      | उडीद    | १५०००                     | ९.४०                  | १४१०                   | ४.८०                    | ७२०.००                 | २.३०                    | ३४५.००                 | २.३०                   | ३४५.००                 |
| २      | कापूस   | २२०००                     | १०.७०                 | २३५४                   | ५.३६                    | ११७९.२०                | २.६७                    | ५८७.४०                 | २.६७                   | ५८७.४०                 |
| ३      | मूग     | १५०००                     | ६.००                  | ९००                    | ३.७६                    | ५६४.००                 | १.१२                    | १६८.००                 | १.१२                   | १६८.००                 |
| ४      | सोयाबीन | १९०००                     | ७.५०                  | १४२५                   | ४.५०                    | ८५५.००                 | १.५०                    | २८५.००                 | १.५०                   | २८५.००                 |

## हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४

विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल  
प्रपत्र अ-११

जिल्हा - नागपूर

| अ.क्र. | पीक     | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                        | केंद्र हिस्सा प्रति हे. |                               | राज्य हिस्सा प्रति हे.        |                               |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|        |         | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) | विमा हप्ता अनुदान रक्कम (रु.) |
| १      | २       | ३                         | ४                     | ५                      | ६                       | ७                      | ८                       | ९                             | १०                            | ११                            |
| १      | कापूस   | २२०००                     | ९.५                   | २०९०                   | ४.८                     | १०५६.००                | २.३५                    | ५१७.००                        | २.३५                          | ५१७.००                        |
| २      | सोयाबीन | १९०००                     | ६.६                   | १२५४                   | ३.९६                    | ७५२.४०                 | १.३२                    | २५०.८०                        | १.३२                          | २५०.८०                        |



# हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१४

विमा संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल  
प्रपत्र अ-१२

जिल्हा - वर्धा

| अ.क्र. | पीक     | विमा संरक्षण प्रति हे.    |                       |                        | शेतकरी हिस्सा प्रति हे. |                        | केंद्र हिस्सा प्रति हे. |                        | राज्य हिस्सा प्रति हे. |                        |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|        |         | विमा संरक्षित रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के) | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)   | विमा हप्ता रक्कम (रु.) | विमा हप्ता दर (टक्के)  | विमा हप्ता रक्कम (रु.) |
| १      | २       | ३                         | ४                     | ५                      | ६                       | ७                      | ८                       | ९                      | १०                     | ११                     |
| १      | कापूस   | २२०००                     | ११.३०                 | २४८६                   | ५.६६                    | १२४५.२०                | २.८२                    | ६२०.४०                 | २.८२                   | ६२०.४०                 |
| २      | सोयाबीन | १९०००                     | ६.१०                  | ११५९                   | ३.७६                    | ७१४.४०                 | १.१७                    | २२२.३०                 | १.१७                   | २२२.३०                 |

प्रपत्र - ख १  
हवामान आधारित पीक विमा योजना - खरीप हंगाम २०१४

पीक - भात

जिल्हा - ठाणे

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणके

संबंध हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १० जून २०१४ ते १५ नोव्हेंबर २०१४

| कालावधी                          | टप्पा १<br>१० जून २०१४ ते<br>१० जुलै २०१४                | टप्पा २<br>११ जुलै २०१४ ते<br>३१ जुलै २०१४ | टप्पा ३<br>१ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>१५ नोव्हेंबर २०१४ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| दर्शक                            | टप्पा निहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = २५ मि.मी. |                                            |                                             |                                                    |
| स्ट्राईक १ (<)                   | २० घटक ५०० मि.मी.                                        | २५ घटक ६२५ मि.मी.                          | २५ घटक ६२५ मि.मी.                           | २० घटक ५०० मि.मी.                                  |
| निर्गमन                          | ० घटक ० मि.मी.                                           | ० घटक ० मि.मी.                             | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                     |
| दर अ.र. प्रती घटक                | ८१.५२                                                    | १०४.३५                                     | ६५.००                                       | ८२.००                                              |
| दर ब.र. प्रती घटक                | ८१.५२                                                    | १३६.९६                                     | १३४.००                                      | १६५.००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (र./हे.) | १६३०.४३                                                  | २६०८.७०                                    | १६३०.४३                                     | १६३०.४३                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (र./हे.) | १६३०.४३                                                  | ३४२३.९१                                    | ३३४२                                        | ३३०१.६३                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई (र./हे.)       | ७५००                                                     |                                            |                                             |                                                    |

टीप १ : टप्प्यातील (टप्पा क्र १, २ व ३) पाऊस निर्देशकाच्या दुप्पट व त्यावरील असल्यास, निर्देशकाच्या वरील पावसाच्या २० टक्के आकडेवारी पुढील टप्प्यात घेण्यात येईल

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                       | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४             |        |      |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------|------|
| दर्शक                         | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |        |      |
| स्ट्राईक > =                  | १०                                       | १५     | २०   |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(र./हे.) | ४१६.६७                                   | ८३३.३३ | १२५० |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>(र./हे.) | रु. २५०० |
|------------------------------------|----------|

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                       | टप्पा १<br>५ सप्टेंबर २०१४ ते ३०<br>सप्टेंबर २०१४                                                                                                                               | टप्पा २<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते १५ नोव्हेंबर<br>२०१४ |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| दर्शक                         | सलग दोन दिवसांची पर्जन्यवृष्टी ERS1 च्या अतिरिक्त अधिक पुढील दिवसांची पर्जन्यवृष्टी, जर ती ERS2 पेक्षा जास्त असेल (दुसऱ्या दिवसाच्या पर्जन्यवृष्टीत एक दिवसाचे अंतर मान्य आहे.) |                                                   |
| ईआरएस १                       | १५० मि.मी.                                                                                                                                                                      | ११० मि.मी.                                        |
| ईआरएस २                       | ५० मि.मी.                                                                                                                                                                       | १० मि.मी.                                         |
| दर (र./मि.मी.)                | २१.२८                                                                                                                                                                           | २८.७२                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(र./हे.) | २१२७.६६                                                                                                                                                                         | २८७२.३४                                           |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>देय (र./हे.) | रु. ५००० |
|----------------------------------------|----------|

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु<br>प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)             | १४२५  |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                    | ९.५०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अशा केली जाणार नाही.

| कालावधी                           | टप्पा १<br>१० जून २०१४ ते<br>१० जुलै २०१४               | टप्पा २<br>११ जुलै २०१४ ते<br>३१ जुलै २०१४ | टप्पा ३<br>१ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>१५ नोव्हेंबर २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| दशक                               | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = २५ मि.मी. |                                            |                                             |                                                    |
| स्टाईक १ (<)                      | २० घटक ५०० मि.मी.                                       | ३५ घटक ८७५ मि.मी.                          | ३० घटक ७५० मि.मी.                           | २० घटक ५०० मि.मी.                                  |
| निर्गमन                           | ०० घटक ०० मि.मी.                                        | ०० घटक ०० मि.मी.                           | ०० घटक ०० मि.मी.                            | ०० घटक ०० मि.मी.                                   |
| दर अ रु. प्रती घटक                | ८२                                                      | ७५                                         | ५४                                          | ८२                                                 |
| दर ब रु. प्रती घटक                | ८२                                                      | ७५                                         | ५४                                          | ८२                                                 |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १६३०                                                    | २६१०                                       | १६३०                                        | १६३०                                               |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १६३०                                                    | २६१०                                       | १६३०                                        | १६३०                                               |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | १६३०                                                    | २६१०                                       | ३३४२                                        | ३२१५                                               |

टीप १ : टप्प्यातील (टप्पा क १, २ व ३) पाऊस निर्देशकांच्या दुप्पट व त्यावरील असल्यास, निर्देशकांच्या वरील पावसाच्या २० टक्के आकडेवारी पुढील टप्प्यात घेण्यात येईल

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई व लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                        | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४             |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| दशक                            | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्टाईक > =                     | १०                                       |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ४१७                                      |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | रु.२५०० |
|-------------------------------------|---------|

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                        | टप्पा १<br>५ सप्टेंबर २०१४ ते ३०<br>सप्टेंबर २०१४                                                                                                                               | टप्पा २<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>१५ नोव्हेंबर २०१४ |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| दशक                            | सलग दोन दिवसांची पर्जन्यवृष्टी ERS1 च्या अतिरिक्त अधिक पुढील दिवसांची पर्जन्यवृष्टी, जर ती ERS2 पेक्षा जास्त असेल (दुसऱ्या दिवसाच्या पर्जन्यवृष्टीत एक दिवसाचे अंतर मान्य आहे.) |                                                   |
| ईआरएस १                        | २५० मि.मी.                                                                                                                                                                      | ११० मि.मी.                                        |
| ईआरएस २                        | ५० मि.मी.                                                                                                                                                                       | १० मि.मी.                                         |
| दर (रु./मि.मी.)                | २१.२७                                                                                                                                                                           | २८.७३                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | २१२७                                                                                                                                                                            | २८७३                                              |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>देय (रु./हे.) | रु.५००० |
|-----------------------------------------|---------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १३५०  |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | ९     |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

पीक - कापूस

जिल्हा - अहमदाबाद

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणांके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल पंचसह स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : २५ जून २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२५ जून २०१४ ते<br>१० जुलै २०१४                 | टप्पा २<br>११ जुलै २०१४ ते<br>२५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>२६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ४<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरांक                             | टप्पा निहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटका पाऊस = १० मि.मी. |                                             |                                                 |                                                 |
| स्टार्टिंग १ (<)                  | ८ घटका ८० मि.मी.                                          | २२ घटका २२० मि.मी.                          | १६ घटका १६० मि.मी.                              | ५ घटका ५० मि.मी.                                |
| स्टार्टिंग २ (<)                  | ३ घटका ३० मि.मी.                                          | ८ घटका ८० मि.मी.                            | ४ घटका ४० मि.मी.                                | ३ घटका ३० मि.मी.                                |
| निगमन                             | ० घटका ० मि.मी.                                           | ० घटका ० मि.मी.                             | ० घटका ० मि.मी.                                 | ० घटका ० मि.मी.                                 |
| दर अ १) रु. प्रती घटका            | ४९                                                        | ४९                                          | २५                                              | १२०                                             |
| दर अ २) रु. प्रती घटका            | ६५१.६७                                                    | ३३९.२५                                      | ५१५                                             | ४२६.६७                                          |
| दर ब १) रु. प्रती घटका            | ४९                                                        | ६६                                          | ३०                                              | २९०                                             |
| दर ब २) रु. प्रती घटका            | ६५१.६७                                                    | ४४७                                         | ९३५                                             | ७०६.६७                                          |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २२००                                                      | ३४००                                        | २४००                                            | १५००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २२००                                                      | ४५००                                        | ४९००                                            | २७००                                            |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.) | १५०० |
|-----------------------------|------|

टीप १ : टप्प्यातील (टप्पा क्र १, २ व ३) पाऊस निर्देशांकच्या दुप्पट व त्यावरील असल्यास, निर्देशांकच्या वरील पावसाच्या २० टक्के आकडेवारी पुढील टप्प्यात घेण्यात येईल.

टीप २ : कोणत्याही मागील टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असल्यास पुढील सर्व टप्प्यात अ १ आणि अ २ दराने नुकसान भरपाई देव राहील. तसे नसल्यास ब १ आणि ब २ दराने देव राहील. काणत्याही मागील टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असल्यास पुढील सर्व टप्प्यात कमाल देव रक्कम अ प्रमाणे राहील. तसे नसल्यास कमाल देव रक्कम ब प्रमाणे राहील.

१ ब) पावसाचे विवरण :

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| कालावधी                        | २५ जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४        |
| दरांक                          | क्रमवार कोरडप दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्टार्टिंग १ =>                | १०                                     |
| स्टार्टिंग २ =>                | २४                                     |
| निगमन                          | ४०                                     |
| दर १ (रु. प्रती सलग दिवस)      | ७०                                     |
| दर २ (रु. प्रती सलग दिवस)      | २३६.४७                                 |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ५०००                                   |

टिप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते ५<br>जुलै २०१४                           | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते १५<br>ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते २५<br>ऑक्टोबर २०१४ | टप्पा ४<br>२६ ऑक्टोबर २०१४ ते ३१<br>ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| दरांक                            | सलग तीन दिवस अति पाऊस झाल्यास, त्यादिकाणी एक पाऊस घटका = १० मि.मी. |                                            |                                                |                                                  |
| स्टार्टिंग १ >                   | १९.५ घटका १९५ मि.मी.                                               | २० घटका २०० मि.मी.                         | २० घटका २०० मि.मी.                             | १५ घटका १५० मि.मी.                               |
| निगमन                            | ३० घटका ३०० मि.मी.                                                 | ३० घटका ३०० मि.मी.                         | ३० घटका ३०० मि.मी.                             | ३० घटका ३०० मि.मी.                               |
| दर अ (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                             | २००                                        | २००                                            | १३३.३३                                           |
| दर ब (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                             | ३५०                                        | ५५०                                            | ५००                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | १५००                                                               | २०००                                       | २०००                                           | २०००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब (रु./हे.) | १५००                                                               | ३५००                                       | ५५००                                           | ७५००                                             |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>देव (रु./हे.) | ४,७५०० |
|-----------------------------------------|--------|

टिप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब लागू होईल.

टिप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु.<br>प्रति हे. | २२००० |
| विमा हप्त्या प्रती हेक्टरा (रु.)          | १७९६  |
| विमा हप्त्या दर (टक्के)                   | ७.८०  |

टिप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु ५,००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देव झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विभा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>१५ जून २०१४ ते<br>७ जुलै २०१४                | टप्पा २<br>८ जुलै २०१४ ते<br>५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| दशक                               | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                           |                                             |
| स्ट्राइक १ <                      | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ९ घटक ९० मि.मी.                           | ७ घटक ७० मि.मी.                             |
| निर्गमन                           | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                            | ० घटक ० मि.मी.                              |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | २६७.८६                                                  | २०८.३३                                    | २६७.८६                                      |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | २६७.८६                                                  | ३१२.५                                     | ४६८.७५                                      |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १८७५                                                    | १८७५                                      | १८७५                                        |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १८७५                                                    | २८१२.५०                                   | ३२८१.३०                                     |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | ५६२५                                                    |                                           |                                             |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                          | १ जुलै २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| दशक                              | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राइक १ >= (दिवस)             | १०                                       |
| स्ट्राइक २ >= (दिवस)             | २२                                       |
| निर्गमन                          | ४५                                       |
| दर अ) रु. प्रती सलग दिवस         | ५७.५                                     |
| दर ब) रु. प्रती सलग दिवस         | १७९.६                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | ५०००                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                             | टप्पा १<br>१६ जून २०१४ ते १५<br>जुलै २०१४ | टप्पा २<br>१६ जुलै २०१४ ते १५<br>ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते १५<br>सप्टेंबर २०१४ |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दशक                                 | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी.  |                                             |                                                 |
| स्ट्राइक >                          | ६.५ मि.मी.                                | ६.५ मि.मी.                                  | ५ मि.मी.                                        |
| निर्गमन                             | १३ मि.मी.                                 | १३ मि.मी.                                   | १३ मि.मी.                                       |
| दर अ रु. प्रती घटक                  | ३०७.६९                                    | ३०७.६९                                      | ७५०                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.)    | १२५०                                      | १२५०                                        | १८७५                                            |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ४३७५                                      |                                             |                                                 |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विभा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. |       |
| विभा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १५००० |
| विभा हप्ता दर (टक्के)                 | १७४०  |
|                                       | ११.६० |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

| कालावधी                     | टप्पा १                                                 | टप्पा २                      | टप्पा ३                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                             | १५ जून २०१४ ते ३० जून २०१४                              | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ |
| दरशक                        | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                              |                                     |
| स्ट्राईक १ (<)              | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ५ घटक ५० मि.मी.              | ४ घटक ४० मि.मी.                     |
| निर्गमन                     | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                      |
| दर अ) रु. प्रती घटक         | २१४.२९                                                  | १००.००                       | ५६२.५०                              |
| दर ब) रु. प्रती घटक         | २१४.२९                                                  | १०५.००                       | १२१८.७५                             |
| कमाल नुकसान भरपाई           |                                                         |                              |                                     |
| अ) (रु./हे.)                | १५००                                                    | ४५००                         | २२५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई           |                                                         |                              |                                     |
| ब) (रु./हे.)                | १५००                                                    | ५२५०                         | ४८७५                                |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.) |                                                         |                              | ८२५०                                |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होतील.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होतील.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                  | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
| दरशक                     | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ = >           | ८                                        |
| स्ट्राईक २ = >           | २५                                       |
| निर्गमन                  | ४४                                       |
| दर १) रु. सलग प्रती दिवस | १५.००                                    |
| दर २) रु. सलग प्रती दिवस | १९.७५                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई        |                                          |
| (रु./हे.)                | २२५०                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी           | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                   | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दरशक              | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक १ >      | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्गमन           | ३१.५ घटक ३१५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५ घटक २७५ मि.मी.               |
| दर रु. प्रती घटक  | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई |                                          |                               |                                   |
| (रु./हे.)         | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | रु. ४५०० |
|----------------------------------|----------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १११०  |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | ७.४   |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

पीक - उडीद

जिल्हा - जळगाव

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणणे

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ तार

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                        | टप्पा १                                                 | टप्पा २                      | टप्पा ३                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                | १५ जून २०१४ ते ३० जून २०१४                              | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                          | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                              |                                     |
| स्ट्राईक १ (>)                 | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ८ घटक ८० मि.मी.              | ५ घटक ५० मि.मी.                     |
| निगमन                          | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                      |
| दर अ) रु. प्रती घटक            | २१४.२९                                                  | ५६२.५०                       | ४५०.००                              |
| दर ब) रु. प्रती घटक            | २१४.२९                                                  | ६५६.२५                       | ९७५.००                              |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                         | २३५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                         | ४८७५                                |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)    | ८२५०                                                    |                              |                                     |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                       | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
| दर्शक                         | प्रत्येक कोरड्या दिवसाचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ = >                | ८                                        |
| स्ट्राईक २ = >                | २५                                       |
| निगमन                         | ४४                                       |
| दर १) रु. प्रती सलग दिवस      | १५.००                                    |
| दर २) रु. प्रती सलग दिवस      | १९.७५                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई अ (रु./हे.) | २२५०                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                            | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक >                       | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निगमन                            | ३१.५ घटक ३१५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५ घटक २७५ मि.मी.               |
| दर रु. प्रती घटक                 | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.)      | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | ४.४५००                                   |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्त्या प्रति हेक्टर (रु)        | २२४०  |
| विमा हप्त्या दर (टक्के)               | ११.२० |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

पीक - कापूस  
हवामान घटकांची प्रमाणिके  
१ अ) कमी पर्जन्यमान

तारीख - सर्व  
संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ प्लार

विभा संरक्षण कालावधी : २५ जून २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२५ जून २०१४ ते<br>१० जुलै २०१४                | टप्पा २<br>११ जुलै २०१४ ते<br>२५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>२६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ४<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरांक                             | टप्पा निहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                             |                                                 |                                                 |
| स्ट्राईक १ (<)                    | < घटक ८० मि.मी.                                          | १५ घटक १५० मि.मी.                           | १२ घटक १२० मि.मी.                               | ५ घटक ५० मि.मी.                                 |
| स्ट्राईक २ (<)                    | २ घटक २० मि.मी.                                          | ७ घटक ७० मि.मी.                             | ५ घटक ५० मि.मी.                                 | ३ घटक ३० मि.मी.                                 |
| निर्गमन                           | ० घटक ० मि.मी.                                           | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                  | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ १) रु. प्रति घटक             | ४०                                                       | ८५                                          | ७०                                              | १२०                                             |
| दर अ २) रु. प्रति घटक             | १८०                                                      | ३८७.४३                                      | ३८२                                             | ४२६.६७                                          |
| दर ब १) रु. प्रति घटक             | ४०                                                       | १२६                                         | १३६                                             | २९०                                             |
| दर ब २) रु. प्रति घटक             | १८०                                                      | ५१०.२९                                      | ६२९.६०                                          | ७०६.६७                                          |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २२००                                                     | ३४००                                        | २४००                                            | १५००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २२००                                                     | ४५००                                        | ४१००                                            | २७००                                            |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.) | १५०० |
|-----------------------------|------|

टीप १ : टप्पातील (टप्पा क्र १, २ व ३) पाऊस निर्देशांकाच्या दुप्पट व त्यावरील असल्यास, निर्देशांकाच्या बरोल पावसाच्या २० टक्के आकडेवारी पुढील टप्प्यात देण्यात येईल.

टीप २ : कोणत्याही मागील टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असल्यास पुढील सर्व टप्प्यात अ १ आणि अ २ दराने नुकसान भरपाई देव राहिल, तसे नसल्यास ब १ आणि ब २ दराने देव राहिल. काळ्याही मागील टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असल्यास पुढील सर्व टप्प्यात कमाल देव रक्कम अ प्रमाणे राहिल. तसे नसल्यास कमाल देव रक्कम ब प्रमाणे राहिल.

१ अ) धावसाचे विवरण :

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                        | २५ जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४          |
| दरांक                          | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सधेत म्येला काळ |
| स्ट्राईक १ =>                  | १०                                       |
| स्ट्राईक २ =>                  | २४                                       |
| निर्गमन                        | ४०                                       |
| दर १ (रु. प्रति सलग दिवस)      | ७०                                       |
| दर २ (रु. प्रति सलग दिवस)      | २३६.४३                                   |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ५०००                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अग्नि पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते ५<br>जुलै २०१४                           | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते २५<br>ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>२६ ऑगस्ट २०१४ ते २५<br>ऑक्टोबर २०१४ | टप्पा ४<br>२६ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| दरांक                            | सलग तीन दिवस अग्नि पाऊस झाल्यास, त्यादिवशी एक पाऊस घटक = १० मि.मी. |                                            |                                                |                                                  |
| स्ट्राईक १ >                     | १९.५ घटक १९५ मि.मी.                                                | २० घटक २०० मि.मी.                          | २० घटक २०० मि.मी.                              | १५ घटक १५० मि.मी.                                |
| निर्गमन                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                                                  | ३० घटक ३०० मि.मी.                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                              | ३० घटक ३०० मि.मी.                                |
| दर अ (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                             | २००                                        | २००                                            | १३३.३३                                           |
| दर ब (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                             | ३५०                                        | ५५०                                            | ५००                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | २५००                                                               | २०००                                       | २०००                                           | २०००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब (रु./हे.) | २५००                                                               | ३५००                                       | ५५००                                           | ७५००                                             |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>देव (रु./हे.) | रु. ७५०० |
|-----------------------------------------|----------|

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ लक्षात घेईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| एकूण विभा संरक्षित रक्कम रु.<br>प्रति हे. | २९००० |
| विभा हस्ता प्रति हेक्टर (रु.)             | २८३८  |
| विभा हस्ता दर (टक्के)                     | ९२.९० |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देव झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.



विभा संरक्षण कालावधी : २० जून २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४                 | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>१५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>१५ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| दरम्यान                           | टप्पा निहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                            |                                                |
| स्ट्राईक १ <                      | ७ घटक ७० मि.मी.                                          | ८ घटक ८० मि.मी.                            | १० घटक १०० मि.मी.                              |
| स्ट्राईक २ <                      | ३ घटक ३० मि.मी.                                          | ४ घटक ४० मि.मी.                            | ५ घटक ५० मि.मी.                                |
| निर्माण                           | ० घटक ० मि.मी.                                           | ० घटक ० मि.मी.                             | ० घटक ० मि.मी.                                 |
| दर अ १) रु. प्रती घटक             | ६०                                                       | २३७.५०                                     | १५                                             |
| दर अ २) रु. प्रती घटक             | ७११.६७                                                   | ९५०                                        | ८५५                                            |
| दर ब १) रु. प्रती घटक             | ६०                                                       | २९७                                        | १०९                                            |
| दर ब २) रु. प्रती घटक             | ७११.६७                                                   | ११८७.३८                                    | १२३४.७५                                        |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २३७५                                                     | ४७५०                                       | ४७५०                                           |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २३७५                                                     | ५९३८                                       | ७७१९                                           |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)    | ११८७५                                                    |                                            |                                                |

टीप १: एखाद्या ठराविक स्ट्राईक १ पेक्षा दुप्पट पाऊस झाल्यास तो पुढील टप्प्यासाठी पुढे चालू समजण्यात येईल. टप्पा १ च्या माध्यमात २० टक्के पर्जन्यमान. स्ट्राईक १ पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास (स्ट्राईक मधील दुप्पट पाऊस झाल्यास) तो टप्पा २ मध्ये पुढे विचारता येण्यात येईल. टप्पा २ च्या बाबतीत २० टक्के पर्जन्यमान. स्ट्राईक १ पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास (स्ट्राईक मधील दुप्पट पाऊस झाल्यास) तो टप्पा ३ मध्ये पुढे विचारता येण्यात येईल.

टीप २: जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ १ आणि अ २ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब १ आणि ब २ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण

| कालावधी                          | २० जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| दरम्यान                          | कम्यार कोरड्या दिवसांचा सर्व्हेल मंडळ काढ |
| स्ट्राईक १ >                     | ८                                         |
| स्ट्राईक २ >                     | ३०                                        |
| निर्माण                          | ४०                                        |
| दर १) रु. प्रती दिवस             | ३०                                        |
| दर २) रु. प्रती दिवस             | २४२.२७                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | ३३२५                                      |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कमी दिवस गणण्यात येईल.

२) अनि पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४                         | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>१५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>१५ ऑक्टोबर २०१४ | टप्पा ४<br>१६ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| दरम्यान                          | सलग दोन दिवस सर्वाधिक पाऊस, त्याठिकाणी १ पावसाचे घटक = १० मि.मी. |                                            |                                                |                                                  |
| स्ट्राईक >                       | १० घटक १०० मि.मी.                                                | १० घटक १०० मि.मी.                          | १० घटक १०० मि.मी.                              | ६ घटक ६० मि.मी.                                  |
| निर्माण                          | २० घटक २०० मि.मी.                                                | ३० घटक ३०० मि.मी.                          | २० घटक २०० मि.मी.                              | १२ घटक १२० मि.मी.                                |
| दर अ रु. प्रती घटक               | १५.००                                                            | ४७.५०                                      | १५.००                                          | १५.००                                            |
| दर ब रु. प्रती घटक               | १५.००                                                            | १५.००                                      | २८५                                            | ६३३.३३                                           |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | १५०                                                              | १५०                                        | १५०                                            | १५०                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब (रु./हे.) | १५०                                                              | १९००                                       | २८५०                                           | ३८००                                             |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ३८०० |
|--------------------------------|------|

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| एकूण विभा संरक्षित रक्कम रु.<br>प्रति हे. | ११००० |
| विभा हप्त्या प्रती हेक्टरां (रु.)         | १७१०  |
| विभा हप्ता दर (टक्के)                     | १.००  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देव झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केले जाणार नाही.

फीक - बाजरी

जिल्हा - अहमदनगर

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>१५ जून २०१४ ते<br>१५ जुलै २०१४               | टप्पा २<br>१६ जुलै २०१४ ते<br>१५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>१५ सप्टेंबर २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दर्शक                             | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                             |                                                 |
| स्ट्राईक <                        | ५ घटक ५० मि.मी.                                         | ४ घटक ४० मि.मी.                             | ३ घटक ३० मि.मी.                                 |
| निर्गमन                           | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | ६४०                                                     | ६००                                         | ८००                                             |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | ६४०                                                     | १०००                                        | १२००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | ३२००                                                    | २४००                                        | २४००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | ३२००                                                    | ४०००                                        | ३६००                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | ८०००                                                    |                                             |                                                 |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                        | १५ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४            |
| दर्शक                          | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ >= (दिवस)           | १०                                       |
| स्ट्राईक २ >= (दिवस)           | २२                                       |
| निर्गमन                        | ४५                                       |
| दर १) रु. प्रती सलग दिन        | २८                                       |
| दर २) रु. प्रती सलग दिन        | ३६                                       |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | १२००                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| कालावधी                        | १५ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४    |
| दर्शक                          | क्रमवार दोन दिवसांचे एकूण पर्जन्यमान |
| स्ट्राईक >                     | ८० मि.मी.                            |
| निर्गमन                        | १३० मि.मी.                           |
| दर रु. प्रती मि.मी.            | ५६                                   |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | २८००                                 |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १२००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | २०२८  |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | १६.९० |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

पीक - मूग

जिल्हा - अहमदनगर

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणे

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                        | टप्पा १                                                 | टप्पा २                      | टप्पा ३                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                | १५ जून २०१४ ते २० जून २०१४                              | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                          | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                              |                                     |
| स्ट्राईक १ (<)                 | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ५ घटक ५० मि.मी.              | ४ घटक ४० मि.मी.                     |
| स्ट्राईक २ (<)                 | २ घटक २० मि.मी.                                         | ३ घटक ३० मि.मी.              | १ घटक १० मि.मी.                     |
| निर्गमन                        | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                      |
| दर अ१) रु. प्रती घटक           | ७५.००                                                   | ४५०.००                       | २२५.००                              |
| दर अ२) रु. प्रती घटक           | ५६२.५०                                                  | १२००.००                      | १८००.००                             |
| दर व१) रु. प्रती घटक           | ७५.००                                                   | ५२५.००                       | ४८७.५०                              |
| दर व२) रु. प्रती घटक           | ५६२.५०                                                  | १४००.२५                      | ३९००.००                             |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                         | २२५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                         | ४८७५                                |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)    | ८२५०                                                    |                              |                                     |

टोप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ १ आणि दर अ २ लागू होतील.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर व १ आणि दर व २ लागू होतील.

टोप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                     | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४           |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| दर्शक                       | कमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ = >              | ८                                      |
| स्ट्राईक २ = >              | २५                                     |
| निर्गमन                     | ४४                                     |
| दर १) रु. सलग प्रती दिवस    | १५.००                                  |
| दर २) रु. सलग प्रती दिवस    | १९.७५                                  |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | २२५०                                   |

टिप : जर दिवसाच्या एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते २५ सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                            | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक १ >                     | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्गमन                          | ३१.५ घटक ३१५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५ घटक २७५ मि.मी.               |
| दर रु. प्रती घटक                 | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.)      | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | रु. ४५००                                 |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्त्या प्रति हेक्टर (रु)        | १०९५  |
| विमा हप्त्या दर (टक्के)               | ७.३   |

टिप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

विमा संरक्षण कालावधी : १० जून २०१४ ते १५ नोव्हेंबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>१० जून २०१४ ते<br>१० जुलै २०१४               | टप्पा २<br>११ जुलै २०१४ ते<br>३१ जुलै २०१४ | टप्पा ३<br>१ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>१५ नोव्हेंबर २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| दर्शक                             | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = २५ मि.मी. |                                            |                                             |                                                    |
| स्ट्राईक १ (<)                    | ४ घटक १०० मि.मी.                                        | ६ घटक १५० मि.मी.                           | ६ घटक १५० मि.मी.                            | ४ घटक १०० मि.मी.                                   |
| निगमन                             | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                             | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                     |
| दर अ रु. प्रती घटक                | ४०७.६१                                                  | ४३४.७८                                     | २७१.७४                                      | ४०७.६१                                             |
| दर ब रु. प्रती घटक                | ४०७.६१                                                  | ५७०.६५                                     | ५५७.०७                                      | ८२५.४१                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १६३०.४३                                                 | २६०८.७                                     | १६३०.४३                                     | १६३०.४३                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १६३०.४३                                                 | ३४२३.९१                                    | ३३४१                                        | ३३०१.६३                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | ७५००                                                    |                                            |                                             |                                                    |

टीप १ : टप्प्यातील (टप्पा क्र १, २ व ३) पाऊस निर्देशकांच्या दुप्पट व त्यावरील असल्यास, निर्देशकांच्या वरील पावसाच्या २० टक्के आकडेवारी पुढील टप्प्यात घेण्यात येईल

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                        | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४             |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| दर्शक                          | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काल |
| स्ट्राईक > =                   | १० २० ३०                                 |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ४१६.६७ ८३३.३३ १२५०                       |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | रु. २५०० |
|-------------------------------------|----------|

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                        | टप्पा १<br>५ सप्टेंबर २०१४ ते ३०<br>सप्टेंबर २०१४                                                                                                                               | टप्पा २<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>१५ नोव्हेंबर २०१४ |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| दर्शक                          | सलग दोन दिवसांचो पर्जन्यवृष्टी ERS1 च्या अतिरिक्त अधिक पुढील दिवसांचो पर्जन्यवृष्टी, जर तो ERS2 पेक्षा जास्त असेल (दुसऱ्या दिवसाच्या पर्जन्यवृष्टीत एक दिवसाने अंतर मान्य आहे.) |                                                   |
| ईआरएस १                        | १५० मि.मी.                                                                                                                                                                      | ११० मि.मी.                                        |
| ईआरएस २                        | ५० मि.मी.                                                                                                                                                                       | १० मि.मी.                                         |
| दर (रु./मि.मी.)                | २१.२८                                                                                                                                                                           | २८.७२                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | २१२७.६६                                                                                                                                                                         | २८७२.३४                                           |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>देय (रु./हे.) | रु. ५००० |
|-----------------------------------------|----------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १४५५  |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | १.७०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - ब १२  
हवामान आधारित पीक विमा योजना - खरीप हंगाम २०१४  
पीक - बाजरी  
जिल्हा - सातारा

तहसिल - सर्व  
संदर्भ हवामान केंद्र - पहसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>१५ जून २०१४ ते<br>१५ जुलै २०१४               | टप्पा २<br>१६ जुलै २०१४ ते<br>१५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>१५ सप्टेंबर २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दर्शक                             | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                             |                                                 |
| स्ट्राईक <                        | ५ घटक ५० मि.मी.                                         | ४ घटक ४० मि.मी.                             | ४ घटक ४० मि.मी.                                 |
| निर्गमन                           | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | ६४०                                                     | ६००                                         | ६००                                             |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | ६४०                                                     | १०००                                        | १००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | ३२००                                                    | २४००                                        | २४००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | ३२००                                                    | ४०००                                        | ३६००                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | ८०००                                                    |                                             |                                                 |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण

| कालावधी                        | १५ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४            |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| दर्शक                          | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ >= (दिवस)           | १०                                       |
| स्ट्राईक २ >= (दिवस)           | २२                                       |
| निर्गमन                        | ४५                                       |
| दर १) रु. प्रती सलग दिन        | २८                                       |
| दर २) रु. प्रती सलग दिन        | ३६                                       |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | १२००                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                        | १५ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४    |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| दर्शक                          | क्रमवार दोन दिवसांचे एकूण पर्जन्यमान |
| स्ट्राईक >                     | ८० मि.मी.                            |
| निर्गमन                        | १३० मि.मी.                           |
| दर रु. प्रती मि.मी.            | ५६                                   |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | २८००                                 |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १२००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | ११९   |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | ८.३   |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - व १३  
हवामान आधारित पीक विमा योजना - खरीप हंगाम २०१४

पीक - ज्वारी

जिल्हा - सातारा

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४

| कालावधी                        | टप्पा १                                                 | टप्पा २                     | टप्पा ३                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                | १५ जून २०१४ ते ७ जुलै २०१४                              | ८ जुलै २०१४ ते ५ ऑगस्ट २०१४ | ६ ऑगस्ट २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ |
| दशक                            | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                             |                               |
| स्ट्राईक १ <                   | ४ घटक ४० मि.मी.                                         | ५ घटक ५० मि.मी.             | ६ घटक ६० मि.मी.               |
| स्ट्राईक २ <                   | १ घटक २० मि.मी.                                         | २ घटक २० मि.मी.             | ३ घटक ३० मि.मी.               |
| निर्गमन                        | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.              | ० घटक ० मि.मी.                |
| दर अ) रु. प्रती घटक            | १८७.५०                                                  | ९३.७५                       | ६२.५०                         |
| दर अर) रु. प्रती घटक           | ७५०.००                                                  | ७९६.८८                      | ५६२.५०                        |
| दर बर) रु. प्रती घटक           | १८७.५०                                                  | १४०.६३                      | १०९.३८                        |
| दर बर) रु. प्रती घटक           | ७५०                                                     | ११९५                        | १८४.००                        |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.) | १८७५                                                    | १८७५                        | १८७५                          |
| कमाल नुकसान भरपाई ब) (रु./हे.) | १८७५                                                    | २८१२.५०                     | ३२८२.३०                       |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)    | ५६२५                                                    |                             |                               |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ १ आणि दर अ २ लागू होतील.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर व १ आणि दर व २ लागू होतील.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई व लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                        | १ जुलै २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४          |
| दशक                            | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ >= (दिवस)           | १०                                       |
| स्ट्राईक २ >= (दिवस)           | २२                                       |
| निर्गमन                        | ४५                                       |
| दर अ) रु. प्रती सलग दिवस       | ५७.६९                                    |
| दर ब) रु. प्रती सलग दिवस       | १७९.५०                                   |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.) | ५०००                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुढील दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | १६ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दशक                              | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक >                       | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्गमन                          | १३ घटक १३० मि.मी.                        | १३ घटक १३० मि.मी.             | १३ घटक १३० मि.मी.                 |
| दर अ रु. प्रती घटक               | १९२.३१                                   | १९२.३१                        | २३४.३८                            |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.)   | १२५०                                     | १२५०                          | १८७५                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | ४३७५                                     |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्त्या प्रति हेक्टर (रु)        | १३२०  |
| विमा हप्त्या दर (टक्के)               | ८.८०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय आल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

पीक - मूग

जिल्हा - सातारा

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>१५ जून २०१४ ते<br>३० जून २०१४                | टप्पा २<br>१ जुलै २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>२० सप्टेंबर २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| दरशक                              | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                            |                                                   |
| स्ट्राईक १ (<)                    | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ५ घटक ५० मि.मी.                            | ४ घटक ४० मि.मी.                                   |
| स्ट्राईक २ (<)                    | २ घटक २० मि.मी.                                         | ३ घटक ३० मि.मी.                            | १ घटक १० मि.मी.                                   |
| निर्गमन                           | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                             | ० घटक ० मि.मी.                                    |
| दर अ१) रु. प्रती घटक              | ७५.००                                                   | ४५०.००                                     | १५०.००                                            |
| दर अ२) रु. प्रती घटक              | ५६२.५०                                                  | १२००.००                                    | १८००.००                                           |
| दर ब१) रु. प्रती घटक              | ७५.००                                                   | ५२५.००                                     | ३२५.००                                            |
| दर ब२) रु. प्रती घटक              | ५६२.५०                                                  | १४००.००                                    | ३१००.००                                           |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                                       | २२५०                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                                       | ४८७५                                              |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | ८२५०                                                    |                                            |                                                   |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ १ आणि दर अ २ लागू होतील.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब १ आणि दर ब २ लागू होतील.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                        | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| दशक                            | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ =>                  | ८                                        |
| स्ट्राईक २ =>                  | २५                                       |
| निर्गमन                        | ४४                                       |
| दर १) रु. सलग प्रती दिवस       | १५.००                                    |
| दर २) रु. सलग प्रती दिवस       | ९९.७५                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | २२५०                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                             | टप्पा १<br>१५ जून २०१४ ते १५<br>जुलै २०१४ | टप्पा २<br>१६ जुलै २०१४ ते १५<br>ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते १५<br>सप्टेंबर २०१४ |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरशक                                | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी.  |                                             |                                                 |
| स्ट्राईक १ >                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                         | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                           | ५ घटक ५० मि.मी.                                 |
| निर्गमन                             | ३१.५ घटक ३१५ मि.मी.                       | २९ घटक २९० मि.मी.                           | २७.५ घटक २७५ मि.मी.                             |
| दर रु. प्रती घटक                    | ६०.००                                     | ६६.६७                                       | ६६.६७                                           |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)      | १५००                                      | १५००                                        | १५००                                            |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ४.४५००                                    |                                             |                                                 |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १३८०  |
| विमा हप्ता वर (टक्के)                 | ९.२   |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - ब १५  
हवामान आधारित पीक विमा योजना - खरीप हंगाम २०१४

पीक - बाजरी

जिल्हा - सांगली

तहसिल - सर्व

► हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>१५ जून २०१४ ते<br>१५ जुलै २०१४               | टप्पा २<br>१६ जुलै २०१४ ते<br>१५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>१५ सप्टेंबर २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दर्शक                             | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                             |                                                 |
| स्ट्राईक <                        | ५ घटक ५० मि.मी.                                         | ४ घटक ४० मि.मी.                             | ४ घटक ४० मि.मी.                                 |
| निर्गमन                           | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | ६४०                                                     | ६००                                         | ६००                                             |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | ६४०                                                     | १०००                                        | १००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | ३२००                                                    | २४००                                        | २४००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | ३२००                                                    | ४०००                                        | ३६००                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | ८०००                                                    |                                             |                                                 |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण

| कालावधी                        | १५ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४            |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| दर्शक                          | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ >= (दिवस)           | १०                                       |
| स्ट्राईक २ >= (दिवस)           | २२                                       |
| निर्गमन                        | ४५                                       |
| दर १) रु. प्रती सलग दिन        | २८                                       |
| दर २) रु. प्रती सलग दिन        | ३६                                       |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | १२००                                     |

टिप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                        | १५ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४    |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| दर्शक                          | क्रमवार दोन दिवसांचे एकूण पर्जन्यमान |
| स्ट्राईक >                     | ८० मि.मी.                            |
| निर्गमन                        | १३० मि.मी.                           |
| दर रु. प्रती मि.मी.            | ५६                                   |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | २८००                                 |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १२००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | ८२२   |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | ६.८५  |

टिप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.



प्रयत्न - व १६  
हवामान आधारित पीक विमा योजना - खरीप हंगाम २०१४  
जिल्हा - सांगली  
तहसिल - सर्व  
संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४

| कालावधी                        | टप्पा १                                                  | टप्पा २                     | टप्पा ३                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                | १५ जून २०१४ ते ७ जुलै २०१४                               | ८ जुलै २०१४ ते ५ ऑगस्ट २०१४ | ६ ऑगस्ट २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ |
| दरांक                          | टप्पा निहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                             |                               |
| स्ट्राईक १ <                   | ४ घटक ४० मि.मी.                                          | ५ घटक ५० मि.मी.             | ६ घटक ६० मि.मी.               |
| स्ट्राईक २ <                   | २ घटक २० मि.मी.                                          | २ घटक २० मि.मी.             | ३ घटक ३० मि.मी.               |
| निर्गमन                        | ० घटक ० मि.मी.                                           | ० घटक ० मि.मी.              | ० घटक ० मि.मी.                |
| दर अ१) रु. प्रती घटक           | १८७.५०                                                   | ९३.७५                       | ६२.५०                         |
| दर अ२) रु. प्रती घटक           | ४६८.७५                                                   | ४९८.०५                      | ३५१.५६                        |
| दर ब१) रु. प्रती घटक           | १८७.५०                                                   | ९४०.६३                      | १०९.३८                        |
| दर ब२) रु. प्रती घटक           | ४६८.७५                                                   | ७४७.०७                      | ६१५.२३                        |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.) | १८७५                                                     | १८७५                        | १८७५                          |
| कमाल नुकसान भरपाई ब) (रु./हे.) | १८७५                                                     | ३८९२.५०                     | ३२८१.३०                       |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)    | ५६२५                                                     |                             |                               |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ १ आणि दर अ २ लागू होतील.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब १ आणि दर ब २ लागू होतील.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                       | १ जुलै २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| दरांक                         | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ >= (दिवस)          | १०                                       |
| स्ट्राईक २ >= (दिवस)          | २२                                       |
| निर्गमन                       | ४५                                       |
| दर अ) रु. प्रती सलग दिवस      | ५७.६९                                    |
| दर ब) रु. प्रती सलग दिवस      | १७९.४९                                   |
| कमाल नुकसान भरपाई अ (रु./हे.) | ५०००                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांचे बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | १६ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दरांक                            | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक >                       | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्गमन                          | १३ घटक १३० मि.मी.                        | १३ घटक १३० मि.मी.             | १३ घटक १३० मि.मी.                 |
| दर अ रु. प्रती घटक               | १९२.३९                                   | १९२.३९                        | २३४.३८                            |
| कमाल नुकसान भरपाई अ (रु./हे.)    | १२५०                                     | १२५०                          | १२५०                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | ४३७५                                     |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १५००  |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | १०.०० |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - ब १७  
इसमान अग्रिमित पोक विभा योजना - सरीस हंगाम २०१४  
पोक - सोपलोनी विस्था - मांगली नहसित - खंड  
इसमान घटकाची प्रमाणक संदर्भ हंगाम केंद्र - महानुल पंडळ तार

१ अ) कमी पतनयमान

विभा संरक्षण कालखंडी : २० जून २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१४

| कालखंडी                          | टप्पा १                                              | टप्पा २                      | टप्पा ३                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|                                  | २० जून २०१४ ते ५ जुलै २०१४                           | ६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१४ |
| दरमक                             | टप्पांकाल कालखंडीस एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                              |                                  |
| स्ट्राईक २ >                     | ७ घटक ७० मि.मी.                                      | ८ घटक ८० मि.मी.              | १० घटक १०० मि.मी.                |
| स्ट्राईक २ <                     | ३ घटक ३० मि.मी.                                      | ३ घटक ३० मि.मी.              | ५ घटक ५० मि.मी.                  |
| निर्माण                          | ० घटक ० मि.मी.                                       | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                   |
| दर अ १) र. प्रती घटक             | ७९.१७                                                | ३९६.६७                       | ३९६.६७                           |
| दर अ २) क. प्रती घटक             | ३२५.९०                                               | ५०९.३९                       | ३००.७६                           |
| दर ब १) क. प्रती घटक             | ७९.१७                                                | ३९६.६७                       | ५१५                              |
| दर ब २) क. प्रती घटक             | ३२५.९०                                               | ६२६.७४                       | ४८८.८५                           |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (क./हे.) | २३७५                                                 | ४७५०                         | ४७५०                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (क./हे.) | २३७५                                                 | ५१३७.५०                      | ७७२८.७५                          |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(क./हे.)    | १८८७५                                                |                              |                                  |

टीप १ : एखाद्या उदाधिक स्ट्राईक १ पेक्षा दुप्पट पाऊस झाल्यात तो पुढील टप्प्यासाठी पुढे चालू समजण्यात येईल. टप्पा १ च्या बाबतीत २० टक्के पतनयमान.  
स्ट्राईक २ पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास (स्ट्राईक मधील दुप्पट पाऊस झाल्यास) तो टप्पा २ मध्ये पुढे विभागत येण्यात येईल. टप्पा २ च्या बाबतीत २० टक्के पतनयमान.  
स्ट्राईक ३ पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास (स्ट्राईक मधील दुप्पट पाऊस झाल्यास) तो टप्पा ३ मध्ये पुढे विभागत येण्यात येईल.

टीप २ : जर आगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ १ आणि अ २ लागू होईल.  
जर आगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब १ आणि ब २ लागू होईल.  
जर आगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर आगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण

| कालखंडी                          | २० जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| दरमक                             | कमाल कोरड्या दिवसांचा संचित भंडा काढ |
| स्ट्राईक १ = >                   | १०                                   |
| स्ट्राईक २ = >                   | २०                                   |
| निर्माण                          | ४०                                   |
| दर १) र. प्रती सलग दिवस          | ३८.३७                                |
| दर २) क. प्रती सलग दिवस          | १४०.०६                               |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (क./हे.) | ३३२५                                 |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (क./हे.) | ३३२५                                 |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालखंडी                          | टप्पा १                                                        | टप्पा २                      | टप्पा ३                          | टप्पा ४                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                                  | २० जून २०१४ ते ५ जुलै २०१४                                     | ६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१४ | १६ ऑक्टोबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ |
| दरमक                             | सलग दोन दिवस सवलधिक पाऊस, त्याचिकाणी १ पावसाचे घटक = १० मि.मी. |                              |                                  |                                    |
| स्ट्राईक >                       | १० घटक १०० मि.मी.                                              | १० घटक १०० मि.मी.            | १० घटक १०० मि.मी.                | ६ घटक ६० मि.मी.                    |
| निर्माण                          | २० घटक २०० मि.मी.                                              | ३० घटक ३०० मि.मी.            | २० घटक २०० मि.मी.                | १२ घटक १२० मि.मी.                  |
| दर अ र. प्रती घटक                | १५.००                                                          | ४१५.५०                       | १५.००                            | १५८.३३                             |
| दर ब र. प्रती घटक                | १५.००                                                          | १५.००                        | २८५                              | ६३३.३३                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (क./हे.) | १५०                                                            | ९५०                          | १५०                              | १५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (क./हे.) | १५०                                                            | १९००                         | २८५०                             | ३८००                               |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(क./हे.) | ३८०० |
|-------------------------------|------|

टीप १ : जर आगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ लागू होईल.  
जर आगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर आगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर आगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विभा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १९००० |
| विभा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १३०२  |
| विभा हप्ता दर (टक्के)                 | ६.८५  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्याच्या कमी देव झाल्यास नुकसान भरपाई अपा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - ब १८  
हवामान आधारित पीक विभा योजना - खरीप हंगाम २०१४  
जिल्हा - सांगली  
तहसिल - सर्व  
संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर  
पीक - उडीद  
हवामान घटकांची प्रमाणके  
१ अ) कमी पर्जन्यमान  
विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १                                                 | टप्पा २                      | टप्पा ३                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                   | १५ जून २०१४ ते ३० जून २०१४                              | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                             | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                              |                                     |
| स्ट्राईक १ (>)                    | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ५ घटक ५० मि.मी.              | ४ घटक ४० मि.मी.                     |
| स्ट्राईक २ (>)                    | २ घटक २० मि.मी.                                         | ३ घटक २० मि.मी.              | १ घटक १० मि.मी.                     |
| निर्माण                           | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                      |
| दर अ१) रु. प्रती घटक              | ७५.००                                                   | ४५०.००                       | १५०.००                              |
| दर अ२) रु. प्रती घटक              | ५६२.५०                                                  | १२००.००                      | १८००.००                             |
| दर ब१) रु. प्रती घटक              | ७५.००                                                   | ५२५.००                       | ३२५.००                              |
| दर ब२) रु. प्रती घटक              | ५६२.५०                                                  | १४००.२५                      | ३९००.००                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                         | २२५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                         | ४८७५                                |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | ८२५०                                                    |                              |                                     |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ १ आणि अ २ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब १ आणि ब २ लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                          | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
| दर्शक                            | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ = >                   | ८                                        |
| स्ट्राईक २ = >                   | २५                                       |
| निर्माण                          | ४४                                       |
| दर १) रु. प्रती सलग दिवस         | १५                                       |
| दर २) रु. प्रती सलग दिवस         | ९९.७५                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | २२५०                                     |

टीप : जर हिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                             | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                               | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक >                          | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्माण                             | ३२.५ घटक ३२५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५ घटक २७५ मि.मी.               |
| दर रु. प्रती घटक                    | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)      | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ४५००                                     |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १०२८  |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | ६.८५  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - ख १९  
हवामान आधारित पीक विमा योजना - खरीप हंगाम २०१४

पीक - ज्वारी

जिल्हा - लातूर

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १                                                 | टप्पा २                        | टप्पा ३                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                                   | १५ जून २०१४ ते<br>७ जुलै २०१४                           | ८ जुलै २०१४ ते<br>५ ऑगस्ट २०१४ | ६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ |
| दर्शक                             | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                |                                  |
| स्ट्राईक १ <                      | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | १० घटक १०० मि.मी.              | ८ घटक ८० मि.मी.                  |
| निगमन                             | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                 | ० घटक ० मि.मी.                   |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | २६७.८६                                                  | १८७.५                          | २३४.३८                           |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | २६७.८६                                                  | २८१.२५                         | ४१०.१६                           |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १८७५                                                    | १८७५                           | १८७५                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १८७५                                                    | २८१२.५०                        | ३२८१.३०                          |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | ५६२५                                                    |                                |                                  |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ लागू होतील.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब लागू होतील.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                          | १ जुलै २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४          |
| दर्शक                            | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ >= (दिवस)             | १०                                       |
| स्ट्राईक २ >= (दिवस)             | २२                                       |
| निगमन                            | ४५                                       |
| दर अ) रु. प्रती सलग दिवस         | ११.३१                                    |
| दर ब) रु. प्रती सलग दिवस         | १६२                                      |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | ५०००                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुढील दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                             | टप्पा १                                  | टप्पा २                          | टप्पा ३                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | १६ जून २०१४ ते १५<br>जुलै २०१४           | १६ जुलै २०१४ ते १५<br>ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५<br>सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                               | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                  |                                      |
| स्ट्राईक >                          | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                | ५ घटक ५० मि.मी.                      |
| निगमन                               | १३ घटक १३० मि.मी.                        | १३ घटक १३० मि.मी.                | १३ घटक १३० मि.मी.                    |
| दर अ रु. प्रती घटक                  | ११२.३१                                   | ११२.३१                           | २३४.३८                               |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.)    | १२५०                                     | १२५०                             | १८७५                                 |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ४३७५                                     |                                  |                                      |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५०००  |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १४४७.५ |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | ९.६५   |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देव झाल्यास, नुकसान भरपाई अवा केली जाणार नाही.

पीक - सोयाबीन

प्रयत्न - ब २०  
हवामान आधारीत पीक विमा योजना - खरीप हंगाम २०१४

जिल्हा - सातारा

नहासिम - सर्व

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पालन्यमान

विमा तरंगण कालावधी : २० जून २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४           | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>१५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>१५ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| दराक                              | टप्पा १ व २ मधील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = २० मि.मी. |                                            |                                                |
| स्ट्राईक १ >                      | ८ घटक ८० मि.मी.                                    | १२ घटक १२० मि.मी.                          | २० घटक २०० मि.मी.                              |
| निरासन                            | ० घटक ० मि.मी.                                     | ० घटक ० मि.मी.                             | ० घटक ० मि.मी.                                 |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | २१६.८७                                             | ३१६                                        | २३७.५                                          |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | २१६.८७                                             | ३१६                                        | २३७.५                                          |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २३७५                                               | ४७५०                                       | ३८५.९                                          |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २३७५                                               | ४७५०                                       | ४७५०                                           |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)    | ११८७५                                              |                                            |                                                |

टीप १ : एखाद्या ठराविक स्ट्राईक १ पेक्षा दुप्पट पाऊस आल्यास तो पूर्वील टप्प्यासाठी पुढे चालू समजण्यात येईल. टप्पा १ च्या बाबतीत २० टक्के पालन्यमान.

स्ट्राईक १ पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास (स्ट्राईक मधील दुप्पट पाऊस आल्यास) तो टप्पा २ मध्ये पुढे विचारात घेण्यात येईल. टप्पा २ च्या बाबतीत २० टक्के पालन्यमान.

स्ट्राईक १ पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास (स्ट्राईक मधील दुप्पट पाऊस आल्यास) तो टप्पा ३ मध्ये पुढे विचारात घेण्यात येईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण

| कालावधी                           | २० जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| दराक                              | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ >                      | ८                                        |
| स्ट्राईक २ >                      | २०                                       |
| निरासन                            | ४०                                       |
| दर अ) रु. प्रती सलग दिवस          | १०.२८                                    |
| दर ब) रु. प्रती सलग दिवस          | १५.२                                     |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २२४                                      |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | ३३२५                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४                         | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>१५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>१५ ऑक्टोबर २०१४ | टप्पा ४<br>१६ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| दराक                              | सलग तीन दिवस सर्वाधिक पाऊस, त्यादिकाणी १ पावसाचे घटक = २० मि.मी. |                                            |                                                |                                                  |
| स्ट्राईक >                        | १० घटक २०० मि.मी.                                                | १० घटक १०० मि.मी.                          | १० घटक १०० मि.मी.                              | ६ घटक ६० मि.मी.                                  |
| निरासन                            | २० घटक २०० मि.मी.                                                | ३० घटक ३०० मि.मी.                          | २० घटक २०० मि.मी.                              | १२ घटक १२० मि.मी.                                |
| दर अ रु. प्रती घटक                | १५.००                                                            | ४८.००                                      | १५.००                                          | १५.००                                            |
| दर ब रु. प्रती घटक                | १५.००                                                            | ४८.००                                      | १५.००                                          | १५.००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १५०                                                              | १५०                                        | १५०                                            | १५०                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १५०                                                              | ११००                                       | २८५०                                           | ३८००                                             |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ३८०० |
|--------------------------------|------|

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संश्लिष्ट रक्कम रु. प्रति हे. | ११००० |
| विमा हप्त्या प्रति हेक्टर (रु.)         | १८०५  |
| विमा हप्त्या दर (टक्के)                 | ९.५०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय आल्यास नुकसान भरपाई अदा केले जाणार नाही.

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                        | टप्पा १                                                 | टप्पा २                      | टप्पा ३                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                | १५ जून २०१४ ते ३० जून २०१४                              | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                          | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                              |                                     |
| स्टाईक १ (<)                   | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ५ घटक ५० मि.मी.              | ४ घटक ४० मि.मी.                     |
| स्टाईक २ (<)                   |                                                         |                              |                                     |
| निर्गमन                        | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                      |
| दर अ१) रु. प्रती घटक           | २१४.८६                                                  | १००                          | ५६२.५०                              |
| दर अ२) रु. प्रती घटक           |                                                         |                              |                                     |
| दर ब१) रु. प्रती घटक           | २१४.८६                                                  | १०५०                         | १२१८.७५                             |
| दर ब२) रु. प्रती घटक           |                                                         |                              |                                     |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                         | १२५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                         | ४८७५                                |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)    |                                                         | ८२५०                         |                                     |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

## १ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                     | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| दर्शक                       | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्टाईक १ =>                 | ८                                        |
| स्टाईक २ =>                 | २५                                       |
| निर्गमन                     | ४४                                       |
| दर १) रु. सलग प्रती दिवस    | २०                                       |
| दर २) रु. सलग प्रती दिवस    | १६                                       |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | २२५०                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

## २) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                            | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्टाईक १ >                       | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्गमन                          | ३१.५ घटक ३१५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५ घटक २७५ मि.मी.               |
| दर रु. प्रती घटक                 | ६०                                       | ६६.६७                         | ६७.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.)      | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | रु. ४५००                                 |                               |                                   |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५०००  |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १४४७.५ |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | ९.६५   |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - ब २२  
हवामान आधारित पीक विमा योजना - खरीप हंगाम २०१४  
जिल्हा - लातूर  
सहसिल - सर्व  
संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर  
पीक - उडीद  
हवामान घटकांची प्रमाणके  
१ अ) कमी पर्जन्यमान  
विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                        | टप्पा १                                                 | टप्पा २                      | टप्पा ३                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                | १५ जून २०१४ ते ३० जून २०१४                              | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                          | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                              |                                     |
| स्ट्राईक १ (>)                 | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ८ घटक ८० मि.मी.              | ५ घटक ५० मि.मी.                     |
| निर्गमन                        | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                      |
| दर अ) रु. प्रती घटक            | २१४.२९                                                  | ५६२.५०                       | ४५०.००                              |
| दर ब) रु. प्रती घटक            | २१४.२९                                                  | ६५६.२५                       | ९७५.००                              |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                         | २२५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                         | ४८७५                                |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)    | ८२५०                                                    |                              |                                     |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                       | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| दर्शक                         | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ = >                | ८                                        |
| स्ट्राईक २ = >                | २५                                       |
| निर्गमन                       | ४४                                       |
| दर १) रु. प्रती सलग दिवस      | २०                                       |
| दर २) रु. प्रती सलग दिवस      | ९६                                       |
| कमाल नुकसान भरपाई अ (रु./हे.) | २२५०                                     |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)   | २२५०                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                            | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक >                       | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्गमन                          | २१.५ घटक ३१५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५ घटक २७५ मि.मी.               |
| दर रु. प्रती घटक                 | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.)      | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | ८.४५००                                   |                               |                                   |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५०००  |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १४६२.५ |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | ९.७५   |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - अ २३  
हवामान आधारित पीक विम्व योजना - खरीप हंगाम २०१४

पीक - कापूस

जिल्हा - नांदेड

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

बिमा संरक्षण कालावधी : २५ जून २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२५ जून २०१४ ते<br>१० जुलै २०१४               | टप्पा २<br>११ जुलै २०१४ ते<br>२५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>२६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ४<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरांक                             | टप्पांतरात कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                             |                                                 |                                                 |
| स्ट्राईक १ (<)                    | ८ घटक ८० मि.मी.                                         | २६ घटक २६० मि.मी.                           | १६ घटक १६० मि.मी.                               | ५ घटक ५० मि.मी.                                 |
| स्ट्राईक २ (<)                    | ४ घटक ४० मि.मी.                                         | १२ घटक १२० मि.मी.                           | ८ घटक ८० मि.मी.                                 | ३ घटक ३० मि.मी.                                 |
| निगमन                             | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                  | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ १) रु. प्रती घटक             | ६१                                                      | ४९                                          | ६१                                              | १२०                                             |
| दर अ २) रु. प्रती घटक             | ४८९                                                     | २२६.१७                                      | २३९                                             | ४२६.६७                                          |
| दर ब १) रु. प्रती घटक             | ६१                                                      | ६६.३                                        | १२०                                             | २९०                                             |
| दर ब २) रु. प्रती घटक             | ४८९                                                     | २९८                                         | ३९२.५                                           | ७०६.६७                                          |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २२००                                                    | ३४००                                        | ३४००                                            | १५००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २२००                                                    | ४५००                                        | ४९००                                            | २७००                                            |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.) | १५०० |
|-----------------------------|------|

टीप १ : टप्पांतरात (टप्पा क्र १, २ व ३) पाऊस निर्देशकाच्या दुप्पट व त्यावरील असल्यास, निर्देशकाच्या खरेल पावसाच्या २० टक्के आकडेवारी पुढील टप्पात गण्यता येईल.

टीप २ : कोणत्याही मागील टप्पात नुकसान भरपाई देय असल्यास पुढील सर्व टप्पात अ १ आणि अ २ दराने नुकसान भरपाई देय राहिले, तसे नसल्यास अ १ आणि अ २ दराने देय राहिले. कोणत्याही मागील टप्पात नुकसान भरपाई देय असल्यास पुढील सर्व टप्पात कमाल देय रक्कम अ प्रमाणे राहिले, तसे नसल्यास कमाल देय रक्कम अ प्रमाणे राहिले.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| कालावधी                        | २५ जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४         |
| दरांक                          | क्रपवार कोरड्या दिवसांचा सव्यत मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ >=                  | १०                                      |
| स्ट्राईक २ >=                  | २४                                      |
| निगमन                          | ४०                                      |
| दर १ (रु. प्रती सलग दिवस)      | ७०                                      |
| दर २ (रु. प्रती सलग दिवस)      | २३६.४७                                  |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ५०००                                    |

टीप : जर निवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गण्यता येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते ५ जुलै<br>२०१४                          | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते १५<br>ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते १५<br>ऑक्टोबर २०१४ | टप्पा ४<br>१६ ऑक्टोबर २०१४ ते ३१<br>ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| दरांक                            | सलग तीन दिवस अति पाऊस झाल्यास, त्यादिकाणी एक पाऊस घटक = १० मि.मी. |                                            |                                                |                                                  |
| स्ट्राईक १ >=                    | १९.५ घटक १९५ मि.मी.                                               | २० घटक २०० मि.मी.                          | २० घटक २०० मि.मी.                              | १५ घटक १५० मि.मी.                                |
| निगमन                            | ३० घटक ३०० मि.मी.                                                 | २० घटक २०० मि.मी.                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                              | ३० घटक ३०० मि.मी.                                |
| दर अ (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                            | २००                                        | २००                                            | १३३.३३                                           |
| दर ब (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                            | ३५०                                        | ५५०                                            | ५००                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | १५००                                                              | २०००                                       | २०००                                           | २०००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब (रु./हे.) | १५००                                                              | ३५००                                       | ५५००                                           | ७५००                                             |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>देय (रु./हे.) | ८.७५०० |
|-----------------------------------------|--------|

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्पात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्पात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्पात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्पात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| एकूण बिमा संरक्षित रक्कम रु.<br>प्रति हे. | २२००० |
| बिमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु.)             | १५८४  |
| बिमा हप्ता दर (टक्के)                     | ७.२०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.



पीक - सांघाबोन  
हवामान घटकांची प्रमाणके

तहसिल - तव  
संबंध हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : २० जून २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४               | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>१५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>१५ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| दर/एक                             | टप्पांकित कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = २० मि.मी. |                                            |                                                |
| स्ट्राईक १ <                      | ८ घटक ८० मि.मी.                                        | १२ घटक १२० मि.मी.                          | २० घटक २०० मि.मी.                              |
| निर्माण                           | ० घटक ० मि.मी.                                         | ० घटक ० मि.मी.                             | ० घटक ० मि.मी.                                 |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | २१६.८८                                                 | ३९५.८३                                     | २३७.५                                          |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | २१६.८८                                                 | ४९४.७९                                     | ३८५.९४                                         |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २३७५                                                   | ४७५०                                       | ४७५०                                           |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २३७५                                                   | ५९३८                                       | ७७९९                                           |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)    | ११८७५                                                  |                                            |                                                |

टीप १ : हवामान ठराविक स्ट्राईक १ पेक्षा दुप्पट पाऊस आल्यास तो पूर्वील टप्प्यासाठी पुढे जाणु समजण्यात येईल. टप्पा १ च्या वावरीत २० टक्के पर्जन्यमान.  
स्ट्राईक १ पेक्षा जास्त पाऊस आल्यास (स्ट्राईक मधील दुप्पट पाऊस आल्यास) तो टप्पा २ मध्ये पुढे विचारता येण्यात येईल. टप्पा २ च्या वावरीत २० टक्के पर्जन्यमान.  
स्ट्राईक १ पेक्षा जास्त पाऊस आल्यास (स्ट्राईक मधील दुप्पट पाऊस आल्यास) तो टप्पा ३ मध्ये पुढे विचारता येण्यात येईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण

| कालावधी                          | २० जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| दर/एक                            | क्रमवार कमंड्या दिवसांचा सलग मंडा काळ |
| स्ट्राईक १ = >                   | ८                                     |
| स्ट्राईक २ = >                   | ३०                                    |
| निर्माण                          | ४०                                    |
| दर अ) रु. प्रती सलग दिवस         | ३०                                    |
| दर ब) रु. प्रती सलग दिवस         | २४२.२७                                |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | ३३२५                                  |

टिप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४                           | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>१५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>१५ ऑक्टोबर २०१४ | टप्पा ४<br>१६ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| दर/एक                            | सलग दोन दिवस सर्वाधिक पाऊस, त्यादिकाण्ये १ पावसाचे घटक = २० मि.मी. |                                            |                                                |                                                  |
| स्ट्राईक >                       | १० घटक १०० मि.मी.                                                  | १० घटक १०० मि.मी.                          | १० घटक १०० मि.मी.                              | ६ घटक ६० मि.मी.                                  |
| निर्माण                          | २० घटक २०० मि.मी.                                                  | ३० घटक ३०० मि.मी.                          | २० घटक २०० मि.मी.                              | १२ घटक १२० मि.मी.                                |
| दर अ रु. प्रती घटक               | १५.००                                                              | ४७.५०                                      | १५.००                                          | १५८.३३                                           |
| दर ब रु. प्रती घटक               | १५.००                                                              | १५.००                                      | १५.००                                          | ६३३.३३                                           |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | १५०                                                                | १५०                                        | १५०                                            | १५०                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब (रु./हे.) | १५०                                                                | १५००                                       | १८५०                                           | ३८००                                             |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ३८०० |
|--------------------------------|------|

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु.<br>प्रति हे. | १९००० |
| विमा हस्ता प्रति हेक्टर (रु.)             | १८४३  |
| विमा हस्ता वर (टक्के)                     | ९.७०  |

टिप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - ब २५  
हवामान आधारित पीक विमा योजना - खरीप हंगाम २०१४

पीक - मूग

जिल्हा - नांदेड

तहसिल - सर्व

► हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                        | टप्पा १                                                 | टप्पा २                      | टप्पा ३                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                | १५ जून २०१४ ते ३० जून २०१४                              | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                          | टप्पांमध्य कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                              |                                     |
| स्ट्राईक १ (<)                 | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ५ घटक ५० मि.मी.              | ४ घटक ४० मि.मी.                     |
| निर्गमन                        | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                      |
| दर अ) रु. प्रती घटक            | २१४.२९                                                  | १००.००                       | ५६२.५०                              |
| दर ब) रु. प्रती घटक            | २१४.२९                                                  | १०५०.००                      | १२१८.७५                             |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                         | २२५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                         | ४८७५                                |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)    | ८२५०                                                    |                              |                                     |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होतील.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होतील.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                     | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
| दर्शक                       | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ = >              | ८                                        |
| स्ट्राईक २ = >              | २५                                       |
| निर्गमन                     | ४४                                       |
| दर १) रु. सलग प्रती दिवस    | १५.००                                    |
| दर २) रु. सलग प्रती दिवस    | १९.७५                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | २२५०                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                            | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक १ >                     | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्गमन                          | ३१.५ घटक ३१५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५० घटक २७५ मि.मी.              |
| दर रु. प्रती घटक                 | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.)      | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | रु. ४५००                                 |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १०२०  |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | ६.८०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

पीक - उडीद

जिल्हा - नांदेड

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                     | टप्पा १                                                 | टप्पा २                      | टप्पा ३                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                             | १५ जून २०१४ ते ३० जून २०१४                              | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                       | टप्पांमधील कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                              |                                     |
| स्ट्राईक १ (>)              | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ८ घटक ८० मि.मी.              | ५ घटक ५० मि.मी.                     |
| निर्माण                     | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                      |
| दर अ) रु. प्रती घटक         | २१४.२९                                                  | ५६२.५०                       | ४५०.००                              |
| दर ब) रु. प्रती घटक         | २१४.२९                                                  | ५६२.५०                       | ४५०.००                              |
| कमाल नुकसान भरपाई           |                                                         |                              |                                     |
| अ) (रु./हे.)                | १५००                                                    | ४५००                         | २२५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई           |                                                         |                              |                                     |
| ब) (रु./हे.)                | १५००                                                    | ५२५०                         | ४८७५                                |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.) |                                                         |                              | ८२५०                                |

टोप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टोप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                  | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
|--------------------------|------------------------------------------|
| दर्शक                    | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ =>            | ८                                        |
| स्ट्राईक २ =>            | २५                                       |
| निर्माण                  | ४४                                       |
| दर १) रु. प्रती सलग दिवस | १५.००                                    |
| दर २) रु. प्रती सलग दिवस | १९.७५                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई        |                                          |
| अ) (रु./हे.)             | २२५०                                     |

टिप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                        | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                  | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक >             | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्माण                | ३१.५ घटक ३१५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५ घटक २७५ मि.मी.               |
| दर रु. प्रती घटक       | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई      |                                          |                               |                                   |
| (रु./हे.)              | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई |                                          |                               |                                   |
| (रु./हे.)              | ४४५००                                    |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | १६२०  |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | १०.८० |

टिप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - ब १७  
इसमान आधारीत पीक बिना योजना - खरीप हंगाम २०१४  
जिल्हा - अमरावती

पीक - कापूस  
हंगामान घटकांची प्रमाणावे

तहसिल - लवें  
संदर्भ इकामान केंद्र - महसूल मंडळ लवें

१ अ) कमी धरज्यायान

विषय तरेक्षण कासावधी : २५ जून २०१४ ते २९ ऑक्टोबर २०१४

| कासावधी                          | टप्पा १<br>२५ जून २०१४ ते<br>१० जुलै २०१४                | टप्पा २<br>११ जुलै २०१४ ते<br>२५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>२६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ४<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरजेक                            | टप्पानिहाये कासावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                             |                                                 |                                                 |
| स्ट्राईक १ (<)                   | ८ घटक ८० मि.मी.                                          | २६ घटक २६० मि.मी.                           | १६ घटक १६० मि.मी.                               | ५ घटक ५० मि.मी.                                 |
| निगमिन                           | ० घटक ० मि.मी.                                           | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                  | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ) क. प्रती घटक               | २७५                                                      | १३०.७७                                      | १५०                                             | ३००                                             |
| दर ब) क. प्रती घटक               | २७५                                                      | १३३.०८                                      | २९०.६३                                          | ७६५                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (र./हे.) | २२००                                                     | ३४००                                        | २४००                                            | १५००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (र./हे.) | २२००                                                     | ४५००                                        | ४६५०                                            | ३८२५                                            |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई (र./हे.) | १५०० |
|----------------------------|------|

टीप १ : टप्पानिहाये (टप्पा क्र १, २ व ३) पाऊस निर्देशांकाच्या दुप्पट व त्यावरील असल्यास, निर्देशांकाच्या वरील पावसाच्या २० टक्के अगळेवारी पुढील टप्प्यात घेण्यात येईल.

टीप २ : कोणत्याही मागील टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असल्यास पुढील सर्व टप्प्यात अ १ आणि अ २ दराने नुकसान भरपाई देय राहिले. तसे नसल्यास ब १ आणि ब २ दराने देय राहिले. कासावधी मागील टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असल्यास पुढील सर्व टप्प्यात कमाल देय रकमच अ प्रमाणे राहिले. तसे नसल्यास कमाल देय रकमच अ प्रमाणे राहिले.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| कासावधी                       | २५ जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४           |
| दरजेक                         | क्राफ्टर कोरड्या दिवसांची सरासरी सोदा काळ |
| स्ट्राईक १ =>                 | २०                                        |
| स्ट्राईक २ =>                 | २४                                        |
| निगमिन                        | ४०                                        |
| दर १ (रु प्रती सलग दिवस)      | ७०                                        |
| दर २ (रु प्रती सलग दिवस)      | २३६.४७                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(र./हे.) | ५०००                                      |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कासावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते ५<br>जुलै २०१४                           | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते २५ ऑगस्ट<br>२०१४ | टप्पा ३<br>२६ ऑगस्ट २०१४ ते १५<br>ऑक्टोबर २०१४ | टप्पा ४<br>१६ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| दरजेक                            | सलग तीन दिवस अति पाऊस झाल्यास, त्यादिवसाची एक पाऊस घटक = १० मि.मी. |                                            |                                                |                                                  |
| स्ट्राईक १ >                     | ११.५ घटक ११५ मि.मी.                                                | २० घटक २०० मि.मी.                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                              | २५ घटक २५० मि.मी.                                |
| निगमिन                           | ३० घटक ३०० मि.मी.                                                  | ३० घटक ३०० मि.मी.                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                              | ३० घटक ३०० मि.मी.                                |
| दर अ) (र./मि.मी.)                | २७५                                                                | १३०.७७                                     | १५०                                            | ३००                                              |
| दर ब) (र./मि.मी.)                | २७५                                                                | १३३.०८                                     | २९०.६३                                         | ७६५                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (र./हे.) | १५००                                                               | २०००                                       | २०००                                           | २०००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (र./हे.) | १५००                                                               | ३५००                                       | ५५००                                           | ७५००                                             |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>देय (र./हे.) | रु. ७५०० |
|----------------------------------------|----------|

टीप १ : जर आगीदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल. जर आगीदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर आगीदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर आगीदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| एकूण विषय तरेक्षित रकम रु<br>प्रति हे. | २२००० |
| विषय हप्ता प्रति हेक्टर (रु)           | २४६४  |
| विषय हप्ता दर (रु/हे.)                 | ११.२० |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

पौक - सांवाडीन  
 १० इलाक्यात घटकाची प्रमाणाक

प्रपत्र - ब २८  
 इलाक्यात आधारित पौक विमा योजना - खरोप हंगाम २०१४  
 जिल्हा - अहमदनगर

तहसिल - सर्व

खेडचे इलाक्यात केन्द्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : २० जून २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४ | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ५<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>१५ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरमक                              | १० घटक ८० मि.मी.                         | १४ घटक १४० मि.मी.                         | १३ घटक १३० मि.मी.                           | १३ घटक १३० मि.मी.                                 | १३ घटक १३० मि.मी.                               |
| सुद्धिक १ <                       | ८ घटक ८० मि.मी.                          | १४ घटक १४० मि.मी.                         | १३ घटक १३० मि.मी.                           | १३ घटक १३० मि.मी.                                 | १३ घटक १३० मि.मी.                               |
| सुद्धिक २ <                       | २ घटक २० मि.मी.                          | ५ घटक ५० मि.मी.                           | ५ घटक ५० मि.मी.                             | ५ घटक ५० मि.मी.                                   | ५ घटक ५० मि.मी.                                 |
| निगमन                             | ० घटक ० मि.मी.                           | ० घटक ० मि.मी.                            | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                    | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ १) रु. प्रती घटक             | २४.००                                    | ३७                                        | ४७.५०                                       | ४७.५०                                             | ४७.५०                                           |
| दर अ २) रु. प्रती घटक             | ५२८.००                                   | २७३.४०                                    | ३०४.००                                      | ३३५.६०                                            | ३४५.००                                          |
| दर ब १) रु. प्रती घटक             | २४.००                                    | ५३.००                                     | ७७.५०                                       | ७७.५०                                             | ७७.५०                                           |
| दर ब २) रु. प्रती घटक             | ५२८.००                                   | २८४.६०                                    | ३१६.००                                      | ३४७.५०                                            | ३५७.००                                          |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १४००                                     | १७००                                      | १९००                                        | २०००                                              | २०४३.००                                         |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १४००                                     | २४००.००                                   | ३१००                                        | ३५५०                                              | ३६००                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)    |                                          |                                           |                                             |                                                   | २२७५                                            |

टीप १ : एखाद्या दरमिक्त सुद्धिक १ व्हा टप्पा पाऊस झाल्यास तो पुढील टप्प्यासाठी मुदत घालु लमजण्यात येईल. टप्पा २ च्या बाबतीत २० टक्के पर्जन्यमान विचारात घेण्यात येईल. टप्पा २ च्या बाबतीत २० टक्के पर्जन्यमान विचारात घेण्यात येईल. टप्पा २ च्या बाबतीत २० टक्के पर्जन्यमान विचारात घेण्यात येईल. टप्पा २ च्या बाबतीत २० टक्के पर्जन्यमान विचारात घेण्यात येईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ १ आणि अ २ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब १ आणि ब २ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण

| कालावधी                           | २० जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| दरमक                              | क्रमवार क्रमेड्या दिवसांचा सलग मोठा फरक |
| सुद्धिक १ <                       | ८                                       |
| सुद्धिक २ <                       | ३०                                      |
| निगमन                             | ४०                                      |
| दर १) रु. प्रती सलग दिवस          | ४८                                      |
| दर २) रु. प्रती सलग दिवस          | २८२.६८                                  |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | ३५००                                    |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अंतिम पाऊस :

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४ | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ५<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>१५ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरमक                              | १० घटक १०० मि.मी.                        | १० घटक १०० मि.मी.                         | १० घटक १०० मि.मी.                           | १० घटक १०० मि.मी.                                 | १० घटक १०० मि.मी.                               |
| सुद्धिक >                         | १० घटक १०० मि.मी.                        | १० घटक १०० मि.मी.                         | १० घटक १०० मि.मी.                           | १० घटक १०० मि.मी.                                 | १० घटक १०० मि.मी.                               |
| निगमन                             | ३० घटक ३०० मि.मी.                        | ३० घटक ३०० मि.मी.                         | ३० घटक ३०० मि.मी.                           | ३० घटक ३०० मि.मी.                                 | ३० घटक ३०० मि.मी.                               |
| दर अ रु. प्रती घटक                | ५०.००                                    | ५०.००                                     | ५०.००                                       | ५०.००                                             | ५०.००                                           |
| दर ब रु. प्रती घटक                | ५०.००                                    | ५०.००                                     | ५०.००                                       | ५०.००                                             | ५०.००                                           |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १०००                                     | १०००                                      | १०००                                        | १०००                                              | १०००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १०००                                     | १०००                                      | १०००                                        | १०००                                              | १०००                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)    | ८०००                                     |                                           |                                             |                                                   | ८०००                                            |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १९००० |
| विमा हप्त्या प्रति हेक्टर (रु)        | १४६३  |
| विमा हप्त्या दर (टक्के)               | ७.७०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५,०००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अद्या केलेली जाणार नाही.

पीक - भूग

जिल्हा - अमरावती

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                        | टप्पा १                                                 | टप्पा २                      | टप्पा ३                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                | १५ जून २०१४ ते ३० जून २०१४                              | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                          | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                              |                                     |
| स्ट्राईक १ (<)                 | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ५ घटक ५० मि.मी.              | ४ घटक ४० मि.मी.                     |
| निर्गमन                        | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                      |
| दर अ) रु. प्रती घटक            | २१४.२९                                                  | १००.००                       | ५६२.५०                              |
| दर ब) रु. प्रती घटक            | २१४.२९                                                  | १०५०.००                      | १११८.७५                             |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                         | २२५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                         | ४८७५                                |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)    | ८१५०                                                    |                              |                                     |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ आणि दर ब लागू होतील.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर व आणि दर ब लागू होतील.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                     | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
| दर्शक                       | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ = >              | ८                                        |
| स्ट्राईक २ = >              | २५                                       |
| निर्गमन                     | ४४                                       |
| दर १) रु. सलग प्रती दिवस    | १५.००                                    |
| दर २) रु. सलग प्रती दिवस    | १९.७५                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | २२५०                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                            | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक १ >                     | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्गमन                          | ३१.५ घटक ३१५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५० घटक २७५ मि.मी.              |
| दर रु. प्रती घटक                 | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.)      | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | ४४५००                                    |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टर (रु)          | ११०   |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | ६.६०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                        | टप्पा १                                                 | टप्पा २                      | टप्पा ३                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                                | १५ जून २०१४ ते ३० जून २०१४                              | १ जुलै २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४ |
| दशक                            | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = २० मि.मी. |                              |                                     |
| स्ट्राईक १ (>)                 | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ८ घटक ८० मि.मी.              | ५ घटक ५० मि.मी.                     |
| निर्गमन                        | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.               | ० घटक ० मि.मी.                      |
| दर अ) रु. प्रती घटक            | २१४.२९                                                  | ५६२.५०                       | ४५०.००                              |
| दर ब) रु. प्रती घटक            | २१४.२९                                                  | ५६६.२५                       | ९७५.००                              |
| कमाल नुकसान भरपाई अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                         | २२५०                                |
| कमाल नुकसान भरपाई ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                         | ४८७५                                |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)    | ८२५०                                                    |                              |                                     |

टिप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टिप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                       | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| दशक                           | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ = >                | ८                                        |
| स्ट्राईक २ = >                | २५                                       |
| निर्गमन                       | ४४                                       |
| दर १) रु. प्रती सलग दिवस      | १५.००                                    |
| दर २) रु. प्रती सलग दिवस      | ९९.७५                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई अ (रु./हे.) | २२५०                                     |

टिप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्णच्या दिवसाचा एकूण पाऊस याची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                  | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दशक                              | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = २० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक >                       | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्गमन                          | ३१.५ घटक ३१५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५ घटक २७५ मि.मी.               |
| दर रु. प्रती घटक                 | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.)      | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई (रु./हे.) | ४८५००                                    |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्ता प्रति हेक्टरी (रु)         | १६२०  |
| विमा हप्ता दर (टक्के)                 | १०.८० |

टिप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

हवामान आधारित शेक विभा योजना - खरीप हंग्राम २०१४

शेक - कापूस

जिल्हा - पंजाब

नॉर्सल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणे

संबंध हवामान केंद्र - महसुल पॅटर्न तार

१ अ) कमी घर्जेवमान

विभा संरक्षण कोषावधी : २५ जून २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२५ जून २०१४ ते<br>१० जुलै २०१४               | टप्पा २<br>११ जुलै २०१४ ते<br>२५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>२६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ४<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दराक                              | टप्पाधारित काढावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                             |                                                 |                                                 |
| इंधन १ (८)                        | ८ घटक ८० मि.मी.                                         | २६ घटक २६० मि.मी.                           | १६ घटक १६० मि.मी.                               | ५ घटक ५० मि.मी.                                 |
| निर्माण                           | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                  | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | २७५                                                     | १३०.७७                                      | २५०                                             | ३००                                             |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | २७५                                                     | १७३.०८                                      | २९०.६३                                          | ७६५                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २२००                                                    | ३४००                                        | २४००                                            | ९५००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २२००                                                    | ४५००                                        | ४६५०                                            | ३८२५                                            |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.) | ९५०० |
|-----------------------------|------|

टीप १ : टप्पाधारित (टप्पा क्र १, २ व ३) पाऊस निर्देशकांच्या ड्रिफ्ट व त्यावरील असल्यास, निर्देशकांच्या बरील पावसाच्या २० टक्के आकडेवारी पुढील टप्पात घेण्यात येईल.

टीप २ : कोणत्याही मागील टप्पात नुकसान भरपाई देव असल्यास पुढील सर्व टप्पात अ १ आणि अ २ दरमं नुकसान भरपाई देव राहील. तसे नसल्यास ब १ आणि ब २ दरमं देव राहील. कालावधी मागील टप्पात नुकसान भरपाई देव असल्यास पुढील सर्व टप्पात कमाल देव रक्कम अ प्रमाणे राहील. तसे नसल्यास कमाल देव रक्कम व प्रमाणे राहील.

२ अ) पावसाचे वितरण :

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| कालावधी                        | २५ जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४       |
| दराक                           | कम्यार कोरड्या दिवसांचा सुवात मोड करक |
| इंधन १ = >                     | १०                                    |
| इंधन २ = >                     | २४                                    |
| निर्माण                        | ४०                                    |
| दर १ (रु.प्रती सलग दिवस)       | ७०                                    |
| दर २ (रु.प्रती सलग दिवस)       | २२६.२७                                |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ५०००                                  |

टिप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणवत येईल

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते ५<br>जुलै २०१४                          | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते १५<br>ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते २५<br>ऑक्टोबर २०१४ | टप्पा ४<br>२६ ऑक्टोबर २०१४ ते ३१<br>ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| दराक                             | सलग तीन दिवस अति पाऊस झाल्यास, त्यादिकाणी एक पाऊस घटक = १० मि.मी. |                                            |                                                |                                                  |
| इंधन १ >                         | ११.५ घटक ११५ मि.                                                  | २० घटक २०० मि.मी.                          | २० घटक २०० मि.मी.                              | १५ घटक १५० मि.मी.                                |
| निर्माण                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                                                 | ३० घटक ३०० मि.मी.                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                              | ३० घटक ३०० मि.मी.                                |
| दर अ (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                            | २००                                        | २००                                            | १३३.३३                                           |
| दर ब (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                            | ३५०                                        | ५५०                                            | ५००                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | १५००                                                              | २०००                                       | २०००                                           | २०००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब (रु./हे.) | १५००                                                              | ३५००                                       | ५५००                                           | ७५००                                             |

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>देव (रु./हे.) | रु.७५०० |
|-----------------------------------------|---------|

टिप १ : जर मागील टप्पात नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ लागू होईल. जर मागील टप्पात नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब लागू होईल.

टिप २ : जर मागील टप्पात नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर मागील टप्पात नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| एकूण विभा संरक्षित रक्कम रु.<br>प्रति हे. | २२००० |
| विभा इंधन प्रति हेक्टर (रु.)              | २१५४  |
| विभा इंधन दर (टक्के)                      | २०.७० |

टिप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देव झाल्यास, नुकसान भरपाई असा केला जाणार नाही.



पौक - सोयमोन

प्रपत्र - ब ३२

हवामान आधारित पौक विभा योजना - खेतीप हंगाम २०१४

हवामान घटकाची प्रमाणिते

जिल्हा - धवतमाळ

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विभा संरक्षण कालावधी : २० जून २०१४ ते १५ ऑक्टोबर २०१४

तहसिल - सर्व  
संदर्भ हवामान केंद्र - भद्रसुल भंडळ नगर

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४                | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ५<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>१५ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दराक                              | टप्पासित्य कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                           |                                             |                                                   |                                                 |
| सुद्धांक १ <                      | ८ घटक ८० मि.मी.                                         | १० घटक १०० मि.मी.                         | १० घटक १०० मि.मी.                           | १२ घटक १२० मि.मी.                                 | ३ घटक ३० मि.मी.                                 |
| सुद्धांक २ <                      | २ घटक २० मि.मी.                                         | ४ घटक ४० मि.मी.                           | ४ घटक ४० मि.मी.                             | ४ घटक ४० मि.मी.                                   | २ घटक २० मि.मी.                                 |
| निगमन                             | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                            | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                    | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ १) रु. प्रती घटक             |                                                         | २४                                        | ४५                                          |                                                   |                                                 |
| दर अ २) रु. प्रती घटक             |                                                         |                                           |                                             | ३६०.००                                            | २४.००                                           |
| दर ब १) रु. प्रती घटक             | ६२८.००                                                  | ३४२.५०                                    | ६३.००                                       |                                                   | ४५२.००                                          |
| दर ब २) रु. प्रती घटक             |                                                         |                                           | ३६०.५०                                      | ४२०.००                                            |                                                 |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | ६२८.००                                                  | ४६०.००                                    | १०३.००                                      | ७०.००                                             | ११६.००                                          |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १४००                                                    | १७००                                      | ६२०.५०                                      | ७४७.५०                                            | २०४३.००                                         |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)    | १४००                                                    | २४००.००                                   | ३२००                                        | २०००                                              | ५००                                             |
|                                   |                                                         |                                           | ७५००                                        | ३५५०                                              | २२७५                                            |

टीप १: एखाद्या दराविक सुद्धांक १ पेक्षा दुप्पट पाऊस आल्यास तो पुढील टप्प्यासाठी पुढे चालू समन्यात येईल. टप्पा १ च्या वाकतात २० टक्के पर्जन्यमान, सुद्धांक १ पेक्षा जास्त पाऊस आल्यास (सुद्धांक मधील दुप्पट पाऊस आल्यास) तो टप्पा २ मध्ये पुढे विचारात घेण्यात येईल. टप्पा २ च्या वाकतात २० टक्के पर्जन्यमान, सुद्धांक १ पेक्षा जास्त पाऊस आल्यास (सुद्धांक मधील दुप्पट पाऊस आल्यास) तो टप्पा ३ मध्ये पुढे विचारात घेण्यात येईल.

टीप २: जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ १ आणि अ २ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब १ आणि ब २ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण

| कालावधी                          | २० जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| दराक                             | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सध्यात येईल काळ |
| सुद्धांक १ < >                   | ८                                        |
| सुद्धांक २ < >                   | ३०                                       |
| निगमन                            |                                          |
| दर १) रु. प्रती सलग दिवस         | ४०                                       |
| दर २) रु. प्रती सलग दिवस         | १८                                       |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | २८२.१८                                   |
|                                  | ३५००                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४                          | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ५<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दराक                             | सलग दोन दिवस सध्याधिक पाऊस, त्यादिवसाची २ पावसाचे घटक = १० मि.मी. |                                           |                                             |                                                   |                                                 |
| सुद्धांक >                       | १० घटक १०० मि.मी.                                                 | १० घटक १०० मि.मी.                         | २० घटक १०० मि.मी.                           | २० घटक १०० मि.मी.                                 | ३ घटक ३० मि.मी.                                 |
| निगमन                            | ३० घटक ३०० मि.मी.                                                 | ३० घटक ३०० मि.मी.                         | ३० घटक ३०० मि.मी.                           | ३० घटक ३०० मि.मी.                                 | २० घटक २०० मि.मी.                               |
| दर अ रु. प्रती घटक               |                                                                   | ५०.००                                     | ५०.००                                       | १००.००                                            | १४२.८६                                          |
| दर ब रु. प्रती घटक               |                                                                   | ५०.००                                     | १००.००                                      | ३००.००                                            | ५७०.४३                                          |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | १०००                                                              | १०००                                      | २०००                                        | ३०००                                              | २०००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब (रु./हे.) | १०००                                                              | २०००                                      | ४०००                                        | ६०००                                              | ८०००                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)   | ८०००                                                              |                                           |                                             |                                                   | ८०००                                            |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| एकूण विभा संरक्षित रक्कम रु. प्रति हे. | ११००० |
| विभा हप्त्या प्रति हेक्टर (रु.)        | १४२५  |
| विभा हप्त्या दर (रु/हे.)               | ७.५०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय आल्यास नुकसान भरपाई अदा केले जाणार नाही.

पीक - घुग

जिल्हा - यवतमाळ

तहसिल - सर्व

► हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १                                                 | टप्पा २                         | टप्पा ३                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                   | १५ जून २०१४ ते<br>३० जून २०१४                           | १ जुलै २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते<br>२० सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                             | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                 |                                        |
| स्ट्राईक १ (<)                    | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ५ घटक ५० मि.मी.                 | ४ घटक ४० मि.मी.                        |
| निर्माण                           | ० घटक ०० मि.मी.                                         | ० घटक ० मि.मी.                  | ० घटक ० मि.मी.                         |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | २१४.२९                                                  | १००.००                          | ५६२.५०                                 |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | २१४.२९                                                  | १०५०.००                         | १२१८.७५                                |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                            | २२५०                                   |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                            | ४८७५                                   |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | ८२५०                                                    |                                 |                                        |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होतील.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होतील.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                        | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
| दर्शक                          | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ =>                  | ८                                        |
| स्ट्राईक २ =>                  | २५                                       |
| निर्माण                        | ४४                                       |
| दर १) रु. सलग प्रती दिवस       | १५.००                                    |
| दर २) रु. सलग प्रती दिवस       | १९.७५                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | २२५०                                     |

टिप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                             | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                               | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक १ >                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्माण                             | ३१.५० घटक ३१५ मि.मी.                     | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५ घटक २७५ मि.मी.               |
| दर रु. प्रती घटक                    | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)      | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | रु. ४५००                                 |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्त्या प्रति हेक्टर (रु)        | ९००   |
| विमा हप्त्या दर (टक्के)               | ६.००  |

टिप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - व ३४  
हवामान आधारित पीक विमा योजना - खरीप हंगाम २०१४

पीक - उडीद

जिल्हा - यवतमाळ

तहसिल - सर्व

► हवामान घटकांची प्रमाणणे

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ स्तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : १५ जून २०१४ ते २० सप्टेंबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १                                                 | टप्पा २                         | टप्पा ३                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                   | १५ जून २०१४ ते<br>३० जून २०१४                           | १ जुलै २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | १ सप्टेंबर २०१४ ते<br>२० सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                             | टप्पानिहाय कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                 |                                        |
| स्ट्राईक १(>)                     | ७ घटक ७० मि.मी.                                         | ८ घटक ८० मि.मी.                 | ५ घटक ५० मि.मी.                        |
| निर्गमन                           | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                  | ० घटक ० मि.मी.                         |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | २१४.२९                                                  | ५६२.५०                          | ४५०.००                                 |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | २१४.२९                                                  | ५५६.२५                          | ९७५.००                                 |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १५००                                                    | ४५००                            | २२५०                                   |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १५००                                                    | ५२५०                            | ४८७५                                   |
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.)       | ८२५०                                                    |                                 |                                        |

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.  
जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

| कालावधी                          | १ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४             |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| दर्शक                            | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| स्ट्राईक १ =>                    | ८                                        |
| स्ट्राईक २ =>                    | २५                                       |
| निर्गमन                          | ४४                                       |
| दर १) रु. प्रती सलग दिवस         | १५                                       |
| दर २) रु. प्रती सलग दिवस         | ९९.७५                                    |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | २२५०                                     |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस आणि त्याच्या सलग पुर्वीच्या दिवसाचा एकूण पाऊस यांची बेरीज ५.०० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                             | टप्पा १                                  | टप्पा २                       | टप्पा ३                           |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | १५ जून २०१४ ते १५ जुलै २०१४              | १६ जुलै २०१४ ते १५ ऑगस्ट २०१४ | १६ ऑगस्ट २०१४ ते १५ सप्टेंबर २०१४ |
| दर्शक                               | दैनिक पर्जन्यमान, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                               |                                   |
| स्ट्राईक >                          | ६.५ घटक ६५ मि.मी.                        | ६.५ घटक ६५ मि.मी.             | ५ घटक ५० मि.मी.                   |
| निर्गमन                             | ३१.५ घटक ३१५ मि.मी.                      | २९ घटक २९० मि.मी.             | २७.५ घटक २७५ मि.मी.               |
| दर रु. प्रती घटक                    | ६०.००                                    | ६६.६७                         | ६६.६७                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)      | १५००                                     | १५००                          | १५००                              |
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ४.४५००                                   |                               |                                   |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु प्रति हे. | १५००० |
| विमा हप्त्या प्रति हेक्टर (रु)        | १४१०  |
| विमा हप्त्या दर (टक्के)               | ९.४०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - ब ३५

हवामान आधारित पीक विभाग पोजनर - जरीय हंगाम २०१४

पीक - कापूस

जिल्हा - नागपूर

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल पत्रक स्तर

१. अ) कमी पर्जन्यमान

विमा संरक्षण कालावधी : २५ जून २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४

| काळावधी                           | टप्पा १<br>२५ जून २०१४ ते<br>१० जुलै २०१४                 | टप्पा २<br>११ जुलै २०१४ ते<br>२५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>२६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ४<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दराक                              | टप्पानिहाय क्वांटिटीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                             |                                                 |                                                 |
| स्ट्राईक १ (<)                    | ८ घटक ८० मि.मी.                                           | २६ घटक २६० मि.मी.                           | १६ घटक १६० मि.मी.                               | ५ घटक ५० मि.मी.                                 |
| निर्माण                           | ० घटक ० मि.मी.                                            | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                  | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | २७५                                                       | २३०.७७                                      | २५०                                             | ३००                                             |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | २७५                                                       | २७३.०८                                      | २९०.६३                                          | ७६५                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २२००                                                      | ३४००                                        | २४००                                            | १५००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २२००                                                      | ४५००                                        | ४६५०                                            | ३८२५                                            |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.) | १५०० |
|-----------------------------|------|

टीप १ : टप्प्यातील (टप्पा क्र १, २ व ३) पाऊस निर्देशांकच्या दुप्पट व त्यापेक्षा अधिक असल्यास, निर्देशांकच्या बरोबर पाचपेक्षा २० टक्के आकडेवारी पुढील टप्प्यात घेण्यात येईल.

टीप २ : कोणत्याही भागात टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असल्यास पुढील सर्व टप्प्यात अ १ आणि अ २ दराने नुकसान भरपाई देव राहिल. तसे नसल्यास व १ आणि व २ दराने देव राहिल. कोणत्याही भागात टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असल्यास पुढील सर्व टप्प्यात कमाल देव रक्कम अ प्रमाणे राहिल. तसे नसल्यास कमाल देव रक्कम व प्रमाणे राहिल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| काळावधी                        | २५ जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४        |
| दराक                           | कमाल कोटच्या दिवसांचा सर्वात मोठा पाऊस |
| स्ट्राईक १ =>                  | १०                                     |
| स्ट्राईक २ =>                  | २४                                     |
| निर्माण                        | ४०                                     |
| दर १ (रु. प्रती सलग दिवस)      | ७०                                     |
| दर २ (रु. प्रती सलग दिवस)      | २२६.४७                                 |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ५०००                                   |

टीप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोटच्या दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| काळावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते ५<br>जुलै २०१४                            | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते २५<br>ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>२६ ऑगस्ट २०१४ ते २५<br>ऑक्टोबर २०१४ | टप्पा ४<br>२६ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| दराक                             | सलग तीन दिवस अति पाऊस झाल्यास, त्यादिवसांनी एक पाऊस घटक = १० मि.मी. |                                            |                                                |                                                  |
| स्ट्राईक १ >                     | १९.५ घटक १९५ मि.मी.                                                 | २० घटक २०० मि.मी.                          | २० घटक २०० मि.मी.                              | १५ घटक १५० मि.मी.                                |
| निर्माण                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                                                   | ३० घटक ३०० मि.मी.                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                              | ३० घटक ३०० मि.मी.                                |
| दर अ (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                              | २००                                        | २००                                            | १३३.३३                                           |
| दर ब (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                              | ३५०                                        | ५५०                                            | ५००                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | १५००                                                                | २०००                                       | २०००                                           | २०००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब (रु./हे.) | १५००                                                                | ३५००                                       | ५५००                                           | ७५००                                             |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>देव (रु./हे.) | रु. ७५०० |
|-----------------------------------------|----------|

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| एकूण विमा संरक्षित रक्कम रु.<br>प्रति हे. | २२००० |
| विमा हस्ता प्रति हेक्टर (रु.)             | २०००  |
| विमा हस्ता दर (टक्के)                     | १.५०  |

पोक - सोयाबीन

हवामान आधारित पोक विभा योजना - खरीप हंगाम २०१४

जिल्हा - नागपूर

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणे

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ तर

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विभा संरक्षण कालावधी : २० जून २०१४ ते २५ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४ | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ५<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>२५ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरांक                             | ८ घटक ८० मि.मी.                          | १६ घटक १६० मि.मी.                         | १३ घटक १३० मि.मी.                           | १२ घटक १२० मि.मी.                                 | ३ घटक ३० मि.मी.                                 |
| सुटारिक १ <                       | २ घटक २० मि.मी.                          | ६ घटक ६० मि.मी.                           | ५ घटक ५० मि.मी.                             | ५ घटक ५० मि.मी.                                   | १ घटक १० मि.मी.                                 |
| निर्माण                           | ० घटक ० मि.मी.                           | ० घटक ० मि.मी.                            | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                    | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ १) रु. प्रती घटक             | २४.००                                    | ३३                                        | ४७.५०                                       | ४६.००                                             | २४.००                                           |
| दर अ २) रु. प्रती घटक             | ६२८.००                                   | २२८.३३                                    | ३०४.००                                      | ३३५.६०                                            | ४५२.००                                          |
| दर ब १) रु. प्रती घटक             | २४.००                                    | ४७.५०                                     | ७७.५०                                       | ७९.००                                             | ४५२.००                                          |
| दर ब २) रु. प्रती घटक             | ६२८.००                                   | ३२८.३३                                    | ४९६.००                                      | ५९९.४०                                            | २०४३.००                                         |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १४००                                     | १३००                                      | १९००                                        | २०००                                              | ५००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | १४००                                     | २४००.००                                   | ३१००                                        | ३६५०                                              | २२७५                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)    |                                          |                                           |                                             |                                                   |                                                 |

७५००

टोप १: एखाद्या ठराविक सुटारिक १ पेक्षा दुप्पट पाऊस झाल्यास तो पूर्वील टप्प्यासाठी पुढे चालू समजण्यात येईल. टप्पा १ च्या बाबतीत २० ठक्के पर्जन्यमान सुटारिक १ पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास (सुटारिक १ पेक्षा दुप्पट पाऊस झाल्यास) तो टप्पा २ मध्ये पुढे विचारत घेण्यात येईल. टप्पा २ च्या बाबतीत २० ठक्के पर्जन्यमान सुटारिक १ पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास (सुटारिक १ पेक्षा दुप्पट पाऊस झाल्यास) तो टप्पा ३ मध्ये पुढे विचारत घेण्यात येईल.

टोप २: जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ १ आणि अ २ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब १ आणि ब २ लागू होईल.

जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

१ ब) बाबताचे विवरण

| कालावधी                          | २० जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| दरांक                            | क्रमवार कोरड्या दिवसांचा सर्वात मोठा काळ |
| सुटारिक १ >                      | ८                                        |
| सुटारिक २ >                      | ३०                                       |
| निर्माण                          | ४०                                       |
| दर अ रु. प्रती सलग दिवस          | १८                                       |
| दर ब रु. प्रती सलग दिवस          | २८२.१८                                   |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | ३५.००                                    |

टोप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति धुकस :

| कालावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४ | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ५<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>२५ ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरांक                            | १० घटक १०० मि.मी.                        | १० घटक १०० मि.मी.                         | १० घटक १०० मि.मी.                           | १० घटक १०० मि.मी.                                 | ३ घटक ३० मि.मी.                                 |
| सुटारिक >                        | ३० घटक ३०० मि.मी.                        | ३० घटक ३०० मि.मी.                         | ३० घटक ३०० मि.मी.                           | ३० घटक ३०० मि.मी.                                 | २० घटक २०० मि.मी.                               |
| निर्माण                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                        | ३० घटक ३०० मि.मी.                         | ३० घटक ३०० मि.मी.                           | ३० घटक ३०० मि.मी.                                 | २० घटक २०० मि.मी.                               |
| दर अ रु. प्रती घटक               | ५०.००                                    | ५०.००                                     | १००.००                                      | १००.००                                            | १४२.८६                                          |
| दर ब रु. प्रती घटक               | ५०.००                                    | १००.००                                    | २००.००                                      | ३००.००                                            | ५७०.४३                                          |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | १०००                                     | १०००                                      | २०००                                        | २०००                                              | २०००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब (रु./हे.) | १०००                                     | २०००                                      | ४०००                                        | ६०००                                              | ८०००                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)   |                                          |                                           |                                             |                                                   |                                                 |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ८००० |
|--------------------------------|------|

टोप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर दर अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर दर ब लागू होईल.

टोप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देय नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| एकूण विभा खरेदीत रक्कम रु.<br>प्रति हे. | १९००० |
| विभा हप्त्या प्रति हेक्टर (रु.)         | १२५४  |
| विभा हप्त्या दर (टक्के)                 | ६.६०  |

टोप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देय झाल्यास नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

प्रपत्र - अ ३७  
हवामान आधारित पीक विभा योजना - छत्तीसगढ़ राज्य २०१४

पौक - कापूस

जिल्हा - बघा

तहसिल - सर्व

हवामान घटकांची प्रमाणांके

संदर्भ हवामान केंद्र - महसूल मंडळ रत्न

१ अ) कमी पर्जन्यमान

विभा संरक्षण कालावधी : २५ जून २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२५ जून २०१४ ते<br>१० जुलै २०१४               | टप्पा २<br>११ जुलै २०१४ ते<br>२५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>२६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ४<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दराक                              | टप्पांतरात कालावधीतील एकूण पाऊस, १ घटक पाऊस = १० मि.मी. |                                             |                                                 |                                                 |
| सुद्धांक १ (८)                    | ८ घटक ८० मि.मी.                                         | २६ घटक २६० मि.मी.                           | १६ घटक १६० मि.मी.                               | ५ घटक ५० मि.मी.                                 |
| निर्गमन                           | ० घटक ० मि.मी.                                          | ० घटक ० मि.मी.                              | ० घटक ० मि.मी.                                  | ० घटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ) रु. प्रती घटक               | २७५                                                     | १३०.७७                                      | १५०                                             | ३००                                             |
| दर ब) रु. प्रती घटक               | २७५                                                     | १७३.०८                                      | २१०.६३                                          | ७६५                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २२००                                                    | ३४००                                        | २४००                                            | १५००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २२००                                                    | ४५००                                        | ४६५०                                            | ३८२५                                            |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई (रु./हे.) | १५०० |
|-----------------------------|------|

टीप १ : टप्पांतील (टप्पा क्र १, २ व ३) पाऊस निर्देशकांच्या दुप्पट व त्याबरोबर असल्यास, निर्देशकांच्या खाल पावसाच्या २० टक्के आकडेवारी पुढील टप्प्यात घेण्यात येईल.

टीप २ : कोणत्याही मागील टप्प्यात नुकसान भरपाई देण असल्यास पुढील सर्व टप्प्यात अ १ आणि अ २ दराने नुकसान भरपाई देण राहिल. तसे नसल्यास अ १ आणि अ २ दराने देण राहिल. काळ्याही मागील टप्प्यात नुकसान भरपाई देण असल्यास पुढील सर्व टप्प्यात कमाल देण रकम अ प्रमाणे राहिल. तसे नसल्यास कमाल देण रकम व प्रमाणे राहिल.

१ ब) पावसाचे वितरण :

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| कालावधी                        | २५ जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४          |
| दराक                           | क्रयधार कोरड्या दिवसांचे सर्वात मोठे काळ |
| सुद्धांक १ =>                  | १०                                       |
| सुद्धांक २ =>                  | २४                                       |
| निर्गमन                        | ४०                                       |
| दर १ (रु.प्रती सलग दिवस)       | ७०                                       |
| दर २ (रु.प्रती सलग दिवस)       | २३६.४७                                   |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ५०००                                     |

टिप : जर दिवसाचा एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस कोरडा दिवस गणण्यात येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                          | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते ५<br>जुलै २०१४                          | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते १५<br>ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>१६ ऑगस्ट २०१४ ते १५<br>ऑक्टोबर २०१४ | टप्पा ४<br>१६ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>३१ ऑक्टोबर २०१४ |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| दराक                             | सलग तीन दिवस अति पाऊस झाल्यास, ह्यादिकाणी एक पाऊस घटक = १० मि.मी. |                                            |                                                |                                                  |
| सुद्धांक १ >                     | ११.५ घटक ११५ मि.मी.                                               | २० घटक २०० मि.मी.                          | २० घटक २०० मि.मी.                              | १५ घटक १५० मि.मी.                                |
| निर्गमन                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                                                 | ३० घटक ३०० मि.मी.                          | ३० घटक ३०० मि.मी.                              | ३० घटक ३०० मि.मी.                                |
| दर अ (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                            | २००                                        | २००                                            | १३३.३३                                           |
| दर ब (रु./मि.मी.)                | १४२.८६                                                            | ३५०                                        | ५५०                                            | ५००                                              |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ (रु./हे.) | १५००                                                              | २०००                                       | २०००                                           | २०००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब (रु./हे.) | १५००                                                              | ३५००                                       | ५५००                                           | ७५००                                             |

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| एकूण कमाल नुकसान भरपाई<br>देण (रु./हे.) | ४,७५०० |
|-----------------------------------------|--------|

टीप १ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देण असेल तर दर अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देण नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देण असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर अगोदरच्या टप्प्यात नुकसान भरपाई देण नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| एकूण विभा संरक्षित रक्कम रु.<br>प्रति हे. | २२००० |
| विभा हक्का प्रति हेक्टर (रु.)             | २४८६  |
| विभा हक्का दर (टक्के)                     | ११.३० |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु ५००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देण झाल्यास, नुकसान भरपाई अदा केली जाणार नाही.

सौक - सोवर्धन  
हडमान चटकोटी समारोह

प्रय - य ३८  
हडमान आयुधित चोक्त विधा योजना - चरती हडमान २०१४  
जिना - बर

सतसित - स

संदर्भ हडमान केंद्र - महसूल चोक्त तल

१ अ) कमी चरतीसमान

विधा संरक्षण कालावधी : ३० जून २०१४ ते २५ ऑक्टोबर २०१४

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४                  | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ५<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>२५ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरिक्त                            | टप्पासमान कालावधीतील (महसूल पाऊस, २ चटक पाऊस = १० मि.मी.) |                                           |                                             |                                                   |                                                 |
| सुदृढीक १ <                       | ८ चटक ८० मि.मी.                                           | १८ चटक २८० मि.मी.                         | २८ चटक १८० मि.मी.                           | २८ चटक १३० मि.मी.                                 | ३ चटक ३० मि.मी.                                 |
| सुदृढीक २ <                       | ३ चटक ३० मि.मी.                                           | ८ चटक ८० मि.मी.                           | ८ चटक ८० मि.मी.                             | ६ चटक ६० मि.मी.                                   | १ चटक १० मि.मी.                                 |
| निर्माण                           | ० चटक ० मि.मी.                                            | ० चटक ० मि.मी.                            | ० चटक ० मि.मी.                              | ० चटक ० मि.मी.                                    | ० चटक ० मि.मी.                                  |
| दर अ १) रु. प्रती चटक             | २८.५०                                                     | ४२.००                                     | ३८.००                                       | ४६.००                                             | २४.००                                           |
| दर अ २) रु. प्रती चटक             | ४२१.१०                                                    | १६०.००                                    | १९०.००                                      | २४९.६७                                            | ४५२.००                                          |
| दर ब १) रु. प्रती चटक             | २८.५०                                                     | ४३.५०                                     | ६२.००                                       | २४९.६७                                            | ४५२.००                                          |
| दर ब २) रु. प्रती चटक             | ४२१.१०                                                    | २४०.६३                                    | २२०.००                                      | ४०७.३३                                            | २०४३.००                                         |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | १५००                                                      | १०००                                      | १९००                                        | २०००                                              | ५००                                             |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २४००                                                      | २४००.००                                   | ३२००                                        | ३५५०                                              | २२७५                                            |
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.)    |                                                           |                                           |                                             |                                                   |                                                 |

टीप १: हडमान चरतीसमान सुदृढीक १ पेक्षा सुदृढ पाऊस झाल्यास तो सुदृढ टप्पासमानी पुढे चालू मानवण्यात येईल. टप्पा १ च्या बाबतीत २० टप्पा पडल्यास, सुदृढीक १ पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास (सुदृढीक बाबत सुदृढ पाऊस झाल्यास) ते टप्पा २ मध्ये पुढे विचारता येण्यात येईल. टप्पा २ च्या बाबतीत २० टप्पा पडल्यास, सुदृढीक २ पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास (सुदृढीक बाबत सुदृढ पाऊस झाल्यास) तो टप्पा ३ मध्ये पुढे विचारता येण्यात येईल.

टीप २: जर आग्नेय टप्पासमान नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ २ आणि अ २ लागू होईल. जर आग्नेय टप्पासमान नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब २ आणि ब २ लागू होईल.

जर आग्नेय टप्पासमान नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर आग्नेय टप्पासमान नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

२ ब) पावसाचे वितरण

| कालावधी                           | २० जून २०१४ ते ३० सप्टेंबर २०१४         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| दरिक्त                            | क्रमवार कोट्याव दिवसांचा संचित मंडा कळत |
| सुदृढीक १ >                       | ८                                       |
| सुदृढीक २ >                       | ३०                                      |
| निर्माण                           | ४०                                      |
| दर अ १) रु. प्रती सलग दिवस        | २८                                      |
| दर अ २) रु. प्रती सलग दिवस        | २८२.२८                                  |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २५००                                    |

टीप : जर विषयास एकूण पाऊस २.५० मि.मी. पेक्षा कमी असेल तर, तो दिवस पडेता विषय मरणास येईल.

२) अति पाऊस :

| कालावधी                           | टप्पा १<br>२० जून २०१४ ते<br>५ जुलै २०१४                     | टप्पा २<br>६ जुलै २०१४ ते<br>५ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ३<br>६ ऑगस्ट २०१४ ते<br>३१ ऑगस्ट २०१४ | टप्पा ४<br>१ सप्टेंबर २०१४ ते<br>३० सप्टेंबर २०१४ | टप्पा ५<br>१ ऑक्टोबर २०१४ ते<br>२५ ऑक्टोबर २०१४ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| दरिक्त                            | सलग दोन दिवस संचित पाऊस, संचितकालीन १ पाऊसच पाऊस = १० मि.मी. |                                           |                                             |                                                   |                                                 |
| सुदृढीक १ >                       | १० चटक १०० मि.मी.                                            | १० चटक १०० मि.मी.                         | १० चटक १०० मि.मी.                           | १० चटक १०० मि.मी.                                 | १० चटक १०० मि.मी.                               |
| निर्माण                           | ३० चटक ३०० मि.मी.                                            | ३० चटक ३०० मि.मी.                         | ३० चटक ३०० मि.मी.                           | ३० चटक ३०० मि.मी.                                 | ३० चटक ३०० मि.मी.                               |
| दर अ १) रु. प्रती चटक             | ५०.००                                                        | ५०.००                                     | २००.००                                      | २००.००                                            | १४२.८६                                          |
| दर ब १) रु. प्रती चटक             | ५०.००                                                        | १००.००                                    | २००.००                                      | २००.००                                            | ५७०.४३                                          |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>अ) (रु./हे.) | २०००                                                         | १०००                                      | २०००                                        | २०००                                              | २०००                                            |
| कमाल नुकसान भरपाई<br>ब) (रु./हे.) | २०००                                                         | २०००                                      | ४०००                                        | ६०००                                              | ८०००                                            |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| एकूण नुकसान भरपाई<br>(रु./हे.) | ८००० |
|--------------------------------|------|

टीप १ : जर आग्नेय टप्पासमान नुकसान भरपाई देव असेल तर दर अ लागू होईल. जर आग्नेय टप्पासमान नुकसान भरपाई देव नसेल तर दर ब लागू होईल.

टीप २ : जर आग्नेय टप्पासमान नुकसान भरपाई देव असेल तर कमाल नुकसान भरपाई अ लागू होईल. जर आग्नेय टप्पासमान नुकसान भरपाई देव नसेल तर कमाल नुकसान भरपाई ब लागू होईल.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| एकूण विषय संरक्षित हडमान रु.<br>प्रति हे. | २९००० |
| विषय हडमा प्रति हेक्टर (रु.)              | ९१५९  |
| विषय हडमा दर (हेक्टर)                     | ६.१०  |

टीप : जर एकूण नुकसान भरपाई रु. ५०००/- किंवा त्यापेक्षा कमी देव झाल्यास नुकसान भरपाई अला केली जाणार नाही.

हवामान आधारित पीक विभा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - भात

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ       | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ      |
|--------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|-----------|
| १      | ठाणे          | १      | ठाणे       | १      | ठाणे          | ३७     | डहाणू     |
| १      | ठाणे          | २      | मुंम       | ८      | डहाणू         | ३८     | मल्याण    |
|        |               | ३      | दहिसर      |        |               | ३९     | चिचणी     |
|        |               | ४      | बालकुम     |        |               | ४०     | कासा      |
|        |               | ५      | भाईदर      |        |               | ४१     | सायवन     |
| २      | कल्याण        | ६      | कल्याण - १ | ९      | पालघर         | ४२     | पालघर     |
|        |               | ७      | कल्याण - २ |        |               | ४३     | बोईसर     |
|        |               | ८      | नांदगाव    |        |               | ४४     | तरापुर    |
|        |               | ९      | ठाकली      |        |               | ४५     | मनोर      |
|        |               | १०     | टिटवाला    |        |               | ४६     | सफाळा     |
| ३      | मुरबाड        | ११     | मुरबाड     |        |               | ४७     | आगरवाडी   |
|        |               | १२     | धसई        | १०     | जळार          | ४८     | जळार      |
|        |               | १३     | सरळगाव     |        |               | ४९     | साखरशेत   |
|        |               | १४     | न्याहाडी   | ११     | विक्रमगड      | ५०     | विक्रमगड  |
|        |               | १५     | रेहेरी     |        |               | ५१     | तलवाडा    |
| ४      | भिवंडी        | १६     | भिवंडी - १ | १२     | मोखाडा        | ५२     | मोखाडा    |
|        |               | १७     | भिवंडी - २ |        |               | ५३     | खोडाळा    |
|        |               | १८     | आनगाव      | १३     | तलासरी        | ५४     | तलासरी    |
|        |               | १९     | एडघा       |        |               | ५५     | झरी       |
|        |               | २०     | दिघाशी     | १४     | अंबरनाथ       | ५६     | कुंभार्ली |
| ५      | वसई           | २१     | खारबांब    |        |               | ५७     | अंबरनाथ   |
|        |               | २२     | वसई        |        |               | ५८     | गोरेगाव   |
|        |               | २३     | माणिकपुर   |        |               | ५९     | बदलापुर   |
|        |               | २४     | विरार      | २      | रायगड         |        |           |
|        |               | २५     | आगाशी      | १      | अलिबाग        | १      | अलिबाग    |
|        |               | २६     | निर्मळ     |        |               | २      | किहीम     |
| ६      | वाडा          | २७     | मांडवी     |        |               | ३      | पोयनाड    |
|        |               | २८     | वाडा       |        |               | ४      | सारळ      |
|        |               | २९     | कुडूस      |        |               | ५      | चरी       |
|        |               | ३०     | कांचड      |        |               | ६      | चौल       |
|        |               | ३१     | भांडवा     |        |               | ७      | रामराज    |
| ७      | शहापूर        | ३२     | शहापूर     | २      | पनवेल         | ८      | पनवेल     |
|        |               | ३३     | किन्हावली  |        |               | ९      | ओवळे      |
|        |               | ३४     | वाशिद      |        |               | १०     | पोयजे     |
|        |               | ३५     | खडी        |        |               | ११     | कर्नाळा   |
|        |               | ३६     | डोळखांब    |        |               | १२     | मोरजे     |
|        |               |        |            |        |               | १३     | तळोजे     |



पिक - भात

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ      | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ       |
|--------|---------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|------------|
| २      | रायगड         |        |           | २      | रायगड         |        |            |
| ३      | कर्जत         | १४     | कर्जत     | ९      | माणगाव        | ३९     | माणगाव     |
|        |               | १५     | नेरळ      |        |               | ४०     | इंदापूर    |
|        |               | १६     | कडाव      |        |               | ४१     | गोरेगाव    |
|        |               | १७     | कशेळे     |        |               | ४२     | लोणेरे     |
|        |               | १८     | कळंब      |        |               | ४३     | निजामपूर   |
| ४      | खालापूर       | १९     | खोपोली    | १०     | तळा           | ४४     | तळा        |
|        |               | २०     | बावोशी    |        |               | ४५     | भेढा       |
|        |               | २१     | चोंक      | ११     | रोहा          | ४६     | रोहा       |
| ५      | उरण           | २२     | उरण       |        |               | ४७     | चणोरे      |
|        |               | २३     | कोप्रोली  |        |               | ४८     | कोलाड      |
|        |               | २४     | जासई      |        |               | ४९     | नागोठणे    |
| ६      | सुधागड        | २५     | पाली      | १२     | पोलादपूर      | ५०     | पोलादपूर   |
|        |               | २६     | अतोणे     |        |               | ५१     | वाकण       |
|        |               | २७     | जोभूळपाडा |        |               | ५२     | कोंढवी     |
| ७      | पेण           | २८     | पेण       | १३     | मुरुड         | ५३     | मुरुड      |
|        |               | २९     | कामाली    |        |               | ५४     | नांदगाव    |
|        |               | ३०     | हमरापूर   |        |               | ५५     | बोली       |
|        |               | ३१     | वाशी      | १४     | श्रीवर्धन     | ५६     | श्रीवर्धन  |
|        |               | ३२     | कासु      |        |               | ५७     | वळवटी      |
| ८      | महाड          | ३३     | महाड      |        |               | ५८     | बोली पंचतन |
|        |               | ३४     | तुडील     | १५     | म्हसळा        | ५९     | म्हसळा     |
|        |               | ३५     | करंजाडी   |        |               | ६०     | खामगाव     |
|        |               | ३६     | विरवाडी   |        |               |        |            |
|        |               | ३७     | खरवली     |        |               |        |            |
|        |               | ३८     | नाते      |        |               |        |            |

पिक - भात

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ         | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ        |
|--------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|-------------|
| ३      | सातारा        |        |              | ३      | सातारा        |        |             |
| १      | सातारा        | १      | सातारा       | ३      | पाटण          | २५     | चाफळ        |
|        |               | २      | खेड          |        |               | २६     | तारळे       |
|        |               | ३      | वर्य         |        |               | २७     | मल्हारपेठ   |
|        |               | ४      | कण्हेर       |        |               | २८     | तळमावले     |
|        |               | ५      | शेंद्रे      |        |               | २९     | कुठरे       |
|        |               |        |              | ४      | कराड          | ३०     | कराड        |
|        |               | ६      | नागठाणे      |        |               | ३१     | उंभोज       |
|        |               | ७      | आंबवडे       |        |               | ३२     | इंदोली      |
|        |               | ८      | दहीवड        |        |               | ३३     | सुपने       |
|        |               | ९      | परळी         |        |               | ३४     | मसूर        |
|        |               |        |              |        |               | ३५     | कवठे        |
|        |               | १०     | वडूथ         |        |               | ३६     | कोपडे हवेली |
|        |               | ११     | तासगाव       |        |               | ३७     | सेदापूर     |
|        |               | १२     | अपशिणे       |        |               | ३८     | शेणोली      |
| २      | जावळी (मेढा)  | १३     | जावळी (मेढा) |        |               | ३९     | कोळे        |
|        |               | १४     | आनेवाडी      |        |               | ४०     | उंडाळे      |
|        |               | १५     | कुडाळ        |        |               | ४१     | काले        |
|        |               |        |              |        |               | ४२     | मलकापूर     |
|        |               | १६     | बामणोली      | ५      | वाई           | ४३     | पसरणी       |
|        |               | १७     | केळघर        |        |               | ४४     | पाचवड       |
|        |               | १८     | करहर         |        |               | ४५     | धोम         |
| ३      | पाटण          | १९     | पाटण         |        |               | ४६     | वाई         |
|        |               | २०     | म्हावशी      |        |               |        |             |
|        |               | २१     | हेळवाक       | ६      | महाबळेश्वर    | ४७     | तापोळा      |
|        |               | २२     | भरळी         |        |               |        |             |
|        |               | २३     | मोरगोरी      |        |               |        |             |
|        |               | २४     | ढेबेवाडी     |        |               |        |             |

एकूण अधिसूचित मंडळ - १६६

हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - ज्वारी

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ          | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ          |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| १      | जळगाव         | १      | जळगाव         | १      | जळगाव         |        |               |
| १      | जळगाव         | २      | म्हसावद       | ५      | रावेर         | २०     | रावेर         |
|        |               | ३      | भोकर          |        |               | २१     | खानापूर       |
|        |               | ४      | पिंपराळा      |        |               | २२     | खिरोदा        |
|        |               | ५      | नशिराबाद      |        |               | २३     | निंभोरा (बु.) |
|        |               | ६      | असोदा         |        |               | २४     | खिडी          |
|        |               |        |               |        |               | २५     | ऐनपूर         |
|        |               |        |               |        |               | २६     | सावदा         |
| २      | भुसावळ        | ७      | भुसावळ        | ६      | मुक्ताईनगर    | २७     | मुक्ताईनगर    |
|        |               | ८      | कुन्हे        |        |               | २८     | अंतुर्ली      |
|        |               | ९      | वरणगाव        |        |               | २९     | कुन्हा        |
|        |               | १०     | पिंपळगाव (ख.) |        |               | ३०     | घोडसगाव       |
| ३      | बोदवड         | ११     | बोदवड         | ७      | अमळनेर        | ३१     | अमळनेर        |
|        |               | १२     | नाडगाव        |        |               | ३२     | शिरुड         |
|        |               | १३     | करंजी         |        |               | ३३     | नगाव          |
| ४      | यावत          | १४     | यावत          |        |               | ३४     | पाटोदा        |
|        |               | १५     | भालोद         |        |               | ३५     | अमळगाव        |
|        |               | १६     | बामणोद        |        |               | ३६     | मारवाड        |
|        |               | १७     | फैजपूर        |        |               | ३७     | भरवस          |
|        |               | १८     | साकळी         |        |               | ३८     | चावडे         |
|        |               | १९     | किनगाव        |        |               |        |               |

पिक - ज्वारी

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ           |
|--------|---------------|--------|----------------|
| १      | जळगाव         | ३९     | चोपडा          |
| ८      | चोपडा         | ४०     | हातेड          |
|        |               | ४१     | लासूर          |
|        |               | ४२     | अडावद          |
|        |               | ४३     | धानोरा (प्रा.) |
|        |               | ४४     | गोरगावले       |
|        |               | ४५     | बडी            |
| ९      | एरंडोल        | ४६     | एरंडोल         |
|        |               | ४७     | रीगणगाव        |
|        |               | ४८     | कासोदा         |
|        |               | ४९     | उत्तराण (गृह)  |
| १०     | धरणगाव        | ५०     | धरणगाव         |
|        |               | ५१     | साळवा          |
|        |               | ५२     | सोनवद          |
|        |               | ५३     | पिंपरी         |
|        |               | ५४     | पालाढी         |
|        |               | ५५     | चांदसर         |
| ११     | पारोळा        | ५६     | पारोळा         |
|        |               | ५७     | बहादरपूर       |
|        |               | ५८     | शेळगे          |
|        |               | ५९     | तामसवाडी       |
|        |               | ६०     | चोरवड          |
| १२     | चाळीसगाव      | ६१     | चाळीसगाव       |
|        |               | ६२     | खडकी           |
|        |               | ६३     | हातले          |

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ          |
|--------|---------------|--------|---------------|
| १      | जळगाव         | ६४     | मेहणबारे      |
| १२     | चाळीसगाव      | ६५     | बहाळ          |
|        |               | ६६     | तळेगाव        |
|        |               | ६७     | शिरस्त्रगाव   |
| १३     | जामनेर        | ६८     | जामनेर        |
|        |               | ६९     | नेरी          |
|        |               | ७०     | मालदाभाडी     |
|        |               | ७१     | पहुर          |
|        |               | ७२     | संदुर्णी      |
|        |               | ७३     | तांडापूर      |
|        |               | ७४     | फत्तेपूर      |
|        |               | ७५     | वाकडी         |
| १४     | पाचोरा        | ७६     | पाचोरा        |
|        |               | ७७     | नगरदेवळा      |
|        |               | ७८     | गाळण          |
|        |               | ७९     | नांदरा        |
|        |               | ८०     | कुन्हाड (बु.) |
|        |               | ८१     | वरखेडी (बु.)  |
|        |               | ८२     | पिंपळगाव      |
| १५     | भडगाव         | ८३     | भडगाव         |
|        |               | ८४     | आमदडे         |
|        |               | ८५     | कोळगाव        |
|        |               | ८६     | कजगाव         |

पिक - ज्वारी

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ |
|--------|---------------|--------|------|
|--------|---------------|--------|------|

२ सातारा

१ सातारा

१ सातारा

२ खेड

३ वर्य

४ कनेर

५ शेंद्रे

६ नागठाणे

७ आंबवडे

८ दहिवड

९ परळी

१० वडूथ

११ तासगांव

१२ अपरिंगे

२ जावळी (मेढा)

१३ जावळी (मेढा)

१४ आनेवाडी

१५ केळघर

१६ करहर

१७ कुडाळ

१८ बामणोली

३ पाटण

१९ पाटण

२० म्हावशी

२१ हेळवाक

२२ मरळी

२३ मोरगीरी

२४ ढेबेवाडी

२५ चाफळ

२६ तारळे

२७ मल्हारपेठ

२८ तळमावले

२९ कुठरे

४ कराड

३० कराड

३१ उंज्रज

३२ इंदोली

३३ सुपने

३४ मसूर

३५ कवठे

३६ कोपडे हवेली

३७ सैदापूर

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ |
|--------|---------------|--------|------|
|--------|---------------|--------|------|

२ सातारा

४ कराड

३८ शेणोली

३९ कोळे

४० उंडाळे

४१ काले

४२ मलकापूर

५ कोरेगाव

४३ कोरेगाव

४४ कुमठे

४५ रहिमतपूर

४६ शिरंबे

४७ वाठारकिरोली

४८ वाठार (स्ते.)

४९ पिंपोडे (बु.)

५० सातारा रोड

५१ किन्हई

६ खटाव

५२ खटाव

५३ औध

५४ पूसेगाव

५५ बुध

५६ वडुज

५७ पूसेसावळी

५८ मायणी

५९ निमसोड

६० कातरखटाव

७ वाई

६१ पसरणी

६२ पाचवड

६३ धोम

६४ वाई

६५ भुईज

६६ ओझडे

६७ सुरुर

८ महाबळेश्वर

६८ तापोळा

६९ लामज

पिक - ज्वारी

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ |
|--------|---------------|--------|------|
|--------|---------------|--------|------|

|   |         |    |            |
|---|---------|----|------------|
| ३ | सांगली  | १  | मिरज       |
| १ | मिरज    | २  | मालगाव     |
|   |         | ३  | आरग        |
|   |         | ४  | कवलापूर    |
|   |         | ५  | बुधगाव     |
| २ | जत      | ६  | डफळापूर    |
|   |         | ७  | कुंभारी    |
|   |         | ८  | उमदी       |
|   |         | ९  | संख        |
| ३ | खानापूर | १० | खानापूर    |
|   |         | ११ | करंजे      |
|   |         | १२ | बिटा       |
|   |         | १३ | लेंगरे     |
|   |         | १४ | भालवणी     |
| ४ | वाळवा   | १५ | वाळवा      |
|   |         | १६ | आष्टा      |
|   |         | १७ | कोरेगाव    |
|   |         | १८ | इस्लामपूर  |
|   |         | १९ | पेठ        |
|   |         | २० | कामेरी     |
|   |         | २१ | कासेगाव    |
|   |         | २२ | तांडुळवाडी |
|   |         | २३ | चिंकुर्डे  |
|   |         | २४ | ताकारी     |
|   |         | २५ | बहे        |
| ५ | तासगाव  | २६ | तासगाव     |
|   |         | २७ | विसापूर    |
|   |         | २८ | मांजर्डे   |

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ |
|--------|---------------|--------|------|
|--------|---------------|--------|------|

|    |            |    |            |
|----|------------|----|------------|
| ३  | सांगली     | २९ | मणोरान्जरी |
| ५  | तासगाव     | ३० | सावळज      |
|    |            | ३१ | येळावी     |
| ६  | पळूस       | ३२ | भीलवडी     |
|    |            | ३३ | अंकलखोप    |
|    |            | ३४ | पलूस       |
|    |            | ३५ | कुंडल      |
| ७  | कडेगाव     | ३६ | कडेगाव     |
|    |            | ३७ | शाळगाव     |
|    |            | ३८ | नेवरी      |
|    |            | ३९ | वांगी      |
|    |            | ४० | चिंचणी     |
| ८  | शिराळा     | ४१ | शिराळा     |
|    |            | ४२ | मांगले     |
|    |            | ४३ | सागाव      |
|    |            | ४४ | शिरसी      |
|    |            | ४५ | चरण आरळा   |
|    |            | ४६ | कोकरुड     |
| ९  | आटपाडी     | ४७ | आटपाडी     |
|    |            | ४८ | खरसूडी     |
|    |            | ४९ | दिघंची     |
| १० | कवठेमहाकाळ | ५० | कवठेमहाकाळ |
|    |            | ५१ | कुची       |
|    |            | ५२ | ढालगाव     |
|    |            | ५३ | देशिंग     |
|    |            | ५४ | हिंगणगाव   |

पिक - ज्वारी

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ          | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ           |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|
| ३      | लातूर         | १      | लातूर         | ३      | लातूर         |        |                |
| १      | लातूर         | २      | बाभळगाव       | ५      | निलंगा        | २६     | निलंगा         |
|        |               | ३      | हरंगुळ (बु.)  |        |               | २७     | पानचिंचोली     |
|        |               | ४      | कासारखेडा     |        |               | २८     | अबूलगा         |
|        |               |        |               |        |               | २९     | निदूर          |
|        |               | ५      | मुरुड         |        |               | ३०     | कासार सिरसी    |
|        |               | ६      | तांदुळजा      |        |               | ३१     | मदनसूरी        |
|        |               | ७      | चिंचोली (बु.) |        |               |        |                |
|        |               | ८      | गालेगाव       |        |               | ३२     | औराद शहाजनी    |
| २      | रेणापूर       | ९      | रेणापूर       | ६      | शिरूर अनंतपाळ | ३३     | कासार बालकुंदा |
|        |               | १०     | पानगाव        |        |               | ३४     | शिरूर अनंतपाळ  |
|        |               | ११     | पोहरेगाव      |        |               | ३५     | साकोळ          |
|        |               | १२     | कारेपूर       |        |               | ३६     | हिसामाबाद      |
|        |               |        |               | ७      | उदगीर         | ३७     | उदगीर          |
| ३      | औसा           | १३     | औसा           |        |               | ३८     | नानलगाव        |
|        |               | १४     | किनी थोट      |        |               | ३९     | हेर            |
|        |               |        |               |        |               | ४०     | देवर्जन        |
|        |               | १५     | भादा          |        |               |        |                |
|        |               | १६     | मातोळा        |        |               | ४१     | वाढोणा         |
|        |               | १७     | बेलकुंड       |        |               | ४२     | नळगिर          |
|        |               | १८     | किल्लारी      | ८      | जळकोट         | ४३     | मोधा           |
|        |               | १९     | लामजना        |        |               | ४४     | जळकोट          |
| ४      | अहमदपूर       | २०     | अहमदपूर       | ९      | देवणी         | ४५     | घोणशी          |
|        |               | २१     | खंडाळी        |        |               | ४६     | देवणी          |
|        |               |        |               |        |               | ४७     | बारोळ          |
|        |               | २२     | किनगाव        |        |               | ४८     | वलांडी         |
|        |               | २३     | आंधोरी        | १०     | चाकूर         | ४९     | चाकूर          |
|        |               |        |               |        |               | ५०     | नळेगाव         |
|        |               | २४     | शिरूर ताजबंद  |        |               | ५१     | वडवळ           |
|        |               | २५     | हाडोळती       |        |               | ५२     | झरी (बु.)      |
|        |               |        |               |        |               | ५३     | शेळगाव         |

एकूण अधिसूचित मंडळ : २६२

हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - बाजरी

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ           | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ       |
|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|------------|
| १      | अहमदनगर       | १      | जेऊर           | १      | अहमदनगर       |        |            |
| १      | नगर           | २      | कापूरवाडी      | २      | पारनेर        | १८     | वडझीरे     |
|        |               | ३      | चिंचोडी (पा.)  |        |               | १९     | निघोज      |
|        |               | ४      | भिंभार         | ३      | श्रीगोंदा     | २०     | श्रीगोंदा  |
|        |               | ५      | वाळकी          |        |               | २१     | पेडगाव     |
|        |               | ६      | रुई छत्तीसी    |        |               | २२     | मांडवगण    |
|        |               | ७      | नालेगांव       |        |               | २३     | कोळगाव     |
|        |               | ८      | साचेडी         |        |               | २४     | बेलवडी     |
|        |               | ९      | नागापूर        |        |               | २५     | देवदैठण    |
|        |               | १०     | चमस            |        |               | २६     | काष्टी     |
|        |               | ११     | कडेगाव         |        |               | २७     | विंभळा     |
| २      | पारनेर        | १२     | पारनेर         | ४      | कर्जत         | २८     | कर्जत      |
|        |               | १३     | भाळवणी         |        |               | २९     | राशौन      |
|        |               | १४     | सुषा           |        |               | ३०     | भांबोरा    |
|        |               | १५     | वाडेगव्हाण     |        |               | ३१     | मिरजगांव   |
|        |               | १६     | टाकळी डोकेश्वर |        |               | ३२     | कोंभाळी    |
|        |               | १७     | पळशी           |        |               | ३३     | माहिजळगांव |



पिक - बाजरी

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ           | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ         |
|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|--------------|
| १      | अहमदनगर       |        |                | १      | अहमदनगर       |        |              |
| ५      | जामखेड        | ३४     | जामखेड         | १०     | संगमनेर       | ६८     | घासगाव       |
|        |               | ३५     | अरणगाव         |        |               | ६९     | डोळासने      |
|        |               | ३६     | खड्डा          |        |               | ७०     | साकूर        |
|        |               | ३७     | नामनज          |        |               | ७१     | पिंपरणे      |
|        |               | ३८     | नाथगाव         |        |               | ७२     | आरवी         |
| ६      | शेवगाव        | ३९     | शेवगाव         |        |               | ७३     | शिवलापूर     |
|        |               | ४०     | भातकुडगाव      |        |               | ७४     | तळेगाव       |
|        |               | ४१     | डोरजळगाव (शे.) |        |               | ७५     | सामनापूर     |
|        |               | ४२     | एरंडगाव        | ११     | अकोले         | ७६     | अकोले        |
|        |               | ४३     | बोधेगाव        |        |               | ७७     | समशेरपूर     |
|        |               | ४४     | चापडगाव        |        |               | ७८     | विरगाव       |
| ७      | पाथर्डी       | ४५     | पाथर्डी        |        |               | ७९     | राजूर        |
|        |               | ४५     | माणिकर्दीडी    |        |               | ८०     | साकूरवाडी    |
|        |               | ४७     | करंजी          |        |               | ८१     | शेंडी        |
|        |               | ४८     | मिरी           |        |               | ८२     | कोतुळ        |
|        |               | ४९     | टाकळीभानूर     | १२     | कोपरगाव       | ८३     | ब्राम्हणवाडा |
|        |               | ५०     | कोरडगाव        |        |               | ८४     | कोपरगाव      |
| ८      | नेवासा        | ५१     | नेवासा (खु.)   |        |               | ८५     | रवंदे        |
|        |               | ५२     | नेवासा (बु.)   |        |               | ८६     | फांहेगाव     |
|        |               | ५३     | सलाबतपूर       |        |               | ८७     | दहीगाव बोलका |
|        |               | ५४     | सोनई           | १३     | रहता          | ८८     | सुरेगाव      |
|        |               | ५५     | घोडेगाव        |        |               | ८९     | रहता         |
|        |               | ५६     | वडाळा धैरोबा   |        |               | ९०     | लोणी         |
|        |               | ५७     | चांदा          |        |               | ९१     | बामळेश्वर    |
|        |               | ५८     | कुकाणा         |        |               | ९२     | शिर्डी       |
| ९      | राहुरी        | ५९     | राहुरी         | १४     | श्रीरामपूर    | ९३     | पुणतांबा     |
|        |               | ६०     | सात्रळ         |        |               | ९४     | श्रीरामपूर   |
|        |               | ६१     | तहाराबाद       |        |               | ९५     | बेलापूर      |
|        |               | ६२     | वांबोरी        |        |               | ९६     | टाकळीभान     |
|        |               | ६३     | ब्राम्हणी      |        |               | ९७     | उंदीरगाव     |
|        |               | ६४     | देवळाली        |        |               |        |              |
|        |               | ६५     | टाकळीमिवा      |        |               |        |              |
| १०     | संगमनेर       | ६६     | संगमनेर        |        |               |        |              |
|        |               | ६७     | धांदरफळ        |        |               |        |              |

पिक - बाजरी

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ           | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ        |
|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|-------------|
| २      | सातारा        |        |                | २      | सातारा        |        |             |
| १      | कोरेगाव       | १      | कोरेगाव        | ४      | फलटण          | २६     | फलटण        |
|        |               | २      | कूमठे          |        |               | २७     | आसू         |
|        |               | ३      | रहीमतपूर       |        |               | २८     | होळ         |
|        |               | ४      | शिरवे          |        |               | २९     | गौरवी       |
|        |               | ५      | वाठारकिरोली    |        |               | ३०     | आदरकी (बु.) |
|        |               | ६      | वठार (स्टे.)   |        |               | ३१     | वठार (नि.)  |
|        |               | ७      | पिपोडे (बु.)   |        |               | ३२     | बरड         |
|        |               | ८      | सातारा रोड     |        |               | ३३     | राजाळे      |
|        |               | ९      | किन्हई         |        |               | ३४     | तरडगाव      |
| २      | खटाव          | १०     | खटाव           | ५      | खंडाळा        | ३५     | खंडाळा      |
|        |               | ११     | औध             |        |               | ३६     | वठार (बु.)  |
|        |               | १२     | पूसेगाव        |        |               | ३७     | शिरवळ       |
|        |               | १३     | बुध            |        |               | ३८     | लोणंद       |
|        |               | १४     | चडूज           |        |               | ३९     | पाचवड       |
|        |               | १५     | पूसेसावळी      | ६      | वाई           | ४०     | सुरुर       |
|        |               | १६     | मायणी          |        |               |        |             |
|        |               | १७     | निमसोड         |        |               |        |             |
|        |               | १८     | कातरखटाव       |        |               |        |             |
| ३      | भाण           | १९     | दहीवडी         |        |               |        |             |
|        |               | २०     | मलवडी          |        |               |        |             |
|        |               | २१     | गोंदावले (बु.) |        |               |        |             |
|        |               | २२     | कुंकूडवाड      |        |               |        |             |
|        |               | २३     | महसवड          |        |               |        |             |
|        |               | २४     | माडी           |        |               |        |             |
|        |               | २५     | शिगाणापूर      |        |               |        |             |

पिक - बाजरी

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ |
|--------|---------------|--------|------|
|--------|---------------|--------|------|

३ सांगली

१ मिरज

१ मालगाव

२ आरग

२ जत

३ जत

४ डफळापूर

५ कुंभारी

६ शेंगाव

७ उमदी

८ माढग्याळ

९ मुचंडी

१० संख

३ खानापूर

११ खानापूर

१२ कर्जे

१३ विटा

१४ लेंगरे

४ तासगाव

१५ तासगाव

१६ विसापूर

१७ मांजर्डे

१८ मणेरान्जरी

१९ सावळज

२० येळावी

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ |
|--------|---------------|--------|------|
|--------|---------------|--------|------|

३ सांगली

५ पळूस

२१ धिलवडी

२२ अंकलखोप

२३ पलूस

२४ कुंडल

६ कडेगाव

२५ वांगी

२६ चिंचणी

७ आटपाडी

२७ आटपाडी

२८ खरसुंडी

२९ दिघंची

८ कवठेमहाकाळ

३० कवठेमहाकाळ

३१ कुची

३२ ढालगाव

३३ देशिंग

३४ हिंगणगाव

एकूण अधिसूचित मंडळ : १७१

हवामान आधारित शीत विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - सोयबीन

वर्ष - २०१४

|   | जिल्हा/तालुका | मंडळ             |   | जिल्हा/तालुका | मंडळ           |
|---|---------------|------------------|---|---------------|----------------|
| १ | अहमदनगर       |                  | २ | सांगली        |                |
| १ | नेवासा        | १ नेवासा (खु.)   | ३ | वाळवा         | २३ वाळवा       |
|   |               | २ नेवासा (बु.)   |   |               | २४ आष्टा       |
|   |               | ३ सलावतपुर       |   |               | २५ कोरगाव      |
|   |               | ४ सोनई           |   |               | २६ इस्लामपूर   |
|   |               | ५ घोडेगाव        |   |               | २७ पेठ         |
|   |               | ६ बडाळा धरोवा    |   |               | २८ कामेरी      |
|   |               | ७ चंदा           |   |               |                |
|   |               | ८ कुकाणा         |   |               | २९ कासेगाव     |
| २ | कोपरगाव       | ९ कोपरगाव        |   |               | ३० तांदुळवाडी  |
|   |               | १० रबंदे         |   |               | ३१ चिक्कडे     |
|   |               | ११ मोहेगाव       |   |               | ३२ ताकारी      |
|   |               | १२ दहिंगाव बोलका |   |               | ३३ वहे         |
|   |               | १३ सुरेगाव       | ४ | तासगाव        | ३४ तासगाव      |
| ३ | राहाता        | १४ राहाता        |   |               | ३५ विस्थापूर   |
|   |               | १५ लोणी          |   |               | ३६ मांजडे      |
|   |               | १६ बाभळेकर       |   |               | ३७ मणेरान्जुरी |
|   |               | १७ शिडी          |   |               | ३८ सावळज       |
|   |               | १८ पुणतांबा      |   |               | ३९ येळावी      |
| ४ | श्रीरामपूर    | १९ श्रीरामपूर    | ५ | पळूस          | ३० भिलवडी      |
|   |               | २० वेलापूर       |   |               | ३१ अंभलजोप     |
|   |               | २१ टाकळीभान      |   |               | ३२ पळूस        |
|   |               | २२ उंदोरगाव      |   |               | ३३ कुंडल       |
| ५ | राहुरी        | २३ राहुरी        | ६ | कडेगाव        | ३४ कडेगाव      |
|   |               | २४ सात्रळ        |   |               | ३५ शाळगाव      |
|   |               | २५ तहाराबाद      |   |               | ३६ नेवरी       |
|   |               | २६ वांचोरी       |   |               | ३७ बांगी       |
|   |               | २७ ब्राम्हणी     |   |               | ३८ बिचणी       |
|   |               | २८ देवळली        | ७ | शिराळा        | ३९ शिराळा      |
|   |               | २९ टाकळीभिया     |   |               | ४० मांथले      |
| २ | सांगली        |                  |   |               | ४१ सागांव      |
| १ | भिरज          | १ भिरज           |   |               | ४२ शिरसी       |
|   |               | २ भालगाव         |   |               | ४३ चरण अराळा   |
|   |               | ३ आरग            |   |               | ४४ कोकरुड      |
|   |               | ४ कवलापूर        |   |               |                |
|   |               | ५ बुधगाव         | ८ | कवठे महाकाळ   | ४५ कवठे महाकाळ |
|   |               | ६ सांगली         |   |               | ४६ कुधी        |
|   |               | ७ क. डिग्रज      |   |               | ४७ ढालगांव     |
| २ | खानापूर       | ८ खानापूर        |   |               | ४८ देशिंग      |
|   |               | ९ करंजे          |   |               | ४९ हिंगणगांव   |
|   |               | १० विटा          |   |               |                |
|   |               | ११ लोंगरे        |   |               |                |
|   |               | १२ भाळवणी        |   |               |                |

हवामान आधारित पीक विमा योजनांतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - सोयाबीन

खरीप - २०१४

| जिल्हा/तालुका | मंडळ            | जिल्हा/तालुका   | मंडळ             |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| ३ लातूर       |                 | ३ लातूर         |                  |
| १ लातूर       | १ लातूर         | ५ निलंगा        | २६ निलंगा        |
|               | २ बाभूळगांव     |                 | २७ एनचिंचोली     |
|               | ३ हरेगुळ (बु.)  |                 | २८ अबुलगा        |
|               | ४ कासारखेडा     |                 | २९ निटूर         |
|               | ५ मुरुड         |                 | ३० कासारशिरशी    |
|               | ६ तांदूळगा      |                 | ३१ मदनसुरी       |
|               | ७ चिंचोली (बु.) |                 | ३२ औरादशहाजनी    |
|               | ८ गातेगाव       |                 | ३३ कासरबालकुंदा  |
| २ रेणापूर     | ९ रेणापूर       | ६ शिरूर अनंतपाळ | ३४ शिरूर अनंतपाळ |
|               | १० पानगाव       |                 | ३५ साकोळ         |
|               | ११ पोहरेगाव     |                 | ३६ हिसामाबाद     |
|               | १२ कारेपूर      | ७ उदगीर         | ३७ उदगीर         |
|               |                 |                 | ३८ नागलगाव       |
|               |                 |                 | ३९ हेर           |
| ३ औसा         | १३ औसा          |                 | ४० देवर्जन       |
|               | १४ किनी धोट     |                 | ४१ वाढवणा        |
|               | १५ भादा         |                 | ४२ नळगीर         |
|               | १६ यातोळा       |                 | ४३ पोधा          |
|               | १७ वेलकूड       | ८ जळकोट         | ४४ जळकोट         |
|               | १८ किल्लारी     |                 | ४५ घोंगशी        |
|               | १९ लामवना       |                 |                  |
| ४ अहमदपूर     | २० अहमदपूर      | ९ देवणी         | ४६ देवणी         |
|               | २१ खंडाळी       |                 | ४७ बोरोळ         |
|               | २२ शिरूरताजबंद  |                 | ४८ वलांडी        |
|               | २३ हाटोळती      |                 |                  |
|               | २४ किनगाव       | १० चाकूर        | ४९ चाकूर         |
|               | २५ आंधोरी       |                 | ५० नळेगाव        |
|               |                 |                 | ५१ वडवळ          |
|               |                 |                 | ५२ झरी (बु.)     |
|               |                 |                 | ५३ शेळगाव        |

हवामान आधारित पीक विमा योजनांतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - सोयाबीन

खरीप - २०१४

| मंडळ       | जिल्हा/तालुका   | मंडळ         | जिल्हा/तालुका   | मंडळ |
|------------|-----------------|--------------|-----------------|------|
| ४ नांदेड   | १ नांदेड (शहर)  | ४ नांदेड     | ४१ लोहा         |      |
| १ नांदेड   | २ बझीराबाद      | ९ लोहा       | ४२ माळाकोळी     |      |
|            | ३ नांदेड (ग्र.) |              | ४३ सोनखेड       |      |
|            | ४ तुप्पा        |              | ४४ शेवडी (बा.)  |      |
|            | ५ विष्णूपुरी    |              | ४५ कलंवर        |      |
|            | ६ बसरणी         |              | ४६ कापशी        |      |
|            | ७ लिवगांव       |              |                 |      |
|            | ८ तरोंडा (बु.)  | १० हदगाव     | ४७ हदगाव        |      |
| २ अर्धापूर | ९ अर्धापूर      |              | ४८ तामशा        |      |
|            | १० दाभड         |              | ४९ पनाठा        |      |
|            | ११ माळेगाव      |              | ५० पिंपळखेड     |      |
| ३ मुदखेड   | १२ मुदखेड       |              | ५१ तळणी         |      |
|            | १३ भुगट         |              | ५२ निवधा (बा.)  |      |
|            | १४ बारड         | ११ हिमायतनगर | ५३ आष्टी        |      |
| ४ विलोली   | १५ विलोली       |              | ५४ हिमायतनगर    |      |
|            | १६ आदमपूर       |              | ५५ जवळगाव       |      |
|            | १७ लोहागांव     |              | ५६ शिरसभ (बु.)  |      |
|            | १८ सगराळी       | १२ भोकर      | ५७ भोकर         |      |
|            | १९ कुंडलवाडी    |              | ५८ किनी         |      |
|            |                 |              | ५९ मातुळ        |      |
| ५ धर्माबाद | २० धर्माबाद     |              | ६० मोयाळी       |      |
|            | २१ करखेली       | १३ उमरी      | ६१ उमरी         |      |
|            | २२ जारीकोट      |              | ६२ गोळेगाव      |      |
|            |                 |              | ६३ सिंधी        |      |
| ६ नायगाव   | २३ नायगाव       | १४ देगलूर    | ६४ देगलूर       |      |
|            | २४ नसी          |              | ६५ खानापूर      |      |
|            | २५ मांजरम       |              | ६६ शहापूर       |      |
|            | २६ बरवडा        |              | ६७ भरखेल        |      |
|            | २७ कुंदूर       |              | ६८ आलेगांव (म.) |      |
| ७ मुखेड    | २८ मुखेड        |              | ६९ हानेगांव     |      |
|            | २९ जांब (बु.)   | १५ किनवट     | ७० किनवट        |      |
|            | ३० जाहूर        |              | ७१ बोभडी        |      |
|            | ३१ चांडोळा      |              | ७२ इस्लामपूर    |      |
|            | ३२ मुक्तगाबाद   |              | ७३ जलधारा       |      |
|            | ३३ बान्हाळी     |              | ७४ शिवणी        |      |
|            | ३४ येवती        |              | ७५ मांडवी       |      |
| ८ कंधार    | ३५ कंधार        |              | ७६ दहेली        |      |
|            | ३६ फुलवल        | १६ माहूर     | ७७ माहूर        |      |
|            | ३७ पेटवडज       |              | ७८ वाई (बा.)    |      |
|            | ३८ वारुळ        |              | ७९ बातोळा       |      |
|            | ३९ कुरुळा       |              | ८० सिंदखेड      |      |
|            | ४० उस्माननगर    |              |                 |      |

હવામાન આધારિત પૌક વિમા યોજનેઅંતર્ગત મંડલ અધિસૂચના

પૌક - સોયાબીન

સ્થરીય - ૨૦૧૪

| પૌક | જિલ્લા/તાલુકા | મંડલ               | પૌક | જિલ્લા/તાલુકા     | મંડલ                 |
|-----|---------------|--------------------|-----|-------------------|----------------------|
| ૫   | અમરાવતી       |                    | ૫   | અમરાવતી           |                      |
| ૧   | ધારણી         | ૧ ધારણી            | ૭   | ધામળગાંવ (રેલ્વે) | ૩૫ ધામળગાંવ (રેલ્વે) |
|     |               | ૨ ધૂલધાટ           |     |                   | ૩૬ દત્તાપુર          |
| ૨   | ચિલ્લદરા      | ૩ ચિલ્લદરા         |     |                   | ૩૭ ખાતકુલી           |
|     |               | ૪ સેમાડોહ          |     |                   | ૩૮ ચિંચોલી           |
|     |               | ૫ ટેંપૂરસોડા       |     |                   | ૩૯ તલેગાવ (દ.)       |
|     |               | ૬ ચુર્ણી           |     |                   | ૪૦ મંગરુલ (દ.)       |
| ૩   | અમરાવતી       | ૭ અમરાવતી          |     |                   | ૪૧ અંજનશિગી          |
|     |               | ૮ યડાલી            | ૮   | તિવસા             | ૪૨ તિવસા             |
|     |               | ૯ ઘડનેરા           |     |                   | ૪૩ વરઘેડ             |
|     |               | ૧૦ ઘલગાવ           |     |                   | ૪૪ મોઝરી             |
|     |               | ૧૧ નવસારી          |     |                   | ૪૫ ચ-હા              |
|     |               | ૧૨ શિરાલા          |     |                   | ૪૬ કુ-હા             |
|     |               | ૧૩ નાંદગાવ પેઠ     | ૯   | મોર્શી            | ૪૭ મોર્શી            |
|     |               | ૧૪ માહુલી જહાં     |     |                   | ૪૮ નેર (પિંગાલાઈ)    |
|     |               | ૧૫ ડવરગાવ          |     |                   | ૪૯ શિરઘેડ            |
| ૪   | ખાતકુલી       | ૧૬ ખાતકુલી         |     |                   | ૫૦ ધામળગાંવ          |
|     |               | ૧૭ આસરા            |     |                   | ૫૧ અંવાડા            |
|     |               | ૧૮ તિંખા           |     |                   | ૫૨ રિધ્ધપુર          |
|     |               | ૧૯ આપ્ટી           | ૧૦  | વરુડ              | ૫૩ હિવરઘેડ           |
|     |               | ૨૦ યુર્ણા નગર      |     |                   | ૫૪ વરુડ              |
|     |               | ૨૧ હોલાપુર         |     |                   | ૫૫ બેનોડા            |
| ૫   | નાંદગાવ (જ.)  | ૨૨ નાંદગાવ (જ.)    |     |                   | ૫૬ લોળી              |
|     |               | ૨૩ ધાનોરા ગૂરવ     |     |                   | ૫૭ પુસલા             |
|     |               | ૨૪ પાપલ            |     |                   | ૫૮ શેંડુંજના ઘાટ     |
|     |               | ૨૫ મંગરુલ ચલ્લાડા  | ૧૧  | વર્યાપૂર          | ૫૯ રાજુરવાજાર        |
|     |               | ૨૬ શિવળી           |     |                   | ૬૦ વાઠોડા            |
|     |               | ૨૭ લોળી            |     |                   | ૬૧ વર્યાપૂર          |
|     |               | ૨૮ માહુલીઝોર       |     |                   | ૬૨ ધિલોરી            |
|     |               | ૨૯ લાખા            |     |                   | ૬૩ મંડલ રામતીર્થ     |
| ૬   | ચાંદુર રેલ્વે | ૩૦ ચાંદુર રેલ્વે   |     |                   | ૬૪ ચલ્લાદાર          |
|     |               | ૩૧ આમલા વિશ્વેશ્વર |     |                   | ૬૫ દારાપૂર           |
|     |               | ૩૨ ઘુર્ડેઘેડ       | ૧૨  | અંજનગાંવ          | ૬૬ ઘડનેર ગાગધી       |
|     |               | ૩૩ પલ્લસઘેડ        |     |                   | ૬૭ સામદા             |
|     |               | ૩૪ સાતેફલ          |     |                   | ૬૮ યેવવા             |
|     |               |                    |     |                   | ૬૯ ચિલ્લિંગાંવ       |
|     |               |                    |     |                   | ૭૦ અંજનગાંવ (સુ.)    |

हवामान आधारित धीक विभा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - सोयाबीन

खरीप - २०१४

|    | जिल्हा/तालुका | मंडळ                                                                                                            |   | जिल्हा/तालुका | मंडळ                                                                                                                      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५  | अमरावती       |                                                                                                                 | ६ | यवतमाळ        |                                                                                                                           |
| १२ | अंजनगाव       | ७१ सातेगाव<br>७२ भंडारज<br>७३ कपूस तळणी<br>७४ कोकडा                                                             | ४ | दारव्हा       | २० दारका<br>२१ बोरी (खु.)<br>२२ महागाव<br>२३ लाडखेड<br>२४ चिखली<br>२५ लोही<br>२६ मांगकिन्ही                               |
| १३ | अचलपूर        | ७५ अचलपूर<br>७६ परतवाडा<br>७७ रासेगाव<br>७८ असदपूर<br>७९ पछोट<br>८० परसापूर                                     | ५ | दिग्रस        | २७ दिग्रस<br>२८ तिखरी<br>२९ कलगाव<br>३० गुप टाकळी                                                                         |
| १४ | चांदुर बाजार  | ८१ चांदुर बाजार<br>८२ बेलोरा<br>८३ तळगाव मोहना<br>८४ आसेगाव<br>८५ शिरजगाव कसबा<br>८६ करजगाव<br>८७ त्राम्हाणवाडा | ६ | आणी           | ३१ आणी<br>३२ सोणवेहळ<br>३३ अंजनखेड<br>३४ जवळा<br>३५ बोरगाव<br>३६ स. सावळी                                                 |
| ६  | यवतमाळ        |                                                                                                                 | ७ | नेर           | ३७ नेर<br>३८ शिरजगाव<br>३९ मोझर<br>४० माणिकवाडा<br>४१ वटफळी<br>४२ भालखेड                                                  |
| १  | यवतमाळ        | १ यवतमाळ<br>२ कापराने<br>३ हिवरी<br>४ अर्जुना<br>५ येळावारा<br>६ सावरगाड<br>७ कोळंबी<br>८ अकोला (बा.)           | ८ | पुसद          | ४३ पुसद<br>४४ वरुड<br>४५ शेंबाळपिपरी<br>४६ गोळी (खुद.)<br>४७ जांबवाजार<br>४८ त्राम्हाणगाव<br>४९ खंडाळा<br>५० बेलोरा (खु.) |
| २  | बाभुळगाव      | ९ बाभुळगाव<br>१० वेनी<br>११ धारफळ<br>१२ थहूर<br>१३ सावर                                                         | ९ | उमरखेड        | ५१ उमरखेड<br>५२ मुळावा<br>५३ विडळ<br>५४ बिटरगाव<br>५५ दराटी<br>५६ ढाणकी<br>५७ चातारी                                      |
| ३  | कळंब          | १४ कळंब<br>१५ कोठा<br>१६ मेटीखेडा<br>१७ जोडमोहा<br>१८ सावरगाव<br>१९ पिंपळगाव (र.)                               |   |               |                                                                                                                           |



हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - सोपयाबीन

खरीप - २०१४

|    | जिल्हा/तालुका | मंडळ                                                                                                                                                                       |    | जिल्हा/तालुका | मंडळ                                                                                                                                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ६  | यवतभाळ        |                                                                                                                                                                            | ६  | यवतभाळ        |                                                                                                                                       |
| १० | महागाव        | ५८ महागाव<br>५९ फूलसावंगी<br>६० मोरध<br>६१ गुंज<br>६२ हिवरा<br>६३ काळी (दा.)<br>६४ कणी<br>६५ राजूर<br>६६ भातर<br>६७ रासा<br>६८ कायर<br>६९ शिंदोला<br>७० शिरपूर<br>७१ पूनवट | १६ | राळेगाव       | ९५ राळेगाव<br>९६ झाडगाव<br>९७ वरध<br>९८ वाढोणा (वा.)<br>९९ धानोरा<br>१०० वडकी<br>१०१ किन्ही (ज.)                                      |
| ११ | वणी           |                                                                                                                                                                            | ७  | वर्धा         |                                                                                                                                       |
|    |               |                                                                                                                                                                            | १  | अर्घी         | १ आर्वा<br>२ खरंगणा<br>३ वाढोणा<br>४ रोहना<br>५ विरुळ<br>६ वाढोडा                                                                     |
|    |               |                                                                                                                                                                            | २  | कारंजा        | ७ कारंजा<br>८ ठाणेगाव                                                                                                                 |
| १२ | मारेगाव       | ७२ मारेगाव<br>७३ माडी<br>७४ बनोजा<br>७५ कुमा<br>७६ बाढोनी                                                                                                                  | ३  | आष्टी         | ९ सारवाडी<br>१० कन्हमवार (आ.)<br>११ आष्टी<br>१२ तळेगाव<br>१३ साहूर                                                                    |
| १३ | जामणी         | ७७ जामणी<br>७८ माथार्जून<br>७९ शिबला<br>८० खडकडोह<br>८१ मुकुटवन                                                                                                            | ४  | वर्धा         | १४ वर्धा<br>१५ सेवग्राम<br>१६ तळेगाव (टा.)<br>१७ वायगाव<br>१८ आंजी<br>१९ वायफळ<br>२० सगळेड (ही.)                                      |
| १४ | केळापूर       | ८२ पांढरकवडा<br>८३ पहाणळ<br>८४ घातवडी<br>८५ रुंजा<br>८६ करंजी<br>८७ घाटणबोरी<br>८८ घाटंजी<br>८९ पारवा<br>९० कूली<br>९१ समखरा<br>९२ शिवणी<br>९३ घोटी<br>९४ शिरोळी           | ५  | सेलू          | २१ सेलू<br>२२ केळझर<br>२३ सिंदी<br>२४ हिंगणी<br>२५ झडशी<br>२६ सेवळी<br>२७ अहोरी<br>२८ गिरोली<br>२९ पुलगाव<br>३० विजय गोपल<br>३१ भिंडी |
| १५ | घाटंजी        |                                                                                                                                                                            | ६  | देवळी         |                                                                                                                                       |

हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - सोयाबीन

खरीप - २०१४

| जिल्हा/तालुका  | मंडळ             | जिल्हा/तालुका | मंडळ          |
|----------------|------------------|---------------|---------------|
| ७ चवथी         |                  | ८ नागपूर      |               |
| ७ हिंगणघाट     | ३२ हिंगणघाट      | ७ कटोल        | ३२ कटोल       |
|                | ३३ वाघोली        |               | ३३ पारडसिंगा  |
|                | ३४ सावली         |               |               |
|                | ३५ अल्लीपूर      |               | ३४ येनवा      |
|                | ३६ सिरजगाव       |               |               |
|                |                  |               | ३५ मेटफांजरा  |
|                | ३७ कानगाव        |               | ३६ रिधोरा     |
|                | ३८ वडनेर         |               |               |
|                | ३९ पोहणा         |               | ३७ कांढाळी    |
| ८ समुद्रपूर    | ४० समुद्रपूर     | ८ नरखेड       | ३८ नरखेड      |
|                | ४१ गिरड          |               | ३९ भोवाड      |
|                | ४२ मांडगाव       |               | ४० सावरगांव   |
|                | ४३ कांढाळी       |               | ४१ भिष्णूर    |
|                | ४४ नायगाव (गों.) |               | ४२ जलालखेडा   |
|                | ४५ नंदोरी        |               | ४३ मंडला      |
|                | ४६ जाम           |               |               |
|                | ४७ कोरा          | ९ सावनेर      | ४४ सावनेर     |
| ८ नागपूर       |                  |               | ४५ घाटणसावंगी |
| ९ नागपूर (शा.) | १ पाटी           |               | ४६ केलवद      |
|                |                  |               | ४७ खासा       |
|                | २ खापरी (रे.)    |               | ४८ वडेगांव    |
|                | ३ सोनेगाव लोधी   |               |               |
|                | ४ बोरी           | १० कळपेश्वर   | ४९ कळपेश्वर   |
|                | ५ गोधणी          |               | ५० धापेवाडा   |
|                | ६ वाडी           |               | ५१ मोहपा      |
|                | ७ हूडकेधर        |               | ५२ तेलकामठी   |
| २ कापली        | ८ कामठी          | ११ उमरेड      | ५३ उमरेड      |
|                | ९ कोराडी         |               | ५४ हेवती      |
|                | १० बडोदा         |               | ५५ धाधगाव     |
|                | ११ दिघोरी        |               |               |
|                |                  |               | ५६ बेला       |
| ३ हिंगणा       | १२ हिंगणा        |               | ५७ सिर्सा     |
|                | १३ वानाडोंगरी    |               | ५८ मकरधोंकडा  |
|                | १४ कन्होलीबारा   | १२ भिवापूर    | ५९ भिवापूर    |
|                | १५ अडेगाव        |               |               |
|                |                  |               | ६० करगाव      |
|                | १६ गुमगाव        |               | ६१ मालेवाडा   |
|                | १७ टाकलघाट       |               | ६२ नांद       |
| ४ रायटेक       | १८ रायटेक        | १३ कुही       | ६३ कुही       |
|                | १९ नगरधन         |               | ६४ राणोला     |
|                | २० मुसेवाडी      |               |               |
|                | २१ देवलापार      |               | ६५ तिमूर      |
|                |                  |               | ६६ बेलतूर     |
| ५ पारसिवणी     | २२ पारसिवणी      |               | ६७ मांडळ      |
|                | २३ नवेगाव खोरी   |               | ६८ पसरखेडी    |
|                | २४ कन्हान        |               |               |
|                | २५ आमखो          |               |               |
| ६ मोदा         | २६ मोदा          |               |               |
|                | २७ धानला         |               |               |
|                | २८ खात           |               |               |
|                | २९ कोरावढी       |               |               |
|                | ३० निमखेडा       |               |               |
|                | ३१ चापेर         |               |               |

हवामान आरक्षित पीक क्रिमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - सुग

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ             | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ          |
|--------|---------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|---------------|
| १      | जळगांव        | १      | जळगांव           | १      | जळगांव        |        |               |
| १      | जळगांव        | २      | म्हसावर          | ८      | चोपडा         | ४२     | अडावद         |
|        |               | ३      | भोकर             |        |               | ४३     | धानोरा (म.)   |
|        |               | ४      | पिंपळा           |        |               | ४४     | गोरगावले      |
|        |               | ५      | नशिगावद          |        |               | ४५     | वडी           |
|        |               | ६      | असोदा            |        |               | ४६     | एरंडोल        |
| २      | भुसावळ        | ७      | भुसावळ           | ९      | एरंडोल        | ४७     | रिंगणगांव     |
|        |               | ८      | कुन्हे           |        |               | ४८     | फासोदा        |
|        |               | ९      | वरणगांव          |        |               | ४९     | उत्तराण गृह   |
| ३      | बोदवड         | १०     | पिंपळागांव (बु.) | १०     | धरणगांव       | ५०     | धरणगांव       |
|        |               | ११     | बोदवड            |        |               | ५१     | साळवा         |
|        |               | १२     | नडगांव           |        |               | ५२     | सोनवद         |
| ४      | यावल          | १३     | करंजी            |        |               | ५३     | पिंपरी (बु.)  |
|        |               | १४     | यावल             |        |               | ५४     | पाळथी         |
|        |               | १५     | भालोद            |        |               | ५५     | चांदसर        |
|        |               | १६     | बामणीद           | ११     | पारोळा        | ५६     | पारोळा        |
|        |               | १७     | फैजपूर           |        |               | ५७     | बहादूरपूर     |
|        |               | १८     | सायली            |        |               | ५८     | शेळवे         |
| ४      | यावल          | १९     | किनागांव         |        |               | ५९     | तामसवाडी      |
| ५      | रावेर         | २०     | रावेर            |        |               | ६०     | चोरवड         |
|        |               | २१     | खानापूर          | १२     | चाळीसगांव     | ६१     | चाळीसगांव     |
|        |               | २२     | खिरीदा           |        |               | ६२     | खडकी          |
|        |               | २३     | निभोरा (बु.)     |        |               | ६३     | मेहणवारे      |
|        |               | २४     | खिडो             |        |               | ६४     | वहाळ          |
|        |               | २५     | ऐनपूर            |        |               | ६५     | तळेगांव       |
|        |               | २६     | सावदा            | १३     | जामनेर        | ६६     | जामनेर        |
| ६      | मुक्ताईनगर    | २७     | मुक्ताईनगर       |        |               | ६७     | नेरी          |
|        |               | २८     | अंतुली           |        |               | ६८     | पहूर          |
|        |               | २९     | कु-हा            |        |               | ६९     | सोडरणी        |
|        |               | ३०     | धोडसगांव         |        |               | ७०     | तोडापूर       |
| ७      | अंमळनेर       | ३१     | अंमळनेर          |        |               | ७१     | फत्तेपूर      |
|        |               | ३२     | शिरुड            |        |               | ७२     | वाकडी         |
|        |               | ३३     | नगाव             | १४     | पाचोरा        | ७३     | पाचोरा        |
|        |               | ३४     | पातोंडा          |        |               | ७४     | नगरदेवळा      |
|        |               | ३५     | अंमळगांव         |        |               | ७५     | गड्डण         |
|        |               | ३६     | पारवड            |        |               | ७६     | पिंपळागांव    |
|        |               | ३७     | भरवस             |        |               | ७७     | नांदी         |
|        |               | ३८     | वावडे            | १५     | भडगांव        | ७८     | कुन्हाड (बु.) |
| ८      | चोपडा         | ३९     | चोपडा            |        |               | ७९     | वरखेडी (बु.)  |
|        |               | ४०     | हातेड            |        |               | ८०     | भडगांव        |
|        |               | ४१     | लासूर            |        |               | ८१     | आमडदे         |
|        |               |        |                  |        |               | ८२     | कोळगांव       |
|        |               |        |                  |        |               | ८३     | कजगांव        |

हवामान आयातित पीक विपणन योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - सुग

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ            | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ             |
|--------|---------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|------------------|
| १      | अहमदनगर       | १      | जेऊर            | २      | अहमदनगर       |        |                  |
| १      | नगर           | २      | कापूरवाडी       | ५      | जामखेड        | ३१     | जामखेड           |
|        |               | ३      | चिचोडी (पा.)    |        |               | ३२     | अरणगांव          |
|        |               | ४      | भिंगार          |        |               | ३३     | खडा              |
|        |               | ५      | वाळकी           | ६      | शेवगांव       | ३४     | नाझ              |
|        |               | ६      | रुई छत्तिसी     |        |               | ३५     | नायगांव          |
|        |               | ७      | नारनेगांव       |        |               | ३६     | शेवगांव          |
|        |               | ८      | सावेडी          |        |               | ३७     | भातकुडगांव       |
|        |               | ९      | नगापुर          |        |               | ३८     | दोर जळगांव (शं.) |
|        |               | १०     | चास             | ७      | पाथडी         | ३९     | एरंडगांव         |
|        |               | ११     | केडगाव          |        |               | ४०     | बोवेंगांव        |
|        |               |        |                 |        |               | ४१     | छापडगांव         |
|        |               |        |                 |        |               | ४२     | पाथडी            |
|        |               |        |                 |        |               | ४३     | मानिकदौंडी       |
| २      | पारनेर        | १२     | पारनेर          |        |               | ४४     | करंजी            |
|        |               | १३     | भाळवणी          |        |               | ४५     | मिरी             |
|        |               | १४     | सुधा            |        |               | ४६     | दाखळोमानूर       |
|        |               | १५     | वाडेगवण         |        |               | ४७     | कोरडगांव         |
|        |               | १६     | टाकळी (डोंकेखर) | ८      | संगमनेर       | ४८     | संगमनेर          |
|        |               | १७     | पळशी            |        |               | ४९     | धांदरफळ (बु.)    |
|        |               | १८     | बडशिरे          |        |               | ५०     | घारगांव          |
|        |               | १९     | निघोज           |        |               | ५१     | डोळासणे          |
| ३      | श्रीगाँवा     | २०     | श्रीगाँवा       |        |               | ५२     | साकुर            |
|        |               | २१     | पेडगांव         |        |               | ५३     | पिपरणे           |
|        |               | २२     | मांडवगण         |        |               | ५४     | आग्धी            |
|        |               | २३     | कोळगांव         |        |               | ५५     | शिबस्तापुर       |
|        |               | २४     | वेलवंडी         |        |               | ५६     | ताळेगांव         |
|        |               | २५     | देवदंडण         |        |               | ५७     | समनापुर          |
| ४      | कर्जत         | २६     | रशिन            |        |               |        |                  |
|        |               | २७     | भाचोरा          |        |               |        |                  |
|        |               | २८     | मिरजगांव        |        |               |        |                  |
|        |               | २९     | कोभळी           |        |               |        |                  |
|        |               | ३०     | माहिजळगांव      |        |               |        |                  |

हवामान आधारित पीक विभा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - मूग

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ       | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ         |
|--------|---------------|--------|------------|--------|---------------|--------|--------------|
| ३      | सातारा        |        |            | ४      | लातूर         |        |              |
| १      | खटाव          | १      | खटाव       | १      | लातूर         | १      | लातूर        |
|        |               | २      | औघ         |        |               | २      | बाभळगांव     |
|        |               | ३      | पुसेगाव    |        |               | ३      | हरंगूळ (वु.) |
|        |               | ४      | बुध        |        |               | ४      | कासारखेडा    |
|        |               | ५      | बहुज       |        |               | ५      | मुरुड        |
|        |               | ६      | पुसेसावली  |        |               | ६      | तांदुळवा     |
|        |               | ७      | मायणी      |        |               | ७      | बिचोली (वु.) |
|        |               | ८      | निमसांड    |        |               | ८      | भातेगाव      |
| २      | भाण           | ९      | कातरखटाव   | २      | रेनापूर       | ९      | रेनापूर      |
|        |               | १०     | पलेवडी     |        |               | १०     | पातगांव      |
|        |               | ११     | मलवडी      |        |               | ११     | पांहरोगाव    |
|        |               | १२     | गोंदवले    |        |               | १२     | कारेपूर      |
|        |               | १३     | कुकुडवाड   |        |               |        |              |
|        |               | १४     | महसबड      |        |               |        |              |
|        |               | १५     | माडी       |        |               |        |              |
|        |               | १६     | शिगणापूर   |        |               |        |              |
| ३      | खंडाळा        | १७     | खंडाळा     |        |               |        |              |
|        |               | १८     | वाठर (वु.) |        |               |        |              |
|        |               | १९     | शिरबळ      |        |               |        |              |
|        |               | २०     | लोणंद      |        |               |        |              |

हलामान आयारित पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - मूग

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ         | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका  | अ.क्र. | मंडळ           |
|--------|---------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|
| ४      | लातूर         |        |              | ४      | लातूर          |        |                |
| ३      | औसा           | १३     | औसा          | ६      | शिरूर अन्तर्गत | ३४     | शिरूर अन्तर्गत |
|        |               | १४     | किनी थोट     |        |                | ३५     | साकोळ          |
|        |               | १५     | भादा         |        |                | ३६     | हिसामगवाव      |
|        |               | १६     | मातोळी       | ७      | उदगीर          | ३७     | उदगीर          |
|        |               | १७     | बेलकुंड      |        |                | ३८     | मागलगांव       |
|        |               | १८     | किल्लारी     |        |                | ३९     | हेर            |
| ४      | अहमदपूर       | १९     | लातूर        |        |                | ४०     | देवर्जन        |
|        |               | २०     | अहमदपूर      |        |                | ४१     | बाढवणा         |
|        |               |        |              |        |                | ४२     | नळगीर          |
|        |               | २१     | खंडाळी       |        |                |        |                |
|        |               | २२     | किनागाव      |        |                | ४३     | मांधा          |
|        |               | २३     | आंधोरी       | ८      | जळकोट          | ४४     | जळकोट          |
|        |               | २४     | शिरूरताजवंद  |        |                | ४५     | घोणशी          |
|        |               | २५     | हाडोळी       | ९      | देवणी          | ४६     | देवणी          |
| ५      | निलंगा        | २६     | निलंगा       |        |                | ४७     | बोरोळ          |
|        |               | २७     | पानचिचोली    |        |                | ४८     | जर्लाडी        |
|        |               |        |              | १०     | चाकूर          | ४९     | चाकूर          |
|        |               | २८     | अंबुलगा      |        |                |        |                |
|        |               | २९     | निटूर        |        |                | ५०     | नळेगाव         |
|        |               | ३०     | कासारशिरशी   |        |                | ५१     | वडयळ           |
|        |               |        |              |        |                | ५२     | झरी (बु.)      |
|        |               | ३१     | मदचसुरी      |        |                | ५३     | शेळगाव         |
|        |               | ३२     | औरादराहाननी  |        |                |        |                |
|        |               | ३३     | कासारबलकुंडा |        |                |        |                |

हवामान आधारित पीक विषय योजनाअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - मृग

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ          | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ          |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| ५      | नांदेड        |        |               | ५      | नांदेड        |        |               |
| १      | नांदेड        | १      | नांदेड (श.)   | ९      | लोहा          | ४१     | लोहा          |
|        |               | २      | वज्रीरावाद    |        |               | ४२     | माळशोळी       |
|        |               | ३      | नांदेड (ग्र.) |        |               | ४३     | सोनखेड        |
|        |               | ४      | तुप्पा        |        |               | ४४     | शेंवडी (बा.)  |
|        |               | ५      | विष्णूपुरी    |        |               | ४५     | कर्लवर        |
|        |               | ६      | वसरणी         |        |               | ४६     | कापशी         |
|        |               | ७      | लिबगांव       |        |               |        |               |
|        |               | ८      | तरोंडा (बु.)  | १०     | हदगांव        | ४७     | हदगांव        |
| २      | अर्धापूर      | ९      | अर्धापूर      |        |               | ४८     | तामसा         |
|        |               | १०     | दाभड          |        |               | ४९     | मनाळा         |
|        |               | ११     | मालेगांव      |        |               | ५०     | पिंपरखेड      |
|        |               |        |               |        |               | ५१     | तळणी          |
| ३      | मुदखेड        | १२     | मुदखेड        |        |               | ५२     | निवघा (बा.)   |
|        |               | १३     | मुगट          |        |               | ५३     | आष्टी         |
|        |               | १४     | वारड          | ११     | हिमायतनगर     | ५४     | हिमायतनगर     |
| ४      | विलोली        | १५     | विलोली        |        |               | ५५     | जाबळगांव      |
|        |               | १६     | अलमपूर        |        |               | ५६     | सिरसम (बु.)   |
|        |               | १७     | लोहगांव       | १२     | भोकर          | ५७     | भोकर          |
|        |               | १८     | सगरोळी        |        |               | ५८     | किणी          |
|        |               | १९     | कुंडलवाडो     |        |               | ५९     | यातूळ         |
|        |               |        |               |        |               | ६०     | मोघाळी        |
| ५      | धर्माबाद      | २०     | धर्माबाद      | १३     | उमरी          | ६१     | उमरी          |
|        |               | २१     | करछेली        |        |               | ६२     | गोळेगाव       |
|        |               | २२     | जारीकोट       |        |               | ६३     | सिंधी         |
| ६      | नायगांव       | २३     | नायगांव       | १४     | देगलूर        | ६४     | देगलूर        |
|        |               | २४     | नशी           |        |               | ६५     | खानापूर       |
|        |               | २५     | मानिरम        |        |               | ६६     | शहापूर        |
|        |               | २६     | वरबडा         |        |               | ६७     | मरखेल         |
|        |               | २७     | कुंदूर        |        |               | ६८     | मालेगांव (म.) |
| ७      | मुखेड         | २८     | मुखेड         |        |               | ६९     | हानेगांव      |
|        |               | २९     | जांव (बु.)    | १५     | किनवट         | ७०     | किनवट         |
|        |               | ३०     | जहूर          |        |               | ७१     | बोधडी         |
|        |               | ३१     | चांडोळा       |        |               | ७२     | इस्लापूर      |
|        |               | ३२     | मुक्ताबाद     |        |               | ७३     | जलथरा         |
|        |               | ३३     | न-हाली        |        |               | ७४     | शिवणी         |
|        |               | ३४     | येवती         |        |               | ७५     | मांडवी        |
| ८      | कंधार         | ३५     | कंधार         | १६     | माहूर         | ७६     | दहेली         |
|        |               | ३६     | फूलवळ         |        |               | ७७     | माहूर         |
|        |               | ३७     | पेंडवळज       |        |               | ७८     | वाई - बा      |
|        |               | ३८     | बारळ          |        |               | ७९     | जानोळा        |
|        |               | ३९     | कुरुळा        |        |               | ८०     | शिंदखेड       |
|        |               | ४०     | उस्माना नगर   |        |               |        |               |

हवामान आधारित पीक विभा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - मृग

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका     | अ.क्र. | मंडळ              | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ           |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------|--------|----------------|
| ६      | अमरावती           |        |                   | ६      | अमरावती       |        |                |
| १      | चिखलदरा           | १      | चिखलदरा           | ७      | तिथसा         | ३७     | तिथसा          |
|        |                   |        |                   |        |               | ३८     | वरखेड          |
| २      | अमरावती           | २      | अमरावती           |        |               | ३९     | मोझरी          |
|        |                   | ३      | बडाळी             |        |               | ४०     | व-हा           |
|        |                   | ४      | बडनेरा            |        |               | ४१     | कु-हा          |
|        |                   | ५      | बलगाव             |        |               |        |                |
|        |                   | ६      | नवसारी            |        |               |        |                |
|        |                   |        |                   | ८      | मोशी          | ४२     | नेर (पिंगळाई)  |
|        |                   | ७      | शिराळा            |        |               | ४३     | शिरखेड         |
|        |                   |        |                   |        |               | ४४     | अंबाडा         |
|        |                   | ८      | नांदगांव पेठ      |        |               | ४५     | रिछपूर         |
|        |                   | ९      | माहुली गढांगीर    |        |               |        |                |
|        |                   | १०     | डवरगाव            | ९      | दर्यापूर      | ४६     | दर्यापूर       |
|        |                   |        |                   |        |               | ४७     | बीलोरी         |
| ३      | भातकुली           | ११     | भातकुली           |        |               | ४८     | मंडळ रामलीथ    |
|        |                   | १२     | आसरा              |        |               |        |                |
|        |                   |        |                   |        |               | ४९     | खल्लार         |
|        |                   | १३     | निशा              |        |               |        |                |
|        |                   |        |                   |        |               | ५०     | बारापूर        |
|        |                   | १४     | आष्टी             |        |               |        |                |
|        |                   | १५     | पूर्ण नगर         |        |               | ५१     | बडनेर गंगाई    |
|        |                   |        |                   |        |               | ५२     | साम्बदा        |
| ४      | नांदगांव ख.       | १६     | छोलापूर           |        |               | ५३     | येवदा          |
|        |                   | १७     | नांदगांव ख.       |        |               |        |                |
|        |                   | १८     | धानोरा गुलव       |        |               |        |                |
|        |                   |        |                   | १०     | अंजनगांव      | ५४     | विहिगांव       |
|        |                   | १९     | पापळ              |        |               | ५५     | अंजनगांव (सु.) |
|        |                   | २०     | मंगरुळ चव्हाळा    |        |               | ५६     | सातेगांव       |
|        |                   | २१     | शिवनी             |        |               | ५७     | मंडारज         |
|        |                   | २२     | लोणी              |        |               | ५८     | कामुल तळणी     |
|        |                   | २३     | माहुलीचांर        |        |               | ५९     | कोकडा          |
|        |                   | २४     | दाभा              |        |               |        |                |
| ५      | चांदूर रेल्वे     | २५     | चांदूर रेल्वे     | ११     | अचलपूर        | ६०     | अचलपूर         |
|        |                   | २६     | आमला विधेश्वर     |        |               | ६१     | परतवाडा        |
|        |                   |        |                   |        |               |        |                |
|        |                   | २७     | चुईखेड            |        |               | ६२     | रासेगांव       |
|        |                   | २८     | पळसखेड            |        |               | ६३     | असदपूर         |
|        |                   | २९     | सातेफळ            |        |               | ६४     | पश्रीट         |
| ६      | धामणगांव (रेल्वे) | ३०     | धामणगांव (रेल्वे) | १२     | चांदूर बाजार  | ६५     | परसापूर        |
|        |                   | ३१     | दत्तापूर          |        |               | ६६     | चांदूर बाजार   |
|        |                   | ३२     | भातकुली           |        |               | ६७     | बेलोरा         |
|        |                   | ३३     | विचोली            |        |               |        |                |
|        |                   |        |                   |        |               | ६८     | तळेगांव मोहना  |
|        |                   | ३४     | तळेगांव दशासर     |        |               | ६९     | आसेगांव        |
|        |                   | ३५     | मंगरुळ दस्तांगीर  |        |               |        |                |
|        |                   | ३६     | अंजनासिंगी        |        |               | ७०     | शिरसागांव कसदा |
|        |                   |        |                   |        |               | ७१     | करजगांव        |
|        |                   |        |                   |        |               | ७२     | नामदणवाडा      |



हवामान आधारित पीक विमा योजनाअंतर्गत मंडल अधिसूचना

पिक - मृग

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडल           | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडल          |
|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|
| ६      | यवतमाळ        | १      | यवतमाळ         | ६      | यवतमाळ        |        |               |
| १      | यवतमाळ        | २      | कापरणे         | ७      | नेर           | ४०     | माणिकवाडा     |
|        |               | ३      | हिवरी          |        |               | ४१     | वटफळी         |
|        |               | ४      | अर्जुना        | ८      | पुसद          | ४२     | पुसद          |
|        |               | ५      | पेळावारा       |        |               | ४३     | वरुड          |
|        |               | ६      | सावरगाड        |        |               | ४४     | जामबाजार      |
|        |               | ७      | फोर्लेवी       |        |               | ४५     | द्राम्हाणाव   |
|        |               | ८      | अकोला - वा     |        |               | ४६     | खंडाळा        |
|        |               |        |                |        |               | ४७     | बेलोरा (खु.)  |
| २      | बाभुळगांव     | ९      | बाभुळगांव      |        |               | ४८     | शेंबाळपिपरी   |
|        |               | १०     | वेणो           |        |               | ४९     | गोळ (खु.)     |
|        |               | ११     | घारफळ          | ९      | उमरखेड        | ५०     | उपरखेड        |
|        |               | १२     | पाहुर          |        |               | ५१     | मुळवा         |
|        |               | १३     | सावर           |        |               | ५२     | विडुळ         |
| ३      | कळंब          | १४     | कळंब           |        |               | ५३     | बिटरगाव       |
|        |               | १५     | कोटा           |        |               | ५४     | दराटो         |
|        |               | १६     | सावरगांव       |        |               | ५५     | ठाणको         |
|        |               | १७     | पिणळगांव (रु.) |        |               | ५६     | चातारी        |
|        |               | १८     | मेटीखेडा       |        |               | ५७     | महागाव        |
|        |               | १९     | जोडमोडा        |        |               | ५८     | फुल - सांवंगो |
| ४      | दारळा         | २०     | दारळा          | १०     | महागांव       | ५९     | मोरथ          |
|        |               | २१     | जोरी (खु.)     |        |               | ६०     | गुंज          |
|        |               | २२     | महागांव        |        |               | ६१     | हिवरा         |
|        |               | २३     | लाडखेड         |        |               | ६२     | कवळी (दो.)    |
|        |               | २४     | चिखली          |        |               | ६३     | जामणी         |
|        |               | २५     | लोही           |        |               | ६४     | माथार्जुन     |
|        |               | २६     | मांगकिन्ही     | ११     | जामणी         | ६५     | शिबला         |
| ५      | दियस          | २७     | दियस           |        |               | ६६     | खडकडोह        |
|        |               | २८     | तिबरी          |        |               | ६७     | मुकुटवन       |
|        |               | २९     | कलगाव          |        |               |        |               |
|        |               | ३०     | तुप टाकळी      |        |               |        |               |
| ६      | आणी           | ३१     | आणी            | १२     | घाटंजी        | ६८     | घाटंजी        |
|        |               | ३२     | लोगवेहळ        |        |               | ६९     | भारवा         |
|        |               | ३३     | अर्जनखेड       |        |               | ७०     | कुर्ली        |
|        |               |        |                |        |               | ७१     | साखरा         |
|        |               | ३४     | णवळा           |        |               | ७२     | शिक्णी        |
|        |               | ३५     | बोरगाव         |        |               | ७३     | घोटो          |
|        |               | ३६     | स. सावळी       |        |               | ७४     | शिरोली        |
| ७      | नेर           | ३७     | नेर            |        |               |        |               |
|        |               | ३८     | शिरजगांव       |        |               |        |               |
|        |               | ३९     | मोझर           |        |               |        |               |

एकूण अधिसूचित मंडल : ४३९

हवामान आधारित पीक विभा योजनेअंतर्गत पंडल अधिसूचना

पिक - उडीव

खरीफ - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | पंडल           | अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | पंडल          |
|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|
| १      | जळगाव         | १      | जळगाव          | १      | जळगाव         |        |               |
|        |               | २      | भरसावद         | ८      | चोपडा         | ४२     | अडावद         |
|        |               | ३      | भोकर           |        |               | ४३     | धानोरा (प्र.) |
|        |               | ४      | पिंपळा         |        |               | ४४     | गोरगावले      |
|        |               | ५      | नासिराबाद      | ९      | एरंडोल        | ४५     | वडी           |
|        |               | ६      | आसोदा          |        |               | ४६     | एरंडोल        |
|        |               |        |                |        |               | ४७     | रिंगणगाव      |
|        |               |        |                |        |               | ४८     | कासोदा        |
| २      | भुसावळ        | ७      | भुसावळ         |        |               | ४९     | उतराण गृह     |
|        |               | ८      | वरणगाव         | १०     | धरणगाव        | ५०     | धरणगाव        |
|        |               | ९      | कुन्हे         |        |               | ५१     | साळवा         |
|        |               | १०     | पिंपळगाव (बु.) |        |               | ५२     | सोनवद         |
| ३      | बोदवड         | ११     | बोदवड          |        |               | ५३     | पिंपरी        |
|        |               | १२     | नडगाव          |        |               | ५४     | पाळधी         |
|        |               | १३     | करंजी          |        |               | ५५     | चांदसर        |
| ४      | यावल          | १४     | यावल           | ११     | पारोळा        | ५६     | पारोळा        |
|        |               | १५     | भालोद          |        |               | ५७     | वहादरपूर      |
|        |               | १६     | वामनोद         |        |               | ५८     | शेळावे        |
|        |               | १७     | फेजपूर         |        |               | ५९     | तामसवाडी      |
|        |               | १८     | साकळी          |        |               | ६०     | चोरवड         |
|        |               | १९     | किनगाव         | १२     | चाळीसगाव      | ६१     | चाळीसगाव      |
|        |               |        |                |        |               | ६२     | खडकी          |
| ५      | रावेर         | २०     | रावेर          |        |               | ६३     | हातले         |
|        |               | २१     | खानपूर         |        |               | ६४     | मेहुषाबाहे    |
|        |               | २२     | खिडी           |        |               | ६५     | बहाळ          |
|        |               | २३     | एनपूर          |        |               | ६६     | तळेगाव        |
|        |               | २४     | खिरोदा         | १३     | जामनेर        | ६७     | शिरसगाव       |
|        |               | २५     | निमोरा (बु.)   |        |               | ६८     | जामनेर        |
|        |               |        |                |        |               | ६९     | नेरी          |
|        |               | २६     | सायदा          |        |               | ७०     | मलदाभाडी      |
| ६      | मुक्ताईनगर    | २७     | मुक्ताईनगर     |        |               | ७१     | पटुर          |
|        |               | २८     | अंतुली         |        |               | ७२     | शेंदुणी       |
|        |               | २९     | कुन्हा         |        |               | ७३     | तोंडापूर      |
|        |               | ३०     | घोडसगाव        |        |               | ७४     | फत्तेपूर      |
|        |               |        |                |        |               | ७५     | वाकडी         |
| ७      | अमळनेर        | ३१     | अमळनेर         | १४     | पाचोरा        | ७६     | पाचोरा        |
|        |               | ३२     | शिरुड          |        |               | ७७     | नगरदेवळा      |
|        |               | ३३     | नगाव           |        |               | ७८     | गाळण          |
|        |               | ३४     | पातोडा         |        |               | ७९     | नाझा          |
|        |               | ३५     | अंमळगाव        |        |               | ८०     | कुन्हाड (बु.) |
|        |               | ३६     | मारवड          |        |               | ८१     | वरखेडी (बु.)  |
|        |               | ३७     | भरवस           |        |               | ८२     | पिंपळगाव      |
|        |               | ३८     | वावडे          | १५     | भडगाव         | ८३     | भडगाव         |
| ८      | चोपडा         | ३९     | चोपडा          |        |               | ८४     | आमदडे         |
|        |               | ४०     | हातेड          |        |               | ८५     | कोळगाव        |
|        |               | ४१     | लासूर          |        |               | ८६     | कलगाव         |

पिक - उडीद

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ |
|--------|---------------|--------|------|
|--------|---------------|--------|------|

|   |         |    |              |
|---|---------|----|--------------|
| २ | संगली   | १  | खानापूर      |
| १ | खानापूर | २  | करंजे        |
|   |         | ३  | विटा         |
|   |         | ४  | लंगरे        |
|   |         | ५  | भाळवणी       |
| २ | तासगाव  | ६  | तासगाव       |
|   |         | ७  | विसापूर      |
|   |         | ८  | मोचंडे       |
|   |         | ९  | मणेरामपुरी   |
|   |         | १० | सावळज        |
| ३ | कडेगाव  | ११ | कडेगाव       |
|   |         | १२ | शाळगाव       |
|   |         | १३ | नेवरी        |
|   |         | १४ | वांगी        |
|   |         | १५ | चिचणी        |
| ३ | लातूर   |    |              |
| १ | लातूर   | १  | लातूर        |
|   |         | २  | वापळगाव      |
|   |         | ३  | हरंगुळ (बु.) |
|   |         | ४  | कासारखेडा    |
|   |         | ५  | मुरुड        |
|   |         | ६  | तांदुळना     |
|   |         | ७  | चिंचोली      |
|   |         | ८  | भातोयाव      |
| २ | रेणपूर  | ९  | रेणपूर       |
|   |         | १० | पानगाव       |
|   |         | ११ | पोहरेगाव     |
|   |         | १२ | कारेपूर      |
| ३ | औसा     | १३ | औसा          |
|   |         | १४ | किनी धोट     |
|   |         | १५ | भादा         |
|   |         | १६ | भातोळा       |
|   |         | १७ | बेलकूड       |
|   |         | १८ | किल्लारी     |
|   |         | १९ | तामजना       |
| ४ | अहमदपूर | २० | अहमदपूर      |
|   |         | २१ | खंडाळी       |

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ |
|--------|---------------|--------|------|
|--------|---------------|--------|------|

|    |               |    |               |
|----|---------------|----|---------------|
| ३  | लातूर         | २२ | किनगाव        |
| ४  | अहमदपूर       | २३ | आंधोरी        |
|    |               | २४ | शिरूर ताजबंद  |
|    |               | २५ | हाडोळी        |
| ५  | निलंगा        | २६ | निलंगा        |
|    |               | २७ | पानचिंचोली    |
|    |               | २८ | अबूलगा        |
|    |               | २९ | निटूर         |
|    |               | ३० | कासारशिरसी    |
|    |               | ३१ | मदनसूरी       |
|    |               | ३२ | औरादशहाजनी    |
|    |               | ३३ | कासार बालकूदा |
| ६  | शिरूर अनंतपाळ | ३४ | शिरूर अनंतपाळ |
|    |               | ३५ | साकोळ         |
|    |               | ३६ | हिसामाबाद     |
| ७  | उदगीर         | ३७ | उदगीर         |
|    |               | ३८ | नागलगाव       |
|    |               | ३९ | हेर           |
|    |               | ४० | देवर्जन       |
|    |               | ४१ | वाढवणा        |
|    |               | ४२ | नळगीर         |
|    |               | ४३ | मोघा          |
| ८  | जळकोट         | ४४ | जळकोट         |
|    |               | ४५ | घोणशी         |
| ९  | देवणी         | ४६ | देवणी         |
|    |               | ४७ | बारोळ         |
|    |               | ४८ | वलांडी        |
| १० | चाकूर         | ४९ | चाकूर         |
|    |               | ५० | नळेगाव        |
|    |               | ५१ | वडवळ          |
|    |               | ५२ | झरी (बु.)     |
|    |               | ५३ | शेळगाव        |

पिक - उठीव

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ          |
|--------|---------------|--------|---------------|
| ४      | नांदेड        | १      | नांदेड (ग्र.) |
| १      | नांदेड        | २      | खजुरीरावा     |
|        |               | ३      | नांदेड (श.)   |
|        |               | ४      | तुप्पा        |
|        |               | ५      | विष्णुपुरी    |
|        |               | ६      | वसरणी         |
|        |               | ७      | लिंबगाव       |
|        |               | ८      | तरोडा (बु.)   |
| २      | अर्धापूर      | ९      | अर्धापूर      |
|        |               | १०     | दाभड          |
|        |               | ११     | माळेगाव       |
| ३      | मुदखेड        | १२     | मुदखेड        |
|        |               | १३     | मुगट          |
|        |               | १४     | वारड          |
| ४      | बिलोली        | १५     | बिलोली        |
|        |               | १६     | आदमपूर        |
|        |               | १७     | लोहगाव        |
|        |               | १८     | सगरोळी        |
|        |               | १९     | कुंडलवाडी     |
| ५      | धर्माबाद      | २०     | धर्माबाद      |
|        |               | २१     | करखेली        |
|        |               | २२     | जारीकोट       |
| ६      | नाथगाव        | २३     | नाथगाव        |
|        |               | २४     | नरशी          |
|        |               | २५     | मांजरम        |
|        |               | २६     | वरबडा         |
|        |               | २७     | कुंदूर        |
| ७      | मुखेड         | २८     | मुखेड         |
|        |               | २९     | जांब (बु.)    |
|        |               | ३०     | जाहूर         |
|        |               | ३१     | चोडोला        |
|        |               | ३२     | मुक्रमाबाद    |
|        |               | ३३     | वान्सोळी      |
|        |               | ३४     | येवती         |
| ८      | कंधार         | ३५     | कंधार         |
|        |               | ३६     | फुलवळ         |
|        |               | ३७     | पेठवडज        |
|        |               | ३८     | बारुळ         |
|        |               | ३९     | कुरुळ्या      |
|        |               | ४०     | उस्माननगर     |
| ९      | लोहा          | ४१     | लोहा          |
|        |               | ४२     | माळाकोळी      |
|        |               | ४३     | सोनखेड        |
|        |               | ४४     | शेवडी (बा.)   |

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ         |
|--------|---------------|--------|--------------|
| ४      | नांदेड        | ४५     | कळंबर        |
| ९      | लोहा          | ४६     | क्रापशी      |
| १०     | हादगाव        | ४७     | हादगाव       |
|        |               | ४८     | तामसा        |
|        |               | ४९     | मनाळा        |
|        |               | ५०     | पिपळखेड      |
|        |               | ५१     | तळणी         |
|        |               | ५२     | निवघा (बा.)  |
|        |               | ५३     | आष्टी        |
| ११     | हिमायतनगर     | ५४     | हिमायतनगर    |
|        |               | ५५     | जवळगाव       |
|        |               | ५६     | सिरसम (बु.)  |
| १२     | भोकर          | ५७     | भोकर         |
|        |               | ५८     | किणी         |
|        |               | ५९     | मातुळ        |
|        |               | ६०     | मोघाळी       |
| १३     | उमरी          | ६१     | उमरी         |
|        |               | ६२     | गोळेगाव      |
|        |               | ६३     | सिंधी        |
| १४     | देगलुर        | ६४     | देगलुर       |
|        |               | ६५     | खानापूर      |
|        |               | ६६     | शाहपूर       |
|        |               | ६७     | मरखेल        |
|        |               | ६८     | पालेगाव (म.) |
|        |               | ६९     | हानेगाव      |
| १५     | किनवट         | ७०     | किनवट        |
|        |               | ७१     | बोधडी        |
|        |               | ७२     | ईस्लापूर     |
|        |               | ७३     | जलधारा       |
|        |               | ७४     | शिबणी        |
|        |               | ७५     | मांडवी       |
|        |               | ७६     | दहेली        |
| १६     | माहूर         | ७७     | माहूर        |
|        |               | ७८     | वाई (बा.)    |
|        |               | ७९     | वानोळा       |
|        |               | ८०     | सिंदखेड      |

पिक - उडीद

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ |
|--------|---------------|--------|------|
|--------|---------------|--------|------|

|   |              |    |                |
|---|--------------|----|----------------|
| ५ | अमरावती      | १  | धारणी          |
| १ | धारणी        | २  | हरिसाल         |
|   |              | ३  | धुळघाट         |
|   |              | ४  | सावलीखेडा      |
| २ | चिखलदरा      | ५  | चिखलदरा        |
|   |              | ६  | सेमाडोह        |
|   |              | ७  | टेंपुरसोडा     |
|   |              | ८  | चुणी           |
| ३ | नांदगाव (ख.) | ९  | नांदगाव (ख.)   |
|   |              | १० | धनोरा गुरव     |
|   |              | ११ | मंगरुळ चव्हाळा |
|   |              | १२ | शिवणी          |
| ४ | मोर्शी       | १३ | अंबाडा         |
|   |              | १४ | रिध्दपूर       |
| ५ | अंजनगाव      | १५ | विहीगाव        |
|   |              | १६ | अंजनगाव (सु.)  |
|   |              | १७ | कापूस तळणी     |
|   |              | १८ | कोकडी          |
|   |              | १९ | सातेगाव        |
|   |              | २० | भंडारज         |
| ६ | अचलपूर       | २१ | अचलपूर         |
|   |              | २२ | परतवाडा        |
|   |              | २३ | रासेगाव        |
|   |              | २४ | असदपूर         |
|   |              | २५ | पट्टोट         |
|   |              | २६ | परसापूर        |
| ६ | यवतमाळ       |    |                |
| १ | यवतमाळ       | १  | यवतमाळ         |
|   |              | २  | कापरणे         |
|   |              | ३  | हिवरी          |
|   |              | ४  | अर्जुना        |
|   |              | ५  | येळानारा       |
|   |              | ६  | सावरगाव        |
|   |              | ७  | कोळंबी         |
|   |              | ८  | अकोला (बा.)    |
| २ | दारका        | ९  | दारका          |
|   |              | १० | बोरी (ख.)      |
|   |              | ११ | महागाव         |
|   |              | १२ | लाडखेड         |
|   |              | १३ | चिखली          |
|   |              | १४ | लोही           |
|   |              | १५ | मोंगकिन्ही     |

खरीप - २०१४

| अ.क्र. | जिल्हा/तालुका | अ.क्र. | मंडळ |
|--------|---------------|--------|------|
|--------|---------------|--------|------|

|   |        |    |             |
|---|--------|----|-------------|
| ६ | यवतमाळ | १६ | दिप्रस      |
| ३ | दिप्रस | १७ | तिवरी       |
|   |        | १८ | कलगाव       |
|   |        | १९ | तुप टाकळी   |
| ४ | आणी    | २० | आणी         |
|   |        | २१ | लोणबेहळ     |
|   |        | २२ | अंजनखेड     |
|   |        | २३ | जवळा        |
|   |        | २४ | बोरगाव      |
|   |        | २५ | सदोबा सावळी |
| ५ | नेर    | २६ | नेर         |
|   |        | २७ | सिरजगाव     |
|   |        | २८ | मोझर        |
|   |        | २९ | मानिकवाडा   |
|   |        | ३० | वटफळी       |
| ६ | पुसद   | ३१ | पुसद        |
|   |        | ३२ | वरुड        |
|   |        | ३३ | जांव बाजार  |
|   |        | ३४ | ब्राम्हणगाव |
|   |        | ३५ | खंडाळा      |
|   |        | ३६ | बेलोरा (ख.) |
|   |        | ३७ | शेबाळपिंपरी |
|   |        | ३८ | गोळ (ख.)    |
| ७ | उमरखेड | ३९ | उमरखेड      |
|   |        | ४० | मुळावा      |
|   |        | ४१ | चिडूळ       |
|   |        | ४२ | विटरगाव     |
|   |        | ४३ | दराटी       |
|   |        | ४४ | डाणको       |
|   |        | ४५ | चातारी      |
| ८ | महागाव | ४६ | महागाव      |
|   |        | ४७ | फुल सावंगी  |
|   |        | ४८ | मोरथ        |
|   |        | ४९ | गुंज        |
|   |        | ५० | हिवरा       |
|   |        | ५१ | काळी (दो.)  |

एकूण अधिसूचित मंडळ : ३११

हवामान आधारित पीक विभा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - कापूस

खरीप - २०१४

| जिल्हा/तालुका | मंडळ              | जिल्हा/तालुका  | मंडळ            |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------|
| १ जळगाव       | १ जळगाव           | १ जळगाव        | २० रावेर        |
| १ जळगाव       | २ म्हसावद         | ५ रावेर        | २१ खानापूर      |
|               | ३ भोकर            |                | २२ खिरादा       |
|               | ४ पिंपराळा        |                | २३ निभोता (बु.) |
|               | ५ नशिराबाद        |                | २४ छिडी         |
|               | ६ आसोदा           |                | २५ ऐनपूर        |
|               |                   |                | २६ सावदा        |
| २ भुसावळ      | ७ भुसावळ          | ६ मुक्तार्दनगर | २७ मुक्तार्दनगर |
|               | ८ कुन्दे          |                | २८ अंतुर्ली     |
|               | ९ वरगाव           |                | २९ कुन्हा       |
|               | १० पिंपळगाव (खु.) |                | ३० घोडसगाव      |
| ३ बोदवड       | ११ बोदवड          | ७ अंमळनेर      | ३१ अंमळनेर      |
|               | १२ नडगाव          |                | ३२ शिरुड        |
|               | १३ करंजी          |                | ३३ नगाव         |
| ४ यावल        | १४ यावल           |                | ३४ पातौडा       |
|               | १५ भासोद          |                | ३५ अंमळगाव      |
|               | १६ वामणोद         |                | ३६ पारखड        |
|               | १७ फैजपूर         |                | ३७ भरखस         |
|               | १८ सावळी          |                | ३८ वावडे        |
|               | १९ किर्नाव        | ८ चोपडा        | ३९ चोपडा        |

हवामान आधारित पीक विभा योजनांतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - कापूस

खरीप - २०१४

| १  | जिल्हा/तालुका | मंडळ              | २  | जिल्हा/तालुका | मंडळ             |
|----|---------------|-------------------|----|---------------|------------------|
| १  | जळगाव         |                   | १  | जळगाव         |                  |
| ८  | चोंपडा        | ४० हातेड          | १२ | चाळीसगाव      | ६५ बझळ           |
|    |               | ४१ लासूर          |    |               | ६६ तळेगाव        |
|    |               | ४२ अडावद          |    |               | ६७ शिरसगाव       |
|    |               | ४३ धानेरा (प्रा.) | १३ | जामनेर        | ६८ जामनेर        |
|    |               | ४४ गोरगावले       |    |               | ६९ नेरी          |
|    |               | ४५ बडी            |    |               | ७० मालदाभाडी     |
| ९  | एरंडोल        | ४६ एरंडोल         |    |               | ७१ पदूर          |
|    |               | ४७ रिंगणाव        |    |               | ७२ शेंदुर्णो     |
|    |               | ४८ कासोदा         |    |               | ७३ तोंडापूर      |
|    |               | ४९ उतराण (गृह)    |    |               | ७४ फत्तेपूर      |
| १० | धरणगाव        | ५० धरणगाव         |    |               | ७५ वाकडी         |
|    |               | ५१ साळवा          | १४ | पाचोरा        | ७६ पाचोरा        |
|    |               | ५२ सोनवद          |    |               | ७७ नगरदेवळा      |
|    |               | ५३ पाळधी          |    |               | ७८ गाळण          |
|    |               | ५४ चांदसर         |    |               | ७९ नांद्रा       |
|    |               | ५५ पिथी (बु.)     |    |               | ८० कुन्हाड (बु.) |
| ११ | पारोळा        | ५६ पारोळा         |    |               | ८१ बरखेडी (बु.)  |
|    |               | ५७ बहदरपूर        |    |               | ८२ पिंपळगाव      |
|    |               | ५८ शेळवे          | १५ | भडगाव         | ८३ भडगाव         |
|    |               | ५९ तामसवाडी       |    |               | ८४ आमपडे         |
| १२ | चाळीसगाव      | ६० चोरवड          |    |               | ८५ कसेळगाव       |
|    |               | ६१ चाळीसगाव       |    |               | ८६ कजगाव         |
|    |               | ६२ खडकी           |    |               |                  |
|    |               | ६३ हातले          |    |               |                  |
|    |               | ६४ मेहणवारे       |    |               |                  |

हवामान आधारित पीक विमा योजनांतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - धानपूस

खरीप - २०१४

| जिल्हा/तालुका | मंडळ             | जिल्हा/तालुका | मंडळ             |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| २ अहमदनगर     |                  | ३ नांदेड      |                  |
| १ शंभगाव      | १ शंभगाव         | १ नांदेड      | १ नांदेड (प्रा.) |
|               | २ भातकुडगाव      | २ तुण्या      |                  |
|               | ३ दोर जळगाव      | ३ विष्णूपुरी  |                  |
|               | ४ एरंडगाव        | ४ वसरणी       |                  |
|               | ५ बोधेगाव        | ५ लिंबगाव     |                  |
|               | ६ चापडगाव        | ६ तराडा (बु.) |                  |
| २ पाथर्डी     | ७ पाथर्डी        | ७ अर्धापूर    |                  |
|               | ८ माणिकर्दोडो    | ८ रामड        |                  |
|               | ९ करंजी          | ९ मालंगाव     |                  |
|               | १० मिरी          |               |                  |
|               | ११ टाकळीमानूर    | ३ मुखेड       | १० मुखेड         |
|               | १२ कोरडगाव       |               | ११ मुष्ट         |
| ३ सांगमनेर    | १३ साकूर         |               | १२ चारड          |
|               | १४ पिपरणे        | ४ विलोली      | १३ विलोली        |
|               | १५ आझवी          |               |                  |
|               | १६ सिबलापूर      |               | १४ आदमपूर        |
|               | १७ तळेगाव        |               | १५ लोहगाव        |
|               | १८ समनापूर       |               | १६ सगरोळी        |
| ४ कोपरगाव     | १९ कोपरगाव       |               | १७ कुंडलवाडी     |
|               | २० रवंदे         |               |                  |
|               | २१ सुरगाव        | ५ धर्मावाद    | १८ धर्मावाद      |
|               | २२ दहेगाव बोलका  |               | १९ करखेलो        |
|               | २३ पोहेगाव       |               | २० गारीपघेट      |
| ५ राहता       | २४ राहता         | ६ नाथगाव      | २१ नाथगाव        |
|               | २५ लोणी          |               | २२ नरसो          |
|               | २६ बाभळेचर       |               | २३ मांजरम        |
|               | २७ पुणतांबा      |               |                  |
|               | २८ सिडो          |               | २४ बरबडा         |
| ६ राहुरी      | २९ राहुरी        |               | २५ कुंदूर        |
|               | ३० टाकळीपिथी     | ७ मुखेड       | २६ मुखेड         |
|               | ३१ देवळाली प्रवर |               | २७ जांब (बु.)    |
|               | ३२ साजळ          |               |                  |
|               | ३३ तारावाड       |               | २८ जाहूर         |
|               | ३४ बांबोरी       |               | २९ चांडोळा       |
|               | ३५ ब्राम्हणी     |               |                  |
| ७ नेवासा      | ३६ नेवासा (खु.)  |               | ३० मुक्रमावाड    |
|               | ३७ नेवासा (बु.)  |               | ३१ बान्हाळी      |
|               | ३८ सलावतपूर      |               | ३२ देवती         |
|               | ३९ कुकाणा        | ८ कंधार       | ३३ कंधार         |
|               | ४० चांदा         |               | ३४ फुलवळ         |
|               | ४१ सोनई          |               |                  |
|               | ४२ वडाळा (ब.)    |               | ३५ पेटवडज        |
|               | ४३ घोडेगाव       |               |                  |
| ८ जामखेड      | ४४ जामखेड        |               | ३६ वारळ          |
|               | ४५ खडा           |               |                  |
|               | ४६ अरणगाव        |               | ३७ कुरुळा        |
|               | ४७ नाशज          |               | ३८ ठस्माननगर     |
|               | ४८ नाथगाव        |               |                  |



हजामान आधारित पीक विषय योजनाअर्तगत मंडळ अधिसूचना

पिक - कापूस

खरीप - २०१४

| जिल्हा/तालुका | मंडळ            | जिल्हा/तालुका   | मंडळ              |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| ३ नांदेड      |                 | ४ अमरावती       |                   |
| १ लोहा        | ३९ लोहा         | १ धारणी         | २ धारणी           |
|               | ४० माळाकोळी     |                 | ३ हरीसाल          |
|               | ४१ सोनखेड       |                 | ४ सावलीखेडा       |
|               | ४२ शेवडी (ना.)  |                 |                   |
|               | ४३ कलंवर        | २ चिखलदरा       | ४ चिखलदरा         |
|               | ४४ कापशी        |                 | ५ संमाडोह         |
|               |                 |                 | ६ देभूरसोडा       |
| १० हादगाव     | ४५ हादगाव       |                 | ७ चूर्णी          |
|               | ४६ तामसा        | ३ अमरावती       | ८ अमरावती         |
|               | ४७ मनाठा        |                 | ९ कडाळी           |
|               | ४८ पिंपळखेड     |                 | १० बटनेरा         |
|               |                 |                 | ११ वलगाव          |
|               | ४९ तळणी         |                 | १२ नवसारी         |
|               | ५० निवसा (बा.)  |                 | १३ शिराळा         |
|               | ५१ आष्टी        |                 | १४ नांदगाव पेठ    |
| ११ हिमायतनगर  | ५२ हिमायतनगर    |                 | १५ माहूली जहांगीर |
|               | ५३ जवळगाव       |                 | १६ डवरगाव         |
|               | ५४ सिरसम (बु.)  |                 |                   |
| १२ भोकर       | ५५ भोकर         | ४ भातकूली       | १७ भातकूली        |
|               | ५६ किनी         |                 | १८ आसरा           |
|               | ५७ मातुळ        |                 | १९ मिधा           |
|               | ५८ पोपाळी       |                 | २० आष्टी          |
| १३ उमरी       | ५९ उमरी         |                 | २१ पूणी नगर       |
|               | ६० गोळेगाव      |                 |                   |
|               | ६१ सिधी         |                 | २२ खोलापूर        |
| १४ देगलूर     | ६२ देगलूर       | ५ नांदगाव (खं.) | २३ नांदगाव (खं.)  |
|               | ६३ खानापूर      |                 | २४ धानीरा गुरव    |
|               | ६४ शहापूर       |                 | २५ पापळ           |
|               | ६५ भरखेल        |                 | २६ मंगरुळ         |
|               | ६६ भालेगाव (म.) |                 | २७ शिवणी          |
|               | ६७ झनेगाव       |                 | २८ सोणी           |
| १५ किमवट      | ६८ किमवट        |                 | २९ माहूलीघोर      |
|               | ६९ बोधडी        |                 | ३० दाभा           |
|               | ७० ईस्लापूर     | ६ चांदुर (रे.)  | ३१ चांदुर (रे.)   |
|               | ७१ जलधारा       |                 | ३२ आमला           |
|               | ७२ शिवणी        |                 |                   |
|               | ७३ मांडवी       |                 | ३३ घुईखेड         |
|               | ७४ वहेली        |                 | ३४ पळसखेड         |
|               |                 |                 | ३५ सातेफळ         |
| १६ माहूर      | ७५ माहूर        |                 |                   |
|               | ७६ याई (बा.)    | ७ धामगाव (रे.)  | ३६ धामगाव (रे.)   |
|               | ७७ आनोळा        |                 | ३७ दत्तापूर       |
|               | ७८ सिंदखेड      |                 |                   |

हवामान आधारित धोक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - कापूस

खरीप - २०१४

|    | जिल्हा/तालुका | मंडळ              |    | जिल्हा/तालुका | मंडळ             |
|----|---------------|-------------------|----|---------------|------------------|
| ४  | अमरावती       |                   | ४  | अमरावती       |                  |
| ७  | धामणगाव (रे.) | ३८ भातखुली        | ११ | दर्पापूर      | ६२ दयापूर        |
|    |               | ३९ चिचली          |    |               | ६३ धौलोरी        |
|    |               | ४० तळेगाव दशाशर   |    |               | ६४ मंडळ रामतिर्थ |
|    |               | ४१ मंगरुळ दस्तगिर |    |               | ६५ खल्लार        |
|    |               | ४२ अंजनसिंगी      |    |               | ६६ दारापूर       |
| ८  | तिवसा         | ४३ तिवसा          |    |               | ६७ वडनेर गंगाई   |
|    |               | ४४ वरखेड          |    |               | ६८ सागदा         |
|    |               | ४५ मोझरी          |    |               | ६९ पेंवदा        |
|    |               | ४६ बन्हा          | १२ | अंजनगाव       | ७० विहीगाव       |
|    |               | ४७ कुन्हा         |    |               | ७१ अंजनगाव       |
| ९  | मोशी          | ४८ मोशी           |    |               | ७२ सातगाव        |
|    |               | ४९ नेर पिगळाई     |    |               | ७३ भंडारज        |
|    |               | ५० शिरखेड         |    |               | ७४ कापूस तळणी    |
|    |               | ५१ अंवाडा         |    |               | ७५ कोकडा         |
|    |               | ५२ रिध्दपूर       | १३ | अचलपूर        | ७६ अचलपूर        |
|    |               | ५३ हिवरखेड        |    |               | ७७ परतव्याडा     |
|    |               | ५४ धामणगाव        |    |               |                  |
| १० | वरुड          | ५५ वरुड           |    |               | ७८ रासगाव        |
|    |               | ५६ बेंगोडा        |    |               | ७९ असदपूर        |
|    |               | ५७ लोणी           |    |               | ८० पधोट          |
|    |               | ५८ पुजला          |    |               | ८१ परसापूर       |
|    |               | ५९ शेंदुरजना घट   | १४ | चांदुर बाजार  | ८२ चांदुर बाजार  |
|    |               | ६० राजुराबाजार    |    |               | ८३ बेलोरा        |
|    |               | ६१ वाठोडा         |    |               | ८४ तळेगाव मोहना  |
|    |               |                   |    |               | ८५ आसेगाव        |

हवामान आधारित पीक विभा योजनाअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - कापूस

खरीप - २०१४

| जिल्हा/तालुका   | मंडळ                | जिल्हा/तालुका | मंडळ            |
|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|
| ४ अमरावती       |                     | ५ यवतमाळ      |                 |
| १४ चांदूर बाजार | ८६ सिरनगाव कसबा     | ४ दारव्हा     | २२ लाडखेड       |
|                 | ८७ करजगाव           |               | २४ चिखली        |
|                 | ८८ ब्राम्हणवाडा     |               | २५ लोही         |
| १५ यवतमाळ       |                     |               | २६ मांगिकिन्ही  |
| १ यवतमाळ        | १ यवतमाळ            | ५ दिग्रस      | २७ दिग्रस       |
|                 | २ कापराने           |               | २८ तिवरी        |
|                 | ३ हिवरी             |               | २९ कालगाव       |
|                 | ४ अर्जुना           |               | ३० तुप टाकळी    |
|                 | ५ येळावारा          | ६ आणी         | ३१ आणी          |
|                 | ६ सावरगाड           |               | ३२ लोणवेहळ      |
|                 | ७ कोळंबी            |               | ३३ जंगलखेड      |
| २ वाभूळगाव      | ८ अकोला (बा.)       |               | ३४ जबळा         |
|                 | ९ वाभूळगाव          |               | ३५ बोरगाव       |
|                 | १० वेणी             | ७ नेर         | ३६ स. सावली     |
|                 | ११ धारफळ            |               | ३७ नेर          |
|                 | १२ य्हर             |               | ३८ शिरजगाव      |
|                 | १३ सावर             |               | ३९ मोझर         |
| ३ कळंब          | १४ कळंब             |               | ४० मानिकवाडा    |
|                 | १५ कोठा             |               | ४१ बटफळी        |
|                 | १६ सावरगाव          |               | ४२ मालखेड (खु.) |
|                 | १७ पिंपळगाव (ग्रा.) | ८ भूसद        | ४३ भूसद         |
|                 | १८ मेट्टीखेडा       |               | ४४ वरुड         |
|                 | १९ जोडमोहा          |               |                 |
| ४ दारव्हा       | २० दारव्हा          |               |                 |
|                 | २१ बोरी (खु.)       |               |                 |
|                 | २२ महागाव           |               |                 |

हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - कापूस

खरीप - २०१४

|    | जिल्हा/तालुका | मंडळ           |    | जिल्हा/तालुका | मंडळ            |
|----|---------------|----------------|----|---------------|-----------------|
| ५  | यवतमाळ        |                | ५  | यवतमाळ        |                 |
| ८  | पुलव          | ४५ जांब बाजार  | १२ | मारेगाव       | ७५ कुंभा        |
|    |               | ४६ ब्राम्हणगाव |    |               | ७६ वाटोनी       |
|    |               | ४७ खंडाळा      | १३ | जामणी         | ७७ जामणी        |
|    |               | ४८ बेलोरा (ख.) |    |               | ७८ माथार्जून    |
|    |               | ४९ शंवाळपिंपरी |    |               | ७९ शिबल         |
|    |               | ५० गोल (ख.)    |    |               | ८० खडकडोह       |
| ९  | उपरखेड        | ५१ ठमरखेड      |    |               | ८१ मुकूटवन      |
|    |               | ५२ मुळावा      |    |               |                 |
|    |               | ५३ विडूळ       | १४ | केळापूर       | ८२ पांढरकवडा    |
|    |               | ५४ बिटरगाव     |    |               | ८३ यहापळ        |
|    |               | ५५ दराटी       |    |               | ८४ चालबर्डी     |
|    |               | ५६ दानवी       |    |               | ८५ ठंझा         |
|    |               | ५७ घातारी      |    |               | ८६ करंजी        |
| १० | महगाव         | ५८ महगाव       | १५ | घाटंजी        | ८७ पाटणबोरी     |
|    |               | ५९ फुल साबंगी  |    |               | ८८ घाटंजी       |
|    |               | ६० मोरथ        |    |               | ८९ पारवा        |
|    |               | ६१ गुंज        |    |               | ९० कुली         |
|    |               | ६२ हिवरा       |    |               | ९१ साखरा        |
|    |               | ६३ काळी (दो.)  |    |               | ९२ शिवणी        |
|    |               |                |    |               | ९३ धोटी         |
| ११ | वणी           | ६४ वणी         |    |               | ९४ शिरोली       |
|    |               | ६५ राजूर       | १६ | राळेगाव       | ९५ राळेगाव      |
|    |               | ६६ भालर        |    |               | ९६ झाडगाव       |
|    |               | ६७ रासा        |    |               | ९७ वरथ          |
|    |               | ६८ कायर        |    |               |                 |
|    |               | ६९ शिंदोला     |    |               | ९८ वाढोणा (वा.) |
|    |               | ७० शिरपूर      |    |               | ९९ धानोरा       |
|    |               | ७१ पुक्कट      |    |               | १०० खडकी        |
| १२ | मारेगाव       | ७२ मारेगाव     |    |               | १०१ किन्ही (ज.) |
|    |               | ७३ माडी        |    |               |                 |
|    |               | ७४ वनोज        |    |               |                 |

हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - कापूस

खरीप - २०१४

| क्र. | जिल्हा/तालुका | मंडळ              | क्र.        | जिल्हा/तालुका | मंडळ           |
|------|---------------|-------------------|-------------|---------------|----------------|
| ६    | वर्धा         |                   | ६           | वर्धा         |                |
| १    | आर्वो         | १ आर्वो           | ६           | देवळी         | २६ देवळी       |
|      |               | २ खरांगणा         |             |               | २७ अंदोरी      |
|      |               | ३ वाढोणा          |             |               | २८ गिरोली      |
|      |               | ४ रोहणा           |             |               | २९ पुलगाव      |
|      |               | ५ विठळ            |             |               | ३० विजय गोपाल  |
|      |               | ६ वाटोडा          |             |               | ३१ भिडी        |
| २    | करंजा         | ७ करंजा           | ७           | हिंगणघाट      | ३२ हिंगणघाट    |
|      |               | ८ टाणेगाव         |             |               | ३३ बाघोली      |
|      |               | ९ सारवाडी         |             |               | ३४ सावली       |
|      |               | १० कत्रमवार ग्राम |             |               | ३५ अहलीपूर     |
|      |               |                   |             |               | ३६ सिरजगाव     |
| ३    | आष्टी         | ११ आष्टी          |             |               |                |
|      |               | १२ तळगाव          |             |               |                |
|      |               | १३ साहूर          |             |               | ३७ कानगाव      |
| ४    | वर्धा         | १४ वर्धा          |             |               | ३८ बडनेर       |
|      |               | १५ सेनाग्राम      |             |               | ३९ घोहना       |
|      |               | १६ तळेगाव (टा.)   | ८ समुद्रपूर | ४० समुद्रपूर  |                |
|      |               | १७ वायगाव         |             |               | ४१ गिरट        |
|      |               | १८ ओजी            |             |               | ४२ मांडगाव     |
|      |               | १९ वायफळ          |             |               | ४३ कांडळी      |
|      |               | २० सासोड (ही.)    |             |               | ४४ वायगाव भोंड |
| ५    | सेलू          | २१ सेलू           |             |               | ४५ नंदोरी      |
|      |               | २२ केळसर          |             |               | ४६ जाम         |
|      |               | २३ सिंदी          |             |               | ४७ कोरा        |
| ५    | सेलू          | २४ हिंगणी         |             |               |                |
|      |               | २५ अडशी           |             |               |                |

हवामान आधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ अधिसूचना

पिक - कापूस

खरीप - २०१४

| जिल्हा/तालुका    | मंडळ           | जिल्हा/तालुका | मंडळ           |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| ७ नागपूर         |                | ७ नागपूर      |                |
| १ नागपूर (प्रा.) | १ खापरी (रे.)  | ८ सावनेर      | ३२ सावनेर      |
|                  | २ सोनेगाव लोधी |               | ३३ पाटण सावंगी |
|                  | ३ वारी         |               | ३४ केळवद       |
|                  | ४ पोथणी        |               | ३५ खाण         |
|                  | ५ वाडी         |               | ३६ बडेगाव      |
| १ नागपूर         | ६ हडकेश्वर     | ९ कळमेश्वर    | ३७ कळमेश्वर    |
| २ कामठी          | ७ कामठी        |               | ३८ धापेवाडा    |
|                  | ८ कौराडी       |               | ३९ मोहपा       |
| ३ हिंगण          | ९ हिंगण        |               | ४० तेलकामठी    |
|                  | १० बानाडंगरी   | १० उमरेड      | ४१ उमरेड       |
|                  | ११ काहोलोवारा  |               | ४२ हेवती       |
|                  | १२ अडेगाव      |               | ४३ पांचगाव     |
|                  | १३ गुमगाव      |               | ४४ बेला        |
|                  | १४ टाकळघाट     |               | ४५ लिस्ती      |
| ४ रामटेक         | १५ रामटेक      |               | ४६ भकरधोकडा    |
| ५ पारशिवणी       | १६ पारशिवणी    |               | ४७ पिचापूर     |
|                  | १७ नवगाव खरी   | ११ पिचापूर    | ४८ कारगाव      |
|                  | १८ कनान        |               | ४९ मालेवाडा    |
|                  | १९ आमडी        |               | ५० नांद        |
| ६ काटोल          | २० काटोल       |               | ५१ कुडी        |
|                  | २१ पारडसिंगा   |               | ५२ राजोला      |
|                  | २२ येनवा       |               | ५३ तितूर       |
|                  | २३ मेटभंजरा    |               | ५४ खेलतूर      |
|                  | २४ रिपोरा      | १२ कुडी       | ५५ मांढळ       |
|                  | २५ कांडाळी     |               | ५६ पचखेडी      |
| ७ भरखेड          | २६ भरखेड       |               |                |
|                  | २७ मोवाड       |               |                |
|                  | २८ सावरगाव     |               |                |
|                  | २९ पिथूर       |               |                |
|                  | ३० जलालखेडा    |               |                |
|                  | ३१ मॅक्ला      |               |                |

एकूण अधिसूचित मंडळ : ५०४

| हवामान आधारित पीक विमा योजना      |                      |     |          |       |         |     |      |       |      |
|-----------------------------------|----------------------|-----|----------|-------|---------|-----|------|-------|------|
| खरीप हंगाम २०१४                   |                      |     |          |       |         |     |      |       |      |
| पिकनिहाय अधिसूचित मंडळांची संख्या |                      |     |          |       |         |     |      |       |      |
| अ.क्र.                            | महसूल विभाग / जिल्हा | भात | ख.ज्वारी | बाजरी | सोयाबीन | मुग | उडिद | कापूस | एकुण |
| १                                 | ठाणे                 | ५९  | -        | -     | -       | -   | -    | -     | ५९   |
| २                                 | रायगड                | ६०  | -        | -     | -       | -   | -    | -     | ६०   |
|                                   | कोकण विभाग           | ११९ | ०        | ०     | ०       | ०   | ०    | ०     | ११९  |
| ३                                 | जळगाव                | -   | ८६       | -     | -       | ८३  | ८६   | ८६    | ३४१  |
| ४                                 | अहमदनगर              | -   | -        | ९७    | २९      | ५७  | -    | ४८    | २३१  |
|                                   | नाशिक विभाग          | ०   | ८६       | ९७    | २९      | १४० | ८६   | १३४   | ५७२  |
| ५                                 | सातारा               | ४७  | ६९       | ४०    | -       | २०  | -    | -     | १७६  |
| ६                                 | सांगली               | -   | ५४       | ३४    | ४९      | -   | १५   | -     | १५२  |
|                                   | पुणे विभाग           | ४७  | १२३      | ७४    | ४९      | २०  | १५   | ०     | ३२८  |
| ७                                 | लातूर                | -   | ५३       | -     | ५३      | ५३  | ५३   | -     | २१२  |
| ८                                 | नांदेड               | -   | -        | -     | ८०      | ८०  | ८०   | ७८    | ३१८  |
|                                   | औरंगाबाद विभाग       | ०   | ५३       | ०     | १३३     | १३३ | १३३  | ७८    | ५३०  |
| ९                                 | अमरावती              | -   | -        | -     | ८७      | ७२  | २६   | ८८    | २७३  |
| १०                                | यवतमाळ               | -   | -        | -     | १०१     | ७४  | ५१   | १०१   | ३२७  |
|                                   | अमरावती विभाग        | ०   | ०        | ०     | १८८     | १४६ | ७७   | १८९   | ६००  |
| ११                                | वर्धा                | -   | -        | -     | ४७      | -   | -    | ४७    | ९४   |
| १२                                | नागपूर               | -   | -        | -     | ६८      | -   | -    | ५६    | १२४  |
|                                   | नागपूर विभाग         | ०   | ०        | ०     | ११५     | ०   | ०    | १०३   | २१८  |
|                                   | एकूण राज्य           | १६६ | २६२      | १७१   | ५१४     | ४३९ | ३११  | ५०४   | २३६७ |

